खण्ड-215, अंक-8
बुधवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(24 अगस्त, 1960 ई0)

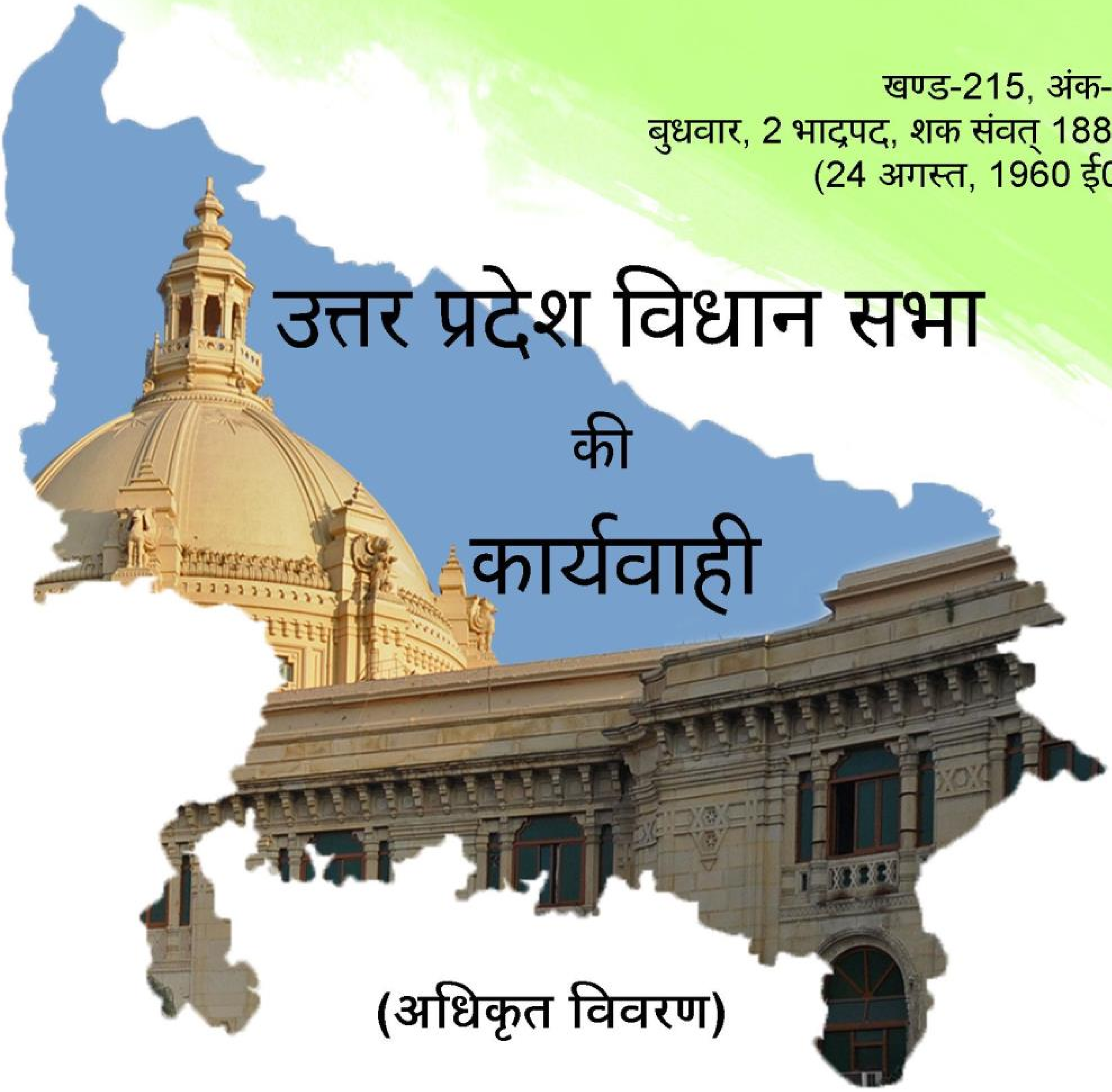

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह , श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदोरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरन्जीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीनङ्कर, आचार्य
दीननारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नान्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री,
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद, पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह राजा,
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (ग.जीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी श्रीमती,
विन्ध्यलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द डाक्टर,
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पत्रकार द्वारा सचिवालय से गोपनीय पत्रों की चोरी

१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा **श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)--२४ फरवरी, १९६० को सरकारी कर्मचारी पर प्रश्नकर्ता द्वारा लगाये आरोप के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने १-८-६० को सदन में जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि तीन सरकारी गोपनीय पत्र (confidential papers) जो प्रश्न कर्ता ने मुख्य मन्त्री महोदय को दिये थे, वे एक पत्रकार द्वारा चुराये गये थे, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस पत्रकार के ऊपर यह आरोप लगाया है, उसका, जांच होते समय, कोई वक्तव्य लिया गया ? यदि हां तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जांच के दौरान में सम्बन्धित पत्रकार से सी० आई० डी० ने पूछताछ करके जो कुछ उन्होंने कहा उसको लिख लिया था । जांच रिपोर्ट गोपनीय है अतः उसको या उसके किसी अंश को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा ।

श्री मलिखानसिंह--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कोई शहादत न मिलने की वजह से यह मुकदमा अदालत में नहीं दिया जा सकता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं अर्ज कर चुका हूं कि सी० आई० डी० की जो रिपोर्ट है उसकी बाबत मैं, जनहित में न होने के कारण, यहां कुछ नहीं कह सकता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि सी० आई ०डी० ने जो रिपोर्ट की कि हमने पत्रकार से पूछ लिया है, सी० आई० डी० की इस रिपोर्ट की किसी से पुष्टि कराई है कि वह सही है या नहीं, पत्रकार से पूछा गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे पूरा यकीन है कि पूछा गया है और माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि एक बार सी० आई० डी० रिपोर्ट करे, फिर उसकी पुष्टि कराई जाय और फिर उस पुष्टि की पुष्टि कराई जाय, तो इस तरह से यह एक कभी न खत्म होने वाली कथा हो जायगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह सम्बन्धी पत्रकार कौन है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मन्त्री जी उचित समझें तो बतायें नहीं तो मैं उनको नाम बताने के लिये बाध्य नहीं करता ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी नाम बताना उचित नहीं समझा था और आज भी अनुचित समझता हूं ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच में पत्रकार के अलावा अन्य भी किसी व्यक्ति से पूछताछ की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कई व्यक्तियों से ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस पत्रकार पर यह आरोप है कि उसने कागजात चुराये उस पर चोरी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो किया गया वह बहुत काफी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस पत्रकार के विरुद्ध यह आरोप था और जिन पत्रों का प्रतिनिधित्व वह पत्रकार कर रहे थे उन पत्रों के सम्पादकों या मालिकों को यह लिख दिया गया या नहीं कि इस प्रकार का गम्भीर आरोप इस पत्रकार के खिलाफ था, इसलिये वह सशंकित रहें उससे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पत्रकार को तो सूचना जरूर दे दी गई थी, लेकिन इसकी बाबत मैं नहीं कह सकता कि उन पत्रों को लिखा गया या नहीं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस अफसर की मेज पर से यह गोपनीय पत्र चोरी गए थे उसकी लापरवाही के कारण क्या उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम सब मनुष्यों से कभी-कभी लापरवाही हो जाया करती है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध भी कोई आरोप लगा है उस पत्रकार के साथ-साथ कि उसका सहयोग भी उसमें है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह क्यों आवश्यक नहीं समझते हैं कि जिस आदमी के खिलाफ इतना बड़ा ऐक्शन लिया जाय उसको पूरी-पूरी अपनी सफाई देने का मौका न दिया जाय ? अपनी सफाई देने का पूरा मौका उसको क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुनिया के आमतौर से सभी देशों में पत्रकारों के साथ ऐसा ही किया जाता है जैसा कि हमने किया है, इससे ज्यादा करने की जरूरत प्रायः ऐसे केसेज में नहीं हुआ करती है ।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकार का रेकग्नीशन विदड्रा कर लिया गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो उसी दिन बतला दिया गया था ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ सचिवालय के व्यक्ति भी निलम्बित किये गए इस पत्र के चोरी चले जाने के सम्बन्ध में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक समझ नहीं पाया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां से पत्र चोरी गये हैं क्या इस सम्बन्ध में सचिवालय के कुछ व्यक्ति भी निलम्बित किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा नहीं किया गया है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय आन्दोलन में गिरफ्तारियां

**२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के चालू सत्र में हुये आन्दोलन में कितने व्यक्ति तारीख १२-८-६० तक गिरफ्तार हुये, तथा कितने विद्यार्थियों के विरुद्ध वारन्ट जारी किये गये थे जिनकी गिरफ्तारी उक्त समय तक नहीं हो सकी ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—१२ अगस्त, १९६० तक ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा ५ विद्यार्थियों के विरुद्ध वारंट जारी किये गये थे ।

श्री मदन पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति व्याप्त हो और जब कि पी० ए० सी० भी वहां से हटा ली गई है तो अब इन विद्यार्थियों को छोड़ने और इनके विरुद्ध जो केसेज चल रहे हैं उनको वापस लेने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विद्यार्थी, जो गिरफ्तार किये गये हैं, इनमें से कितने विद्यार्थी नजरबन्दी कानून के अन्दर रखे गये हैं और उनको नजरबन्द रखने के आधार क्या थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह जो ११ विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है इनमें १० तो डिटेन्शन में हैं और एक ऐब्सकांड कर रहा है । ये सब उपद्रव मचाते थे और स्कूल कालेज के काम में हस्तक्षेप करते थे और यूनिवर्सिटी का काम चलने नहीं देते थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उनकी नजरबन्दी के आधार सरकार ने बतलाये थे उनमें एक आधार यह भी था कि इन विद्यार्थियों ने गत खाद्यान्न आन्दोलन में हमारे प्रदेश में पिछले साल हिस्सा लिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—ग्राउन्ड तो हर एक विद्यार्थी के अलग-अलग हैं । आप आज्ञा दें तो मैं इस सब को बतला दूं ।

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या एक बात यह भी थी कि पारसाल उन लड़कों ने खाद्यान्न आन्दोलन में भाग लिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो देखने से मालूम हो सकता है । इसलिये इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन विद्यार्थियों के खिलाफ वारन्ट जारी किये गये थे वे गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं अथवा हाजिर हो भी चुके हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने अभी निवेदन किया कि उनमें से १० तो पकड़े जा चुके हैं और एक अभी तक फरार है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि यदि उनको छोड़ने का विचार नहीं है तो क्या उन पर मुकदमा चलाने का विचार है और अगर मुकदमा चलाने का विचार नहीं है तो कब तक उनको जेल में रखने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि डिटेन्शन में मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं होती है । उसकी अवधि होती है । जब तक अवधि रहेगी उनको रखा जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आन्दोलन चल रहा था उसी दौरान में विधान सभा के विरोधीदल के तमाम नेताओं ने माननीय गृह मंत्री से मिलकर इस बात की प्रार्थना की थी कि आप इनके केसेज पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इनके खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है वारन्ट वगैरह की उसको रद्द कर दें ताकि विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति पैदा हो और माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पहले सामान्य स्थिति पैदा हो जाय तो वे सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, तो अब गृह मंत्री जी इस संबंध में क्या सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन नेताओं से बहुत सी बातें हुई थीं और आश्वासन देने की कोई बात नहीं हुई थी । उनकी और हमारी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी । आश्वासन न तो कोई मांगा गया और न हमने कोई आश्वासन दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो कार्यवाही की गयी है वह विश्वविद्यालय के अंदर की कार्यवाहियों से संबंधित है अथवा विश्वविद्यालय के बाहर की कार्यवाहियों से भी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बाहर भीतर सभी से संबंधित है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वह डिटेंशन ऐक्ट के अनुसार गिरफ्तार हैं तो क्या उनका मामला ट्रिब्युनल या हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है ? यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो कब तक प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसका एक प्रोसीजर है और उसके मुताबिक वह ट्रिब्युनल के सामने पेश किये जाते हैं । एक अवधि है और उसके भीतर वे ट्रिब्युनल के सामने पेश किये जाते हैं कि इनको इस आधार पर नजरबंद किया जाता है । वह सब विधि पूरी होने पर ही उनको पेश किया जा सकेगा ।

श्री मदन पांडेय—मेरी इस बात को सूचना मान कर कि वे विद्यार्थी और अभिभावक दोनों चाहते हैं कि वे शिक्षा प्राप्त करें, उनको छोड़ कर क्या उन्हें पढ़ने की सुविधा प्रदान करने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं है । यदि आये तो सरकार विचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सिकन्दराबाद तहसील में लकड़बग्घों का आतंक

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर में नरभक्षी लकड़बग्घों ने हाल ही में कितने बच्चों का प्राणान्त किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दस । यह अंक गत अप्रैल से जुलाई के अन्त तक से संबंधित है ।

*२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सरकार ने इन लकड़बग्घों को पकड़ने या मारने का क्या प्रबंध किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय पुलिस तथा माल विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही करने को कह दिया गया है । स्थानीय शिकारियों, बन्दूक के लाइसेन्सदारों तथा ग्राम रक्षक समितियों की भी सहायता ली जा रही है । इन पशुओं को नष्ट करने वालों को निर्दिष्ट दरों से पारितोषिक देने के लिये ५०० रुपये की धनराशि जिलाधीश के अधिकार में दे दी गई है । इन प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई के अन्त तक चार लकड़बग्घे नष्ट किये जा चुके हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पुलिस के कार्य करने के बावजूद भी जब वहां स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका इसलिये वहां फौज की कोई टुकड़ी भेजी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर चोर, डाकू हों तब तो पुलिस के अतिरिक्त फौज भेजने की बात पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वे तो कहीं छिपे रहते हैं और उनके लिये जो लोग बंदूक चलाना जानते हैं उनसे कहा जा रहा है, वही इस काम को कर सकेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—जो चार लकड़बग्घे मारे गये हैं वे जनता द्वारा मारे गये हैं अथवा सरकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इनाम की रकम बढ़ाने की कृपा करेगी ताकि ये लकड़बग्घे जल्दी मारे जा सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो सारे प्रदेश में वही एक तादाद है इनाम की और उससे काफी काम चल रहा है । शेरों के लिये, लकड़बग्घों के लिये, भेड़ियों के लिये जो इनाम बंधा हुआ है वह काफी मालूम होता है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० द्वारा लकड़बग्घों के शिकार के बाद अब इन लकड़बग्घों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की खोज करेंगे कि यह लकड़बग्घे कहां से आये हैं और क्या उनके लिये कोई विशेष इंतजाम हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—क्या उनके लिये कोई रिसर्च स्टेशन खोला जाय, यह आपका मतलब है ?

आचार्य दीपंकर—इस बात को देखते हुए कि जो लकड़बग्घे पहले जंगलों में रहते थे अब लखनऊ की सड़कों और गलियों में और बुलन्दशहर के कुछ गांवों में उतर आये हैं, उनकी व्यवस्था कुछ जल्दी ही हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सिर्फ सिकन्दराबाद और बुलन्दशहर में ही आये हैं ।

[२४ अगस्त, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्रमिक बस्ती मोहद्दीपुर, गोरखपुर में क्वार्टरों का निर्माण

*१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर शहर में श्रमिक बस्ती मोहद्दीपुर में कितने श्रमिक क्वार्टरों का निर्माण हुआ है ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन क्वार्टरों का निर्माण कब सम्पन्न हुआ था ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—कुल १०८ क्वार्टरों का निर्माण हुआ है । यह निर्माण जून, १९५९ में सम्पन्न हुआ था ।

*२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन क्वार्टरों में किन-किन विभागों के कितने-कितने श्रमिक निवास कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इन क्वार्टरों में १९ श्रमिक निवास कर रहे हैं, जिनमें से ११ झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, ६ गीता प्रेस और २ सुंदरया शुगर फैक्टरी, गोरखपुर के हैं । ८८ क्वार्टरों में अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, १ क्वार्टर खाली है ।

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त मोहद्दीपुर श्रमिक बस्ती के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—इस श्रमिक बस्ती के निर्माण पर कुल ३,०७,८४३ रुपया व्यय हुआ है ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह क्वार्टर्स किस विभाग के श्रमिकों के लिये बनाये गये थे और इनमें जो श्रमिक रह रहे हैं वे किस विभाग के हैं ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो श्रमिकों के लिये बनाये गये थे, कोई भी श्रमिक रह सकते थे उनमें, बाकी जो रह रहे हैं उनकी सूची मेरे पास है, अगर कहें तो बता सकता हूं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किस विभाग के श्रमिकों के लिये बनाया गया था और जो १९ रह रहे हैं, वह उसी विभाग के श्रमिक हैं ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—यह किसी खास विभाग के श्रमिकों के लिये नहीं बनाये गये थे । चूंकि श्रमिक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले इसलिये शायद ८८ आदमी और दूसरे रह रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह क्वार्टर्स श्रमिकों के लिये बनाये गये थे तो इसमें अन्य ८८ व्यक्ति कैसे रह रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका जवाब तो दे दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रमिकों के लिये जब यह क्वार्टर्स बनाये गये थे, और श्रमिक उसमें नहीं रह रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका क्या कारण है । क्या उसका किराया ज्यादा है जिसके कारण वे लोग नहीं रह रहे हैं, या और कोई कारण है ? या एलाटमेंट की शर्तें अधिक हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इनका किराया तो दूसरों से कहीं सस्ता है । एलाटमेंट की शर्तें भी ऐसी नहीं हैं जिनकी वजह से वे न आ सकें । अब इस पर भी अगर वे लोग नहीं चाहते हैं तो सरकार की लाचारी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी उसी सस्ते दर से वे क्वार्टर्स दिये जाते हैं या इतना किराया लिया जाता है जिससे कि सरकार का खर्चा जो उस पर होता है वह पूरा हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन लोगों से जो इकोनामिक रेंट होता है वह लिया जाता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इन क्वार्टरों को बनवाने से पूर्व कोई जांच करवाई थी कि उनको कितने क्वार्टरों की जरूरत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच का मतलब अगर यह है कि हर एक श्रमिक से पूछा जाता, तो यह नहीं किया गया । और अगर जांच का मतलब यह है कि जितने वहां पर श्रमिक हैं उनके लिये कितने क्वार्टरों की जरूरत होगी, तो यह जांच हुई थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन क्वार्टरों का मासिक किराया कितना है और इनके एलाटमेंट का क्या तरीका है ?

श्री जयराम वर्मा—इनका एकोनामिक रेंट साढ़े १२ रुपया है और सब्सीडाइज्ड रेंट १० रुपया है । इनका एलाटमेंट एक कमेटी करती है ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में जो २८ व्यक्ति बताये थे, वह जो लिखित उत्तर है, उसमें ८८ हैं तो यह फर्क क्यों है ? और जो लोग वहां रह रहे हैं वे वही लोग हैं जो वहां के अधिकारियों के मुंह लगे हुए हैं और उनका एलाटमेंट भी उन्हीं को होता है जिसको वे अधिकारी चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इस तरह की बात तो सही नहीं है लेकिन जो दूसरे लोग रहते हैं उनकी सूची यह है—

मैं पढ़े देता हूं.....

श्री अध्यक्ष—यह तो ८८ आदमियों की सूची होगी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन श्रमिक बस्तियों को बने दो-तीन वर्ष हो गये और जो लोग रह रहे हैं वे करीब साल भर से, तो बाकी समय में क्या यह बस्ती खाली पड़ी रही ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो जवाब में बताया गया है कि कब उनका एलाटमेंट हुआ और कब बन कर तैयार हुए ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो श्रमिक वहां रहना चाहेंगे उनके लिये क्या व्यवस्था होगी ?

श्री जयराम वर्मा—अगर वे रहना चाहेंगे तो उनके लिये एलाटमेंट किया जायेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह क्वाटर्स इतने खराब हैं कि कोई भी श्रमिक वहां रहना पसन्द नहीं करता ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर ऐसा होता तो लोग ज्यादा किराया देकर उनमें न जाते ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मजदूर वहां पर रहने के लिये इसलिये नहीं जाते हैं कि वह क्वार्टर काम करने की जगहों से बहुत दूर बने हुए हैं और उनका किराया बहुत ज्यादा है ?

श्री जयराम वर्मा—किराया तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा देकर रहना चाहते हैं। यह हो सकता है कि वह लोग जहां जहां काम करते हैं वहां से कुछ दूर पड़ते हों।

लखनऊ के औद्योगीकरण के संबंध में विचार

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में उप-नगर प्रमुख तथा उद्योग उप मंत्री से अभी हाल ही में विचार विनिमय हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसका पूरा विवरण सदन के सम्मुख उपस्थित करने का उनका विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—लखनऊ के औद्योगीकरण के भविष्य के संबंध में वार्तालाप हुआ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस वार्ता का विवरण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जो उप-नगर प्रमुख हैं यहां के, वह स्वयं एक उद्योगपति हैं और वह मुझ से मिले थे और कहते थे कि लखनऊ में इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए, बिजली की अधिक व्यवस्था होनी चाहिये—इन सारी बातों पर विचार उन्होंने मेरे सामने प्रकट किया और उनको मैंने सुना और उनसे जो समय समय पर लाभ उठा सकूंगा वह उठाऊंगा।

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[८ अगस्त, १९६० को प्रश्न १५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

विज्ञान मन्दिर खोलने की योजना

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ५ विज्ञान मन्दिर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और क्या इन विज्ञान मन्दिरों की स्थापना का सारा खर्च भारत सरकार देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वर्ष विज्ञान मंदिरों के स्थापित करने के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार हो रहा है। केवल भवन की व्यवस्था प्रदेशीय सरकार को करनी पड़ती है, शेष कुल खर्च केन्द्रीय सरकार देती है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत किसी विज्ञान मंदिर की स्थापना इससे पूर्व की जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक विज्ञान मंदिर मसौली, बाराबंकी में है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्थापित विज्ञान मंदिर से आजकल रूस और अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गये वैज्ञानिक अविष्कारों की भी सूचना एकत्रित की जाती है, बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जाती है, इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह विज्ञान मंदिरों का काम है कि जो वैज्ञानिक उन्नति होती रहें वह देहात वालों को देते रहें, तो मुमकिन है कि वहां वालों को खबर देते हों कि आज क्या हो रहा है इस संबंध में ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजकल कई रात्रियों से एक बड़ा तेज और जल्दी से चलने वाला तारा आकाश मंडल में दिखाई पड़ता है, इसकी कोई जानकारी किसी विज्ञान मंदिर में प्राप्त हुई है ?

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मंत्री से) आपने उत्तर में देहात वालों के लिये कहा था, वह देहात वालों के लिये नहीं पूछ रहे हैं । वह यह पूछ रहे हैं कि सरकार को वह विज्ञान मंदिर ऐसा ज्ञान दिलाते हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने पूछा कि विज्ञान मंदिर में किसी में ऐसी सूचना मिली है, तो एक ही विज्ञान मंदिर है, उसने तो हमें कोई ऐसी खबर दी नहीं ।

श्री गेंदासिंह—५ विज्ञान मंदिरों के लिए पूछा गया है और केवल एक के लिए ही बताया, तो ४ के अब तक न खुलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं शायद मतलब को समझा नहीं । एक तो खुल चुका है और ५ और खुलने हैं—६ हो जायेंगे हमारे यहां । तो चूंकि सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार को देना होता है, हमने उनको लिखा था । उनकी तरफ से एक विशेष अधिकारी केवल, कई जगहों को देख गये लेकिन रिमाइंडर देने के बाद भी निश्चय नहीं कर सके कि कहां खोलेंगे, क्या करेंगे ।

पर्वतीय पेयजल योजनाएं

*८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि पर्वतीय पेयजल योजनाओं के लिये इस्टीमेट का २५ प्रतिशत श्रमदान के स्थान पर १० प्रतिशत धनराशि ही आयन्दा जमा करवाने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ? इस संबंध में जो नियम या साहित्य हो, क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं, लेकिन सन् १९५८ में जारी किए गये आदेश के आधार पर जिसकी प्रति संलग्न की जाती है, सरकार जहां उचित समझे वहां जनता के अंशदान को कम कर सकती है अथवा बिलकुल माफ कर सकती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०७–७०९ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी, यह जो आदेश है, जो तीसरे खंड में लिखा हुआ है—

"The remaining 25 % would be borne by the local people who would derive benefit from the scheme except in the scarcity area where the resident population is so poor that they are unable to contribute anything towards the cost of the schemes. These special cases, for which full justification should be given, will be considered separately."

इस बात को देखते हुए कि कुमायूं में मंत्री जी ने जो रुपया दिया है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा काम में नहीं आ रहा है और लैप्स होने की स्थिति में है और इस बात को देखते हुए कि कई मन्त्री यह कह चुके हैं कि कुमायूं स्केर्यासिटी एरिया है, क्या वहां पर सरकार इस जी० ओ० के मुताबिक माफी देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसीलिये यह कायदा बना है कि अगर आवश्यक हो तो माफी दी जा सकती है या आंशिक माफी दी जा सकती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार को अल्मोड़ा जिले के ६० गांवों की लिस्ट समर्पित है कि उनका अंशदान १० प्रतिशत कर दिया जाय या माफी दे दी जाय, क्या उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मंत्री जी सभी का सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार ने जो यह माफी करने का अधिकार लिया है क्या इसके अन्तर्गत अभी तक किसी केस में माफी की भी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हिदायत दी गई है कि इसके प्रकाश में सरकार से सिफारिश की जाय।

नैनीताल में वस्त्रोद्योग त्रिदलीय सम्मेलन के निश्चय

*९—**श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री मदन पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० के प्रथम सप्ताह में नैनीताल में टैक्सटाइल उद्योग के सम्बन्ध में होने वाले त्रिदलीय सम्मेलन (श्रमिकों के सम्बन्ध में) में क्या-क्या निश्चय हुए?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कथित त्रिदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित निश्चय हुए :—

(१) केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार कानपुर तथा सहारनपुर के सूती वस्त्रोद्योग मिल अपने श्रमिकों को ६ रुपया प्रतिमास और मोदीनगर का वस्त्रोद्योग मिल अपने श्रमिकों को तदर्थ (*adhoc*) ८ रुपया प्रतिमास की वेतन वृद्धि देंगे।

(२) उक्त वेतन वृद्धि १ ली जनवरी, १९६० से दी जायगी यद्यपि वास्तविक भुगतान १ ली जुलाई, १९६० के बाद पड़ने वाली वेतन भुगतान तिथियों के अनुसार इस प्रकार आरम्भ किया जायगा कि जनवरी से जून, १९६० के बकाये वेतन का भुगतान जुलाई से दिसम्बर, १९६० के शेष ६ महीनों में महावारी किस्तों में किया जायगा और साथ ही चालू मास की वर्तमान वेतन वृद्धि का भुगतान उक्त दरों से उसी मास में कर दिया जायगा।

(३) वेतन मंडल की अन्य और सिफारिशों से सम्बन्धित समस्त मामले सरकार के निर्णय पर छोड़ दिये गये।

*१०—**श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री मदन पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्मेलन में हुए निश्चयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—किस्तों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) कानपुर, सहारनपुर तथा मोदीनगर में श्रमिकों को देय वेतन वृद्धि के आदेश जारी हो चुके हैं।

(२) कानपुर के वस्त्रोद्योग मिलों के श्रमिकों को वेतन मंडल की सिफारिश के अनुसार देय मंहगाई भत्ते के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(३) कानपुर के वस्त्रोद्योग मिलों के क्लर्कों को वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार देय वेतन क्रम तथा महंगाई भत्ते के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह राजाज्ञा कब प्रसारित की गई थी और जो आदेश इस सम्बन्ध में दिये गये हैं क्या उनको भी पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक राजाज्ञा तो १८ जुलाई, १९६० को और एक २९ जुलाई, १९६० को प्रसारित की गई थी। अब जहां तक यह बात है कि उनमें क्या आज्ञायें दी गईं वह तो पूरे आठ-आठ ६-६ पन्ने की राजाज्ञायें हैं, उनको पढ़ सकना सम्भव नहीं है। विशेष बातें मैंने बतला ही दी हैं।

श्री मदन पांडेय—इसमें जो सिफारिशों का विवरण दिया गया है उसकी संख्या ३ में लिखा हुआ है "वेतन मंडल की अन्य और सिफारिशों से सम्बन्धित समस्त मामले सरकार के निर्णय पर छोड़ दिये गये", तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री या सरकार ने अभी तक कोई फैसले लिये हैं या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न संख्या १० को अगर देखा जाय तो मालूम होता है कि हमने निर्णय लिये हैं जैसे क्लर्कों के वेतन के सम्बन्ध में किया है। त्रिदलीय सम्मेलन ने सरकार पर छोड़ा था, हमने फैसला लेने के बाद उसे लागू कर दिया। इसी प्रकार से यह प्रश्न था बुनियादी तनख्वाह में कितनी महंगाई भत्ता मिलाया जाय, उस पर भी हमने फैसला लिया और उसके आदेश जारी कर दिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतनों की अदायगी के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये गये क्या वह कार्यान्वित होने लगे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ में तो मिल मालिकों ने शुरुआत कर दी है, कुछ के सम्बन्ध में उन्होंने अधिक समय जरूर लिया है यानी पहले जो हमारा मतलब था जुलाई से करने का वह नहीं हो पाया लेकिन मिल मालिक और मजदूर दोनों के प्रतिनिधियों के सामने बात स्पष्ट कर दी गई थी। नैनीताल में भी और बाद में भी तिथि में एकाध महीने की घट-बढ़ से कोई अन्तर नहीं आवेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—कानपुर व मोदीनगर में ६ और ८ रुपये की वेतन वृद्धि की गई और बनारस लखनऊ आदि का भार माननीय मुख्य मन्त्री को सौंपा गया था, तो उन्होंने इसके लिये क्या किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मामला विचाराधीन है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों के बचने के लिये कुछ मिल-मालिकों ने ऐसे कागजात तैयार किये हैं कि ज्यादा रुपया न देना पड़े ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—न ज्यादा देना पड़ेगा, न कम। हमारी आज्ञा के मुताबिक पैसा देने से हरएक को कागजात तैयार करने होंगे, ऐसा निश्चय है।

श्री गेंदासिंह—अब न्यूनतम वेतन कितना मिला करेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—न्यूनतम वेतन के आधार की आजतक अलग अलग दरें हैं। कम से कम ३० न्यूनतम वेतन था बुनियादी वेतन। वह ३६ रुपया होगा। महंगाई का हिस्सा घटता-बढ़ता रहेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या कानपुर से मन्त्री जी के पास शिकायत आई है कि मिल मालिक इस फैसले को ठीक से अमल में नहीं ला रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या हिदायत या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कुछ लोगों को यह शिकायत हुई थी कि सम्भवतः मिल मालिक हिसाब बनाने में और रेट्स के लगाने में कोई घपला न कर दें। उस बारे में सरकार की एक विज्ञप्ति निकली है जो अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी है। उसकी सूचना मिल मालिकों के एसोशियेशन को भी दे दी गई है कि कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये जो कि सम्मेलन के निश्चयों की लेटर व स्प्रिट के विरुद्ध हो।

पर्यटन उद्योग के लिये केन्द्रीय सहायता तथा पर्यटक आवास-गृह

*११—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कुछ पर्यटन केन्द्रों पर उनके लिये सस्ते आवास-गृह बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों पर ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां।

अयोध्या में ऐसा आवास-गृह है। आगरा और वाराणसी में इसी वर्ष आवास गृह बन कर तैयार हो जावेंगे, ऐसी आशा है। मिर्जापुर, चित्रकूट, हरिद्वार, मथुरा, कौसानी और चकराता में पर्यटकों के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में सस्ते आवास गृह बनाने की योजना है।

*१२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्यटन उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां।

पर्यटन उद्योग के विकास के लिये गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार से मिली सहायता का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१० पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आवास गृह प्रदेश भर में कुल कितने रुपये के बनाये जा रहे हैं और क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि नैनीताल, रानीखेत और मसूरी आदि में जहां लोग भारी संख्या में आते हैं वहां साधारण व्यक्तियों के रहने के आवास-गृह बनाये जावें ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस वक्त यह बतलाना बहुत मुश्किल है कि कुल क्या सर्फ होगा। हमारे दूसरे प्लान में और तीसरे में भी कई प्रपोजल्स हैं। चकरौता और कौसानी में भी होस्टल बनाये जायेंगे। लो इनकम ग्रुप होस्टल भी कई मुकामात पर बनाये जा रहे हैं। लाक केबिन भी कई जगह बन रही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—ये आवास-गृह बनने के बाद कुल कितने पर्यटकों को स्थान दिया जा सकेगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह बताना मुश्किल है लेकिन जरूरत पूरी हो सकेगी।

श्री झारखंडेराय—क्या आधुनिक स्थलों पर, हिन्द बांध पर जहां काफी संख्या में लोग आने लगे हैं और जो सुन्दर स्थान बन रहा है, वहां भी सरकार की आवास-गृह बनाने की स्कीम है ? और कब तक ?

श्री सुल्तान आलम खां—जैसे रुपया आता जायगा और मौका आता जायगा, उन बातों पर भी विचार किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मन्त्री जी को यह शिकायत मिली थी कि इस वर्ष अल्मोड़ा में बहुत अधिक टूरिस्ट आये लेकिन कोई आवास-गृह न होने से वे सब वापस चले गये और अल्मोड़े का म्यूनिसिपल बोर्ड सरकार से कर्ज लेने के लिये तैयार है और अगर सरकार अनुदान नहीं दे सकती है तो कम से कम सस्ते ब्याज पर कर्जा ही दे दे ?

श्री सुल्तान आलम खां—सरकार ने तय किया है कि ऐसे होस्टल या होटल बनाने के लिये जो रुपया मांगेगा उसे कर्ज देने पर विचार किया जायगा और उसका एलान अखबारों में भी कर दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास-गृह डिवीजनल टूरिस्ट्स कमेटीज की सिफारिश पर बनाये जाते हैं या स्टेट लेविल पर तय होते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—सिफारिशों पर भी गौर किया जाता है। माननीय सदस्य जो सिफारिश करते हैं उस पर भी गौर किया जाता है। तमाम बातों पर गौर करके ही निर्णय लिया जाता है।

मथुरा जलघर कर्मचारियों की शिकायतें

*१३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या मथुरा जलघर (वाटर वर्क्स) कर्मचारी संघ ने अपनी कुछ मांगें और शिकायतें १९५९ और १९६० में सरकार की सेवा में प्रेषित और निवेदित की हैं ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। इस सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह द्वारा जो जलघर कर्मचारी संघ के मन्त्री हैं एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें नगरपालिका के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र कब आया ?

श्री जयराम वर्मा—२९ जुलाई सन् ६० को।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—जल्दी ही हो जायगा।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस कर्मचारी ने जिन शिकायतों के कारण सरकार से स्वीकृति मांगी है वे क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—शिकायत यह थी कि मीटर रीडिंग बहुत गलत थी। जिसके कारण काफी रुपये का नुकसान हुआ। इसके बारे में मुकदमा भी चल चुका है और उसमें ये लोग हार चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में राज्य में गिरफ्तारियां

*१४—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में राज्य में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में कितने सरकारी कर्मचारी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से १,०८९ सरकारी कर्मचारी थे।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १,०८९ कर्मचारियों में से इस समय कितनों पर मुकदमा चल रहा है और कितने अभी भी जेल में हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बतलाना मुश्किल है कि कितने लोग जेल में हैं क्योंकि बराबर मुचलके और जमानत देकर लोग छटते रहते हैं १० आदमियों को तो सजा हो चुकी है, बाकी ५८७ का मामला विचाराधीन है और अभी तक आज्ञा यही है कि उन पर मुकदमा चलाया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—इन १,०८९ कर्मचारियों में से कितने ऐसे थे जिनके ऊपर से सरकार ने मुकदमा उठा लिया है और क्या बाकी के मुकदमों को उठाने पर सरकार विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५४४ आदमी बिलकुल छोड़ दिये गये, इसी वजह से कि सरकार ने यह तय कर लिया था कि उन पर मुकदमा नहीं चलाना है।

श्री माताप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गिरफ्तार कर्मचारियों में कितने रेलवे के, कितने पोस्ट आफिस के और कितने अन्य विभागों के थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनमें ८८० रेलवे के, १४८ डाकखाने के, १४ सिविल एविएशन के, ५ सुरक्षा के तथा ४२ ए० जी० के दफ्तर के कर्मचारी थे।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन सरकारी कर्मचारियों को भड़काने के सिलसिले में कितने गैर सरकारी गिरफ्तार हुए?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल ५२ गैर सरकारी लोग गिरफ्तार हुए।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के बयान की ओर गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत भर में कुल ४० आदमी बंदी हैं जब यहां बरेली में २२ आदमी बंदी हैं, क्या इस पृष्ठभूमि में माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक वस्तुस्थिति की बात है वह बयान तो सही ही होगा। अब इस पर विचार क्या करेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ५२ व्यक्ति गैर सरकारी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कितने छोड़ दिये गये हैं और कितने अभी जेलों में बन्द हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह जो ५४४ आदमी छोड़े गये हैं उनमें गैर सरकारी व्यक्ति भी होंगे। ठीक संख्या उनकी नहीं बता सकता।

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गैर सरकारी ५२ आदमी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कितने आदमी छोड़ दिये गये हैं और कितनों पर मुकदमा चल रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने अभी बतलाया कि कुछ लोग जरूर छोड़े गये हैं और शेष लोगों पर मुकदमा चलने की बात है।

श्री गौरीशंकर राय—जैसा कि अखबारों से मालूम हुआ है, हमारे प्रदेश में हड़ताल का प्रभाव सबसे कम रहा लेकिन सारे देश के तीन-चौथाई के करीब लोग उत्तर प्रदेश में ही बंदी बनाये गये, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतने आदमी यहां बंदी किये गये, इसी कारण यहां हड़ताल का सबसे कम प्रभाव पड़ा, यह तो शासन की खूबी की बात है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात से नाराज हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, इसीलिये उनको सबसे अधिक बंदी बनाया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

गोलागोकरननाथ तथा हरगांव चीनी मिलों के गन्दे पानी की निकास व्यवस्था के लिए आदेश

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—चीनी मिलों के गन्दे पानी को नदियों में गिराने से रोकने के विषय में २५-३-५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में सरकार ने जो यह कहा है कि लखीमपुर जिले की गोला तथा सीतापुर जिले की हरगांव चीनी मिलों के गन्दे पानी को नदियों में गिराने से रोकने की कार्यवाही अन्य विभागों की राय लेकर की जायगी, क्या उसे पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कारखानों के गन्दे पानी के व्ययन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार ने एफ्लुएन्ट बोर्ड की स्थापना की है । यह बोर्ड गन्दे पानी के व्ययन सम्बन्धी मानचित्र व जांच रिपोर्ट आदि कारखानों से प्राप्त करता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करता है ।

हिन्दुस्तान शुगर मिल गोलागोकरननाथ खीरी के प्रबन्धकों ने एफ्लुएन्ट बोर्ड के आदेशानुसार Torulayeast Plant नामक मशीन गन्दे पानी को ठीक (treat) करने के लिये लगा लिया है जिसके फलस्वरूप फैक्ट्री का गन्दा पानी उचित रूप से ठीक होने के बाद ही नदी में गिरेगा ।

अवध शुगर मिल हरगांव सीतापुर से निकलने वाले गन्दे पानी का मान (standard) बोर्ड द्वारा ठीक नहीं पाया गया तथा उसे ठीक करने के लिये फैक्ट्री प्रबन्धकों को आदेश दिये गये । परन्तु उसे ठीक करने के लिये प्रबन्धकों ने अभी तक कोई उचित प्रबन्ध नहीं किये, अतः बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि फैक्ट्री के प्रबन्धकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि हरगांव फैक्ट्री के प्रबन्धकों के विरुद्ध कौन सी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्ट्री ऐक्ट के रूल १८ के मातहत यह बोर्ड बना है और उसकी धाराओं में दिया हुआ है कि अगर कोई आज्ञा न माने या निर्देश के विरुद्ध काम करे तो उस पर पेनल प्रावीजन्स लागू होंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन मिलों में यह मशीन नहीं लगायी गयी है और जिनका गंदा पानी वे नदियों में न गिरा कर इधर-उधर फैला देते हैं एक मील तक, उसके सम्बन्ध में बोर्ड ने कोई सुझाव दिये हैं कि उनके विरुद्ध सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। भिश्ती यूनियन, इटावा के अध्यक्ष का दिनांक १५ अप्रैल, १९६० के पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी।

*२१—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—क्योंकि उक्त पत्र अध्यक्ष नगरपालिका, इटावा को संबोधित था तथा प्रतिलिपि शासन को केवल सूचनार्थ भेजी गई थी, इसलिये इस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

*२२—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[हटा दिया गया।]

[श्री जंगबहादुर वर्मा, विधायक बाराबंकी का शिकायती-पत्र

*२४—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक, श्री जंगबहादुर, बाराबंकी, ने जिला बाराबंकी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में उनको माह सितम्बर व दिसम्बर, १९५९ के बीच कोई चिट्ठी लिखी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२५—**श्री अभयराम यादव** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस चिट्ठी की शिकायतों की जांच किसने की और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिकतर शिकायतें तत्कालीन कलेक्टर के संबंध में थी। इनकी जांच फैजाबाद के कमिश्नर द्वारा कराई गई थी। जांच में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया तथापि उससे यह प्रतीत हुआ कि बहुतेरी बातों में कलेक्टर ने विवेक से कार्य नहीं किया जिससे जन साधारण में गलत धारणा हो सकती थी। इसके लिये जांच के बाद कलेक्टर को चेतावनी दी गई थी।

श्री जंगबहादुर के पत्र में एक शिकायत श्री नाथूराम रावत, सदस्य विधान सभा के नवजात शिशु के इलाज के सिलसिले में जनाना अस्पताल की लापरवाही की थी। इसकी जांच निदेशक, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। जांच की रिपोर्ट से सरकार पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुई, इसलिये निदेशक को कुछ बातों पर पुनः जांच करके शीघ्र ही रिपोर्ट देने को आदेश दिये गये हैं।

*२६—**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया।]

जालौन जिले में लकड़बग्घों का आतंक

*२७—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को अथवा जिला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि कुछ महीनों से जिला जालौन में नरभक्षी लकड़बग्घों ने अनेक बालकों का भक्षण कर लिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२८—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन लकड़बग्घों की रोकथाम के लिये उसने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन लकड़बग्घों को नष्ट करने के लिये इटावा जिले से इनके शिकार में दक्ष शिकारियों को बुला कर लगा दिया गया है। ग्रामीणों को भी संगठित होकर इन पशुओं को नष्ट करने के लिये उत्साहित किया गया है। इन्हें नष्ट करने वालों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारितोषिक देने के लिये अब तक ५,४९० रुपये की धनराशि जिलाधीश, जालौन, के अधिकार में दी जा चुकी है।

इन प्रयासों के फलस्वरूप, जो अभी जारी है, सात मई से अब तक १९१ लकड़बग्घे मारे जा चुके हैं जिससे स्थिति काफी सुधर गई है।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लकड़बग्घों की वजह से कितने बालकों की जानें गयी हैं और कितने व्यक्ति घायल हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—घायलों की संख्या तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन बच्चे मारे गये–३३।

श्री मदन पांडेय—क्योंकि पी० ए० सी० बटालियन अब विश्वविद्यालय से खाली हो गयी है, तो क्या जहां इन लकड़बग्घों ने उत्पात मचा रखा है, वहां उन्हें भेजने के प्रश्न पर सरकार सोचने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोशिश की जा सकती है, बशर्ते कि विरोधी पक्ष के नेता लोग वहां बाधा डालने न पहुंच जायं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, लकड़बग्घों के सिलसिले में दो बार यहां प्रश्न हुए, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी योजना बनाने वाली है या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाली है जहां लकड़बग्घों को मारे जाने की ट्रेनिंग दी जा सके जिससे प्रदेश में इस भय को कम किया जा सके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन देहाती ग्रामीणों को लकड़बग्घों का मुकाबला करने के लिये उत्साहित किया जाता है, उनके उत्साहवर्द्धन के लिये सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ? या सिर्फ यही कहा गया है कि वे लाठियों से ही दौड़ कर उनको मार दें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ऐसी ऊल-जलूल बातें नहीं किया करती। सरकार को मालूम है कि देहातों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बन्दूकों के लाइसेंस हैं। उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि ऐसे मामले में वे अपनी बन्दूकों से काम लें।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले से बुलाकर शिकारियों द्वारा कितने लकड़बग्घे मारे गये और वहां की जनता द्वारा कितने मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका अलग-अलग ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

*२९–३०—श्री प्रतापसिंह—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कुदरहा के खण्ड-विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

*३१—श्री बालेश्वरप्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के कुदरहा के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अधिकांश क्षेत्रीय प्रधानों एवं सरपंचों द्वारा बहुत से गंभीर आरोप लगाकर विकास आयुक्त को कई प्रार्थना-पत्र दिये गये तथा तत्काल जांच का आदेश गत अप्रैल में देने पर भी और पुनः जून, १९६० में उनके द्वारा सरकारी जीप के गलत प्रयोग किये जाने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—केवल एक शिकायती-पत्र, जिस पर सरपंचों तथा अन्य केन्द्रीय प्रधानों के हस्ताक्षर थे, कुदरहा के खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात् जून, १९६० में उपरोक्त खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकारी जीप का दुरुपयोग करने की एक जबानी शिकायत भी जीप के ड्राइवर द्वारा जिला नियोजन अधिकारी से की गई थी। दोनों शिकायतों पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

श्री बालेश्वरप्रसाद सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खन्ड विकास अधिकारी और ड्राइवर के विरुद्ध जो जांच हो रही है वह कब तक सम्पन्न हो जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस बात की कोशिश हो रही है कि वह जांच जल्द से जल्द खत्म हो।

पर्चेजिंग कमेटी की अनुमति के बिना यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट द्वारा सामान का क्रय

*३२—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९६० से १५ जून, १९६० तक गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स द्वारा बेंत और बनारसी सिल्केन सामान अलग-अलग मूल्य का कब-कब और कितने-कितने का खरीदा गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१ जनवरी, सन् १९६० से १५ जून, १९६० तक गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट्स द्वारा २२,००२ रुपये ३३ नये पैसे के मूल्य का बनारसी सिल्क का सामान तथा ३,९०२ रु० ३५ नये पैसे के मूल्य का बेंत का सामान क्रय किया गया। विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७११ पर)

*३३—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १ जनवरी, १९६० से १५ जून, १९६० तक बेंत और बनारसी सिल्केन सामान की खरीद के संबंध में गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को कितना धन टी० ए० व डी० ए० के रूप में किन-किन कर्मचारियों के ऊपर वहन करना पड़ा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस संबंध में कोई भी धन टी० ए० तथा डी० ए० के रूप में किसी कर्मचारी पर गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को वहन नहीं करना पड़ा।

*३४—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उपर्युक्त सामान पर्चेजिंग कमेटी, गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की राय से खरीदा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चूंकि पर्चेजिंग कमेटी की बैठक उपरोक्त समय में नहीं हुई थी, कुछ सामान, जिसका क्रय करना नितान्त आवश्यक था, पर्चेज कमेटी की अनुमति के बगैर क्रय कर लिया गया था।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को है कि ६-१-६० से २-५-६० तक २४ बार में खरीदारी की गई है और इस बीच में इस खरीदारी के विषय में कभी पर्चेजिंग, कमेटी से भी सलाह ली गई थी ? और इस बीच में उक्त कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उस पर्चेजिंग कमेटी में हमारे कई अफसर हैं और बदकिस्मती से जनवरी, सन् १९६० से जून, सन् १९६० तक कोई मीटिंग उसकी न हो सकी और इसी कारण यह प्रश्न उस कमेटी के सामने नहीं गया, लेकिन जो सामान खरीदा गया उसमें से बहुत-सा सामान ऐसा था जिसका मूल्य पहले ही पर्चेजिंग कमेटी निर्धारित कर चुकी थी और उस ग्राहक ने दिल्ली से ज्यादा माल खरीदा वह पुराने एकोनामिक मूल्य पर खरीदा गया। अब सब मसला कमेटी के सामने जाय ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।

श्री गेंदासिंह---जो माल खरीदा गया उसके मूल्य को इस कमेटी ने स्वीकार किया और क्या वह रिपोर्ट सरकार के सामने आई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने कहा कि इसकी व्यवस्था कर दी गई है कि वह उस कमेटी के सामने आये, इसकी सूचना नहीं है कि पर्चेजिंग कमेटी ने स्वीकार किया या नहीं लेकिन अगर वह स्वीकार नहीं करेगी तो निश्चय ही सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जो उचित होगी वह की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खरीदारी की गई वह वास्तविक रूप से ऐज ए स्पेशल केस में की गई या उन अधिकारियों को अधिकार है कि पर्चेजिंग कमेटी की बैठक न होने पर बीच में वह खरीदारी कर लिया करें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक पर्चेजिंग कमेटी और दूसरी पर्चेजिंग कमेटी के बीच में जो समय है, हर तीसरे महीने पर्चेजिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिये। नियम यह है कि जब तक दूसरी कमेटी न आवे तब तक पहली कमेटी चलेगी। इस मामले में जो चीजें हैं उनके जो पहले दाम थे वही रखे गये हैं।

संचालक, उद्योग-विभाग के कार्यालय लिपिक, श्री भदौरिया की आत्महत्या

*३५---**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री मदन पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि संचालक, उद्योग विभाग के कार्यालय के एकाउन्ट्स सेक्शन के एक लिपिक ने हाल में आत्महत्या कर ली ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

*३६---**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री मदन पांडेय**---क्या यह भी सत्य है कि उक्त लिपिक आत्महत्या के पहले एक पत्र लिख कर छोड़ गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी हां।

(ख) कथित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१२ पर)

*३७---**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री मदन पांडेय**---क्या यह भी सत्य है कि उक्त कार्यालय के एक दूसरे लिपिक ने पांच साल पहले आत्महत्या कर ली थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

श्री गौरीशंकर राय---मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि श्री भदौरिया जो उद्योग संचालक के कार्यालय में लिपिक थे उन्होंने अपनी आत्महत्या के समय जो पत्र छोड़ा है उसमें उन्होंने कार्यालय के तृतीय श्रेणी के साथ अधिकारियों के अन्याय, तानाशाही आदि की चर्चा की है ? क्या सरकार ने इन सभी बातों की जांच करायी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो पत्र श्री भदौरिया के मृतक शरीर के कपड़ों में निकला है उसमें यह बातें लिखी हुई हैं। हमने इसकी जांच को जिलाधीश और एस० एस० पी० को सुपुर्द कर दिया है कि वह पूरी जांच करें और वह कर भी रहे हैं कि यह पत्र उनका लिखा हुआ है या नहीं। और अगर लिखा है तो किन कारणों से लिखा है। जब जांच की पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तभी कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय---यह देखते हुए कि उद्योग विभाग के बड़े अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है और यह भी देखते हुए कि इसी विभाग के एक और लिपिक ५ साल पहले आत्महत्या कर चुके हैं क्या सरकार इस सारे मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---५ साल पहले हुई आत्महत्या का जो लांछन लगाया गया उसके सम्बन्ध में तो यह कहना है कि उन पर गबन का मामला थ जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की, और यह बात निश्चित हो चुकी है इसलिये उसका जिक्र तो माननीय सदस्य ने बेकार किया।

जहां तक इस मृत्यु का जिक्र है हमने स्वयं इस बात को देखते हुए जिलाधिकारी और एस० एस० पी० को यह मामला दे दिया है। हमारे संचालक ने भी स्वयं कहा था कि चूंकि यह हमारे विभाग से संबंधित है इसलिये सरकार अगर जिलाधीश से जांच करवाये तो उचित होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री जी बतायेंगे जिस लिपिक ने आत्महत्या कर ली है तो आत्महत्या के पूर्व उन्होंने विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कभी कोई शिकायती-पत्र दिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, विभाग की जितनी सूचना है उसके मुताबिक न तो उनको कभी कोई चार्ज शीट दी गई, न कोई बैड इंट्री दी गई, न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, न उनकी छुट्टी की दरख्वास्त नामंजूर की गई। अब इससे तो स्पष्ट हो सकता है कि कारण कुछ और ही हो।

*३८---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

चित्रकूट नगरपालिका को विकास के लिए अनुदान

*३९---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने १९५९-६० में चित्रकूट, (बांदा) नगरपालिका को कस्बे के विकास के लिये कितना-कितना रुपया किस-किस मद में दिया था और वह खर्च हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७१३ पर)

*४०---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४१---**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)---[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न ३७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में गिरफ्तार व्यक्ति की गोरखपुर जेल में कथित मृत्यु

*४४--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर), श्री मदन पांडेय तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में प्रदेश में कुल कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुल १,१४१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

*४५--श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मदन पांडेय तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गिरफ्तार व्यक्तियों में से १३-७-६० को गोरखपुर जिला जेल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कैसे मृत्यु हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*४६--श्री गज्जूराम--[७ सितम्बर, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

कवाल नगरों में निर्माण-कार्य विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन

*४७--श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'कवाल' नगरों में रेगुलेशन आफ बिल्डिंग ऐक्ट लागू करने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के प्रमुख नगरों तथा अन्य कतिपय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा साथ ही सर्वसाधारण की सुख-सुविधा तथा नियोजन के सिद्धान्तों के विपरीत निर्माण तथा भूमि प्रयोग के प्रयत्नों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५८ में निर्माण कार्य आदि के विनियमन की उचित व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम पारित किया, तदुपरान्त 'कवाल' नगरों तथा अन्य कई नगरों में उक्त परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्यों के विनियमन की नितान्त आवश्यकता को ध्यान में रख कर उ० प्र० (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम को वहां लागू किया।

*४८--श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत कितने व्यक्ति प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--लखनऊ नगर में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत केवल मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर महापालिका 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' का कार्य कर रहे हैं।

*४९--श्री विश्रामराय--[हटा दिया गया।]

ग्राम सभाओं, पंचायत इन्स्पेक्टरों, विकास-खण्डों का गठन

*५०--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभाओं और पंचायत इंस्पेक्टरों के क्षेत्रों एवं विकास-खंडों के पुनर्गठन की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

*५१-५३--आचार्य दीपंकर--[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

टाउन एरिया, धौरहरा कलां, के चेयरमैन का चुनाव

*५४—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या यह ठीक है कि टाउन एरिया, धौरहरा कलां, जिला खीरी, के चेयरमैन के मई-जून, १९६० में चुनाव के सम्बन्ध में नामांकन-पत्र दाखिल करने, निरीक्षण करने, वापस करने तथा चुनाव की तिथियों में सरकार ने परिवर्तन किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*५५—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि यह सत्य है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक बांकेलाल नामक व्यक्ति की हत्या किये जाने के फलस्वरूप टाउन एरिया क्षेत्र में काफी गड़बड़ी व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी भी शिकायत सरकार के पास आई कि लोगों को नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने आते समय रास्ते में बलपूर्वक रोका गया। वास्तव में केवल दो ही नामांकन-पत्र भी दाखिल हुये थे। इन गम्भीर परिस्थितियों में निर्वाचन की तिथियों में परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ।

*५६—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहले निश्चित की गई नामांकन-पत्र दाखिल करने की तिथि पर कितने व्यक्तियों ने नामांकन-पत्र दाखिल किये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल दो व्यक्तियों ने अपने नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किये थे—एक ने चेयरमैन के पद के लिये तथा दूसरे ने वार्ड संख्या २ में ३ सदस्यों के स्थानों में से केवल एक स्थान के लिये।

*५७-५८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५९-६०—श्रीमती शकुन्तलादेवी—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६१—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६२—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[७ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

उत्तराखंड-अर्थ-व्यवस्था-सुधार योजना

*६३—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या तिब्बती सीमावर्ती यू० पी० के उत्तराखंड या कुमायूं डिवीजनों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है ? अगर हां, तो उसका आकार व स्वरूप क्या है व उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तिब्बती सीमावर्ती यू० पी० में अब कुमायूं डिवीजन का कोई भाग नहीं आता। उत्तराखंड डिवीजन की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के हेतु राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानतः ४९८.९० लाख रुपया व्यय करने का प्रस्ताव था जिसमें विभिन्न विभागों की योजनायें सम्मिलित थीं। उपर्युक्त योजनाओं के कुछ भाग को भारत सरकार की स्वीकृति से कार्यान्वित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा शेष भाग की स्वीकृति विचाराधीन है।

विभिन्न उद्योगों के लिए सहायता

*६४--श्री हरकेशबहादुर--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में और १९६०-६१ में जून, १९६० तक सरकार ने प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में कितना रुपया कर्जा, तकावी, अनुदान तथा अनुदान के रूप में उद्योग कायम करने के लिये दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

मनकापुर के दरोगा द्वारा श्री नागेश्वर को पिटवाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--मैंने माननीय बलदेव सिंह द्वारा माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षणार्थ दिये गये विषय को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है :

"दिनांक १४ और १५ अगस्त की रात में मनकापुर के दरोगा ने श्री नागेश्वर ब्राह्मण को कांस्टेबिल और चौकीदारों से इस कारण बुरी तरह पिटवाया कि उक्त दरोगा के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट करने के अभियोग में दावा दायर कर दिया था। श्री नागेश्वर को मृत प्राय अवस्था में उसके सम्बन्धी गोंडा चिकित्सालय ले गये। तब सिविल सर्जन ने उसका अन्तिम बयान (dying declaration) करवाया। मनकापुर थाने की पुलिस के इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार से समस्त गोंडा जनपद में गम्भीर असन्तोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो गया है।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इसके सम्बन्ध में तो सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--तो कब आप वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सोमवार को दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत पिछले कई दिनों से मैं खजुरिया में हुए दंगे के बारे में...

श्री अध्यक्ष--एक दिन में मैं एक ही तो ले सकता हूं। आप मेरे कमरे में मुझसे मिल लें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)-- श्रीमन्, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पश्चिमी जिलों में जो प्रलय हो रही है, रास्ते बन्द हो रहे हैं, चारा सब खत्म हो गया है.....

श्री अध्यक्ष--आप कल दीजियेगा।

फीरोजाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी तथा गौरीशंकर राय जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत जो ध्यान आकर्षित किया था उसके लिये गृह-मंत्री जी अब आज वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जो सूचना प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है कि १२ अगस्त को फीरोजाबाद के शहर में वहां के मुख्य बाजार में करीब पौने ११ बजे दंगा हुआ जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इस फायरिंग में दो व्यक्ति मारे गये और कुछ घायल हुए। साथ ही साथ वहां कुछ ढेलेबाजी भी हुई जिसके फलस्वरूप

१६ दूसरे आदमियों को भी चोट आई जिसमें कुछ पलिस वाले भी थे। सारे झगड़े की जड़ तथा बुनियाद यह है कि वहां एक मस्जिद है जिसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ था और उससे ही लोग मस्जिद में आया जाया करते थे नमाज इत्यादि के लिये। दो तीन साल पहले उस मस्जिद के ट्रस्टियों ने पूर्व की तरफ मस्जिद से सटी हुई एक इमारत खरीदी थी और उस इमारत को दो तीन साल के बाद बाहर की बाउंडरी को छोड़ कर ढाया गया और मस्जिद के पूर्व की तरफ दीवार के भीतर एक लम्बा चौड़ा बहुत अच्छा दरवाजा बनाने की कार्यवाही शुरू की गयी। पुराने मकान की जो दीवार है वह करीब साढ़े ११ फीट ऊंची है, उसके भीतर वह दरवाजा बनाया जा रहा था। मस्जिद में पूर्व की तरफ जब दरवाजे की तामीर साढ़े ११ फुट के ऊपर, करीब १२ फुट पहुंची तो बाहर से वह दिखाई दिया कि इस तरफ एक दरवाजा बनाया जा रहा है। अब पूर्व की तरफ जिधर यह दरवाजा बनाया जा रहा था यह नयी तामीर थी। उस तरफ दरवाजा था नहीं। उस गली में पूर्व की तरफ हिन्दुओं के कुछ मन्दिर हैं।

मस्जिद के पूर्वी कोने पर मस्जिद की जो दीवार खड़ी थी जिसके भीतर नया दरवाजा बन रहा था उससे सटी हुई जैन कन्या पाठशाला है और दूसरे जैन मन्दिर भी है। एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है जैन महामुनि विष्णु दिगम्बर जी महाराज का। ५०० वर्ष पुराना मन्दिर है। उस मन्दिर में जो मूर्ति है वह नीलम की बनी हुई है और बहुत दूर-दूर से जैन यात्री वहां आते हैं। चन्द्र महाप्रभु का वह मन्दिर कहलाता है। कोई राजा थे वहां चन्द्रसेन जिन्होंने उसे बनवाया था।

साथ ही साथ मन्दिर के पूर्वी कोने पर बिहारीलाल, हनुमान मन्दिर हैं और यह कन्या पाठशाला है। जब यह दिखाई पड़ा दरवाजा भीतर बनता हुआ तो हिन्दुओं तथा जैन धर्मावलम्बियों में कुछ विरोध सा उत्पन्न हुआ, उत्तेजना फैली और उनका ऐसा खयाल था कि यदि यह दरवाजा बढ़ा कर दीवार हटा दी गयी तो जो दरवाजा पहले छिपा हुआ था वह सामने दिखाई देने लगेगा। दरवाजा बहुत लम्बा चौड़ा बन रहा है। उसका नक्शा अगर आप देखें तो करीब ३३ फुट ऊंचा दरवाजा बनेगा। तो यह दरवाजा जब बनेगा तो यह मस्जिद में आने-जाने का मार्ग हो जायगा और अगर इधर से जाने आने का रास्ता हो जायगा तो इतने मन्दिर हैं और यह कन्या पाठशाला है, जैन मन्दिर हैं इनमें झगड़ा पड़ेगा और साथ ही साथ उनको इस बात की भी एक शिकायत हुई कि उस दीवार से, जिस दीवार को खड़ा रख कर भीतर दरवाजा बनाया जा रहा था, उससे सटे हुए कुछ पाखाने बनाये थे मस्जिद के लोगों ने और वह पाखाने कन्या पाठशाला की दीवार से बिल्कुल सटे हुये थे। इस पर उन लोगों को कुछ विरोध हुआ। ३ अगस्त को दरवाजे की इमारत ऊपर दिखायी पड़ी। उसी दिन उत्तेजना फैली और करीब ५०० आदमियों की भीड़ ३ अगस्त को पूर्वी दरवाजे पर जो मस्जिद का बन रहा था वहां इकट्ठी हुई। कुछ लोगों के समझाने बुझाने से वह भीड़ वहां से चली गयी।

दूसरे दिन कुछ हिन्दुओं ने एस० डी० एम० की अदालत में एक दरख्वास्त दी और यह कहा कि इस तरह से जो यह दरवाजा बनाया जा रहा है यह अनुचित है, इसकी कोई मन्जूरी भी नहीं ली गई है और भीतर ही भीतर चुपके से यह बनाया गया। इसके होने से हमारे मन्दिर और कन्या पाठशाला की तरफ एक नया रास्ता कायम होगा जिससे कभी उपद्रव होने का डर रहेगा। इसलिये इसको रोका जाय। एस० डी० ओ० ने दफा १४४ लगा दी जिसमें उन्होंने हुक्म दिया मस्जिद के लोगों को कि जो यह दिवाल खड़ी है उसको अब गिराइयेगा मत और जो आपने पाखाने बनाये हैं उनके जो दरवाजे हैं उनको भी इधर मत खोलियेगा, जैसे के तैसे बन्द रहने दीजिये और कोई नयी तामीर अब न की जाय, दरवाजे का बनाना भी इधर रोक दिया जाय। यह दफा १४४ की नोटिस उन्होंने मस्जिद के ट्रस्टीज पर जारी की और एस० डी० एम० ने इंस्पेक्शन के लिये भी १२ अगस्त की तारीख रखी कि हम मौके पर चल कर जांच करेंगे। ६ तारीख को

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मस्जिद के लोगों की तरफ से भी एक दरख्वास्त एस० डी० एम० की अदालत में पड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये सब अभियोग लगाये गये हैं ये झूठे हैं, इसमें न कोई ब्रीच आफ पीस का डर है, यह जगह हमारी है, हम इसमें दरवाजा बना रहे हैं और इतना लम्बा चौड़ा दरवाजा बनेगा, इसमें रुकावट डालने का इनको कोई हक नहीं है । ये लोग वहां के डी० एम० से भी मिले । उधर हिन्दुओं में उत्तेजना फैली और हिन्दुओं की एक आध नोटिसें भी निकलीं जिनमें यह अपील की गई थी कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने के लिये छिपे-छिपे कार्यवाही हो रही है, अधिकारी उसको रोकें और देखें । इस नोटिस को भी उन्होंने कलेक्टर को दिखाया । बहर-हाल, कलेक्टर ने फिर १० तारीख इंस्पेक्शन के लिये रखी । एस० डी० एम० ने १२ तारीख रखी थी लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, जल्दी से इसका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिये और १० तारीख नियत की और १० तारीख को एस० डी० एम० वहां गये । उन्होंने दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की और कहा कि आपस में आप लोगों का समझौता हो जाना चाहिये । उनकी बात मान कर एक कमेटी वहां बनी जिसमें दोनों ओर के प्रतिनिधि हुये ।

प्रातःकाल ११ तारीख को साढ़े ९ बजे के करीब एस० डी० एम० ने मौके की जांच की और कहा कि जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है यह आपस में कोई फैसला कर लें ताकि आगे किसी तरह का झगड़ा न रहे । उस कमेटी की मीटिंग रात को साढ़े ८ बजे शुरू हुई और १२ बजे रात तक होती रही । कहा यह जाता है कि जब दस्तखत करने का वक्त आया तो उनमें से जो प्रतिनिधि चुन कर गये थे, एक हिन्दू जो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री टुंडामल जी उन्होंने और एक मुसलमान जो मस्जिद का ट्रस्टी था, उन दोनों ने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा कि हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे । यह ११ तारीख की रात की बात है । अब यह डर पैदा हुआ कि कोई समझौता नहीं हो सकेगा । हड़ताल वगैरह का नोटिस पहले से निकल गया था कि १२ तारीख को हड़ताल होगी । एस० डी० एम० ने कहा था कि इस नोटिस को वापस ले लो और मिल जुल कर समझौता हो जाय, ऐसा किया जाय, इसके लिये एक सुलहनामे की आवश्यकता थी । लेकिन १२ बजे तीन आदमी इधर के और तीन आदमी उधर के इन्होंने इंकार कर दिया । अब १२ तारीख को प्रातःकाल श्री बालकृष्ण गुप्ता ने जिनके घर पर कमेटी की बैठक हुई थी और हजारीमल जी जैन ने इस बात की कोशिश की कि दस्तखत कराये जायं । लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया । न इन्होंने माना और न उन्होंने ही उनकी बात मानी । अब उत्तेजना फैली और ८-३० बजे के करीब छोटे बच्चों का एक जलूस आया, पुस्तकें लिये हुये और मस्जिद के पूर्वी दरवाजे पर लड़के इकट्ठे हुये । फिर थोड़ी देर के बाद बड़े लड़कों का जलूस आया, पुस्तकें लिये हुये था और ऐसा मालूम होता था कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं । उन्होंने वहां इकट्ठा होकर नारे लगाना शुरू किया "यह हिन्दू धर्म पर कुठाराघात है" "दरवाजा बन्द करो" ।

एस० डी० एम० और सर्किल आफिसर को पता लगा तो यह मस्जिद पर पहुंचे और लड़कों को देखा तो उनको डांटा, ४००-५०० बच्चे इकट्ठा हो गये थे । उन्होंने कहा कि यहां से चले जाओ । शायद बच्चों की ओर से ढेले भी फेंके गये । इसी बीच इनको खबर लगी कि एक बहुत बड़ा मजमा दूसरी तरफ से, बाजार से होता हुआ मस्जिद पर आ रहा है और वह दूसरे वर्ग का मजमा था । यह जब उनको पता लगा तो उनका खयाल हुआ कि अगर कहीं यह मजमा भी इसके साथ हो गया तो बहुत भारी झगड़ा हो जायगा । जो कुछ पुलिस मौजूद थी उसको लेकर वह गये । इमामबाड़ा है, वहां और चौराहे पर काफी भीड़ थी । उन्होंने जाकर मजमें को रोका । मजमें के पास लाठी सोटा, भाले इत्यादि भी थे और शायद लोग बहुत गुस्से में थे और शायद अफवाह फैल गई होगी कि मस्जिद पर धावा कर दिया है । ए० डी० एम० ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब सुरक्षित है । आप लोग वापस जाइये । कोई दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है । इस पर वह नाराज हुये और रिपोर्ट में यह है कि इमामबाड़े की तरफ से किसी ने गोली चलाई, बंदूक चलाई और ढेलेबाजी शुरू हुई । इससे १६, १८ आदमियों

के चोटें भी आईं। पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। वह हटे नहीं बल्कि कुछ दूकानें लूटीं और आगे बढ़ गये। यह देखकर कि मजमा हटने वाला नहीं है और दूसरी तरफ भीड़ जमा होने लगी है और यह सुनकर कि एक और मजमा आने वाला है, उन्होंने उसको डिसपर्स करने के लिये गोली चलाई। चार राउंड गोली चलाई गई। जो लोग घायल हुये वे अस्पताल पहुंचाये गये। दो की मौतें हो गईं; बाकी की हालत रिपोर्ट से मालूम होता है कि अच्छी हो रही है। गोली चली, मजमा हट गया। यह लोग फिर लौटे और यह देखकर कि कुछ दूकानें लूटी हैं, दूसरी तरफ भी दूकानें लूटी गईं। दस एक तरफ और दस ग्यारह दूसरी तरफ लूटी गईं। बहरहाल, पुलिस फोर्स वहां पहुंच गया। डी० आई० जी० और कलेक्टर वगैरह वहां पहुंच गये और मामला ठंडा हो गया और वहां शान्ति हो गई।

यह १२ तारीख की घटना है ११, पौने ग्यारह बजे की। कलेक्टर के पास उसके बाद दोनों कम्युनिटीज के लोग मिल जुल कर गये और बातचीत हुई १३ तारीख को। हां, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं, ३६ दफा १४७, १४८, ३३२, ३३४, १०७, ११७, १५१, आई० पी० सी० के मातहत। तो कलेक्टर के सामने १३ तारीख को कुछ हिन्दू और कुछ मुसलमान लोग आये और उन्होंने उनसे कहा कि यह बड़ी दुखद घटना हुई। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुये थे उनको उन्होंने जमानत पर छोड़ दिया। वे छूटे हुये हैं। इन लोगों ने मिल करके समझौता कर लिया है और उन सबों ने जो पहली समिति के सामने समझौते का मस्विदा था और जिसको दो आदमियों ने दस्तखत नहीं किये थे, सबने उसको मंजूर कर लिया। अब उसके बाद वहां शांन्ति तब से रही है। १५ तारीख को स्वतंत्रता दिवस का भी और १४ तारीख को जन्माष्टमी का भी जलूस निकला और अब वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब २ अगस्त को पहली बार यह विवाद शुरू हुआ तो २ से लेकर ८ अगस्त तक के बीच में वहां के एस० डी० एम० ने या स्थानीय अधिकारियों ने कोई समझौता कराने की कोशिश की और पहले दो से आठ तक कोई समझौता कराने की कोशिश क्यों नहीं की?

श्री अध्यक्ष—वह तो इसको नहीं बता सकेंगे क्योंकि उन्होंने तो एक स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स दिया है। अधिकारियों ने समझौते की पहले कोशिश क्यों नहीं की, यह नया प्रश्न होगा जिसका जवाब वह नहीं दे सकेंगे। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह हुआ या नहीं, यानी २ से ८ तक अधिकारियों के द्वारा समझौता कराने की कोशिश हुई या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहा कि २ अगस्त को नहीं, ३ अगस्त को यह बात हुई कि जब दरवाजा दिखलाई पड़ा बाहर से और जो दीवाल साढ़े ग्यारह फुट थी वह थोड़ी सी ढहाई गई वह जब कुछ दिखाई पड़ी तो शाम को चार-पांच सौ आदमी इकट्ठे हुये। उस वक्त उन्होंने समझा-बुझा कर भीड़ को हटा दिया। फिर एस० डी० एम० को कुछ आदमियों ने दरख्वास्त दिया कि इस तरह की तामीर बिना इजाजत गिरा रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि जहां कभी रास्ता नहीं था वहां रास्ता मन्दिर और पाठशाला के सामने बनाया जायगा और उससे गड़बड़ी पैदा हो जायगी। उस समय से १४४ लगी हुई है। मैंने निवेदन किया कि ६ तारीख को दूसरी ओर से एक दरख्वास्त पड़ी कि यह जो फाटक लगाया जा रहा है यहां किसी ब्रीच आफ पीस वगैरह होने की इससे गुंजायश नहीं है। उस दरवाजे को हम अपने कम्पाउन्ड के अन्दर बना रहे हैं और उनको इसमें रुकावट करने का कोई अधिकार नहीं है। वे कलेक्टर से भी मिले और कलेक्टर ने निश्चय किया कि अब एस० डी० एम० १० तारीख को लोकली इंस्पैक्ट करें और तब तक न तो इसमें कोई तामीर हो, न कोई चीज गिरायी जाय और न कोई चीज बढ़ाई जाय। एस० डी० एम० ने इंस्पैक्ट करने के बाद कोशिश की कि समझौता हो जाय और आगे झगड़ा बढ़ने न पाये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब २ तारीख के बाद उनको मालूम हो गया था उन्होंने तब उसके बाद ८ तारीख तक स्वयं कोई समझौता कराने की कोशिश की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि समझौता कराने का प्रश्न नहीं था; कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न था और जिलाधीश ने, जो मौके पर ठीक समझा, वह कार्यवाही बराबर होती रही ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस की गोली से २ आदमी मारे गये और माननीय गृह मंत्री सदन में यह आश्वासन दे चुके हैं कि जब पुलिस की गोली से मृत्युयें हों तो जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग को तो वह स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन ऐसे मामलों में वे डिवीजनल कमिश्नर से इन्क्वायरी करा देंगे तो क्या इस मामले में भी किसी बाहर के या वहीं के डिवीजनल कमिश्नर से इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है । संभवतः आज ही कल में निश्चय भी हो जायगा । ऐसे तो कानूनन मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता है। लेकिन चूंकि वहां मेजिस्ट्रेट लोग मौजूद थे, स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, इसलिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इसकी इन्क्वायरी कमिश्नर से शीघ्र से शीघ्र करा ली जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस झगड़े से जो आपस में कटुता वहां फैल गई है उसको ध्यान में रखते हुए वहां सरकार फिर से शान्ति और सद्भावना स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न करेगी या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार का तो हमेशा ही यह प्रयत्न रहता है कि शान्ति और सद्भावना आपस में वहां हो और आदरणीय पालीवाल जी का तो वह जिला ही है, उनका सहयोग प्राप्त होगा तो अवश्य ही वहां शान्ति और सद्भावना स्थापित हो जायगी । और इस समय में भी, मैं स्वयं आगरे गया था थोड़ी देर के लिये, मथुरा जाते हुए और आते हुए भी दो दो घंटे के लिये रुका था जो रिपोर्ट मुझे वहां मिली उससे पता चला कि आना जाना काम धंधा सब शुरू है और केसेज जो हैं उनमें भी जो लोग पकड़े गये थे उनको बेल आउट कर दिया है। दोनों तरफ के मुख्य-मुख्य लोगों की तरफ से यह प्रयास है कि किसी तरह की कटुता आपस में न रहे । तो प्रयास हो रहा है ।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिस दरवाजे के मुताल्लिक उन्होंने अपने बयान में फरमाया है वह २ अगस्त को मुकम्मिल हो चुका था और ४ अगस्त को वह दीवार उठ चुकी थी जिसमें आज भी दो दरवाजे लगे हुए हैं और उसको पुलिस ने बगैर किसी अदालत के हुक्म के उठाये जाने से रोका ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि ४ तारीख को एस० डी० एम० की अदालत में जब दरख्वास्त पड़ी तब, मान्यवर, उन्होंने १४४ लगाकर और किसी तरह की तामीर को रोका और यह भी मैं निवेदन कर दूं कि जो दरवाजा भीतर बनाया जा रहा था वह बिना किसी इजाजत के था, बिना किसी प्लान के था, कहीं से भी उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े से पूर्व ही जनता द्वारा निर्वाचित जो पांच प्रतिनिधि थे उन्होंने इस दरवाजे को बन्द करने के लिये कोई समझौता आपस में कर लिया था और उस पर तीन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, समझौता वहां यही हुआ था कि यह दरवाजा बन्द रखा जायगा और वह जो पाखाने हैं वह पाखाने वहां से जल्द से जल्द हटा दिये जायेंगे क्योंकि वह कन्या पाठशाला और मंदिर की दीवार से लगे हुए पाखाने हैं और तीसरी शर्त यह थी कि जो बिल्डिंग खरीदी है मास्क ने, जिसमें पहले से एक छोटा-सा दरवाजा रहा है, वह दरवाजा जैसे का तैसा बना रहे ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस की फायरिंग के पूर्व क्या पुलिस के डी० एस० पी० और कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । मैंने निवेदन किया कि जो ढेले वगैरह चले उसमें १६ आदमी घायल हुए जिसमें पुलिस वाले भी ५ थे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ अगस्त को जो झगड़ा हुआ उसके पहले फीरोजाबाद के कुछ सम्भ्रान्त नागरिकों ने वहां के जिला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी थी कि यहां के वातावरण में तनाव है और कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२ तारीख से पहले कोई इस तरह की सूचना दी हो तो उसका तो मुझे पता नहीं है और न रिपोर्ट से ही मालूम होता है । यह जरुर मालूम होता है कि वहां के लोगों को यह अन्दाज था कि यहां पाखाना बना हुआ है । प्रयोग में भी आता था वह। उससे कन्या पाठशाला में और वहां, जहां कि जैन धर्मावलम्बियों का शास्त्रीय प्रवचन होता है, उसमें उससे बाधा पड़ती थी । इस विषय में उन्होंने सरकारी अधिकारियों से यह जरुर कहा था कि पाखाने वगैरह को हटाने की जरुरत है और उसकी उन्होंने जांच पड़ताल भी की थी । वह तो मामला चल रहा था ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को इस बात की सूचना अथवा शिकायत मिली है कि जब मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही थी , उस समय वहां पुलिस की टुकड़ी खड़ी थी लेकिन उसने कोई भी कार्यवाही नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उसने कार्यवाही की थी । उन छोटे-छोटे बच्चों ने ढेले फेंके थे । वह स्कूल के बच्चे लगभग ३०० , ४०० की तादाद में थे । उनको उसने वहां से हटाया । कुछ लड़कों ने हटने से इन्कार किया तो उनको धमकी दी गई । यद्यपि मस्जिद में ढेले फेंके गये और थोड़ी सी दीवार भी गिराई गई फिर भी कोई विशेष बात नहीं होने पाई । मस्जिद के कंगूरे को आघात पहुंचाया गया लेकिन उस सब को रोका गया ।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—क्या मंत्री जी यह फरमायेंगे कि मस्जिद का इन बलवाइयों ने कितना नुकसान कर दिया ? किन-किन चीजों को तोड़ा और कितनी कीमत का नुकसान किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जैसा कि मैंने निवेदन किया, एक तो कंगूरे मस्जिद के तोड़े गये और कुछ थोड़ा सा दीवार को भी नुकसान पहुंचाया गया । मस्जिद में कितना नुकसान हुआ, यह तो शायद मैं इस समय बता नहीं सकूंगा । उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है । जहां तक मेरा खयाल है, जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें चार हजार का नुकसान बतलाया गया है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि फायरिंग के समय जब फायरिंग हुई तो गोली चलाने वालों की तरफ से कोई सावधान नहीं किया गया था और जिन लोगों को गोली लगी है उनके कमर से ऊपर गोली लगी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कई बार उनको सावधान किया गया। बावजूद इसके भी ढेले फेंके गये। बारबार उनको कहा गया। पहले एक राउन्ड फायरिंग की गई कि वे हट जायं। वे नहीं हटे और कहा कि दौड़ कर पुलिसवालों पर कब्जा कर लो। तब उसके बाद गोली चलाई गई।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १०७, ११७ और १५१ का उन्होंने जिक्र किया, ये धारायें बलवा और झगड़े को रोकने के लिये पुलिस प्रयोग में लाती है और पहले से कार्यवाही करती है। तो इस केस में २ तारीख से १२ तक झगड़े का वातावरण रहा तो किन कारणों से इन धाराओं के अनुसार पहले से कुछ गिरफ्तारियां करके इस दंगे को होने से रोका नहीं गया?

श्री अध्यक्ष—यह कानूनी प्रश्न है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने, चाहे वे जामा मस्जिद के ट्रस्टी हों या अन्य कोई व्यक्ति हों, जिन्होंने एक नया दरवाजा बनाने की अनधिकार चेष्टा करके फीरोजाबाद में शांति व्यवस्था भंग की, सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है अथवा की है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—मंत्री जी ने फरमाया कि इमामबाड़े के पास वह जलूस पहुंचा तो क्या वह जलूस उस मस्जिद को बाइपास करके पहुंचा या वह बीच में मुसलमानों के मुहल्ले से उठकर इमामबाड़े की तरफ आगे बढ़ गया, अगर ऐसा है तो पुलिस ने उसको रोकने के लिये कोई कोशिश की? और उस मस्जिद से इस इमामबाड़े के बीच का कितना फासला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इमामबाड़े पर जो जलूस पहुंचा वह मस्जिद की तरफ से नहीं आया। वह दूसरी ओर से आया और मस्जिद की तरफ जा रहा था। उसको वहीं बीच में रोका गया।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—यह जो इमामबाड़े पर जलूस पहुंचा यह किस तरफ से पहुंचा? यह उस मस्जिद की तरफ से वहां पहुंचा या किसी और साइड से वहां आया, इसको बतलायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें उन्होंने लिखा है कि "S.D.M. and the Circle Officer of the Police who were present on the spot tried to persuade the crowd to disperse. Meanwhile a large Muslim crowd also collected at some distance and began to approach the Mosque. The S. D. M. and the Police Officer immediately went and intercepted this mass crowd which was armed with *lathis*, spears and other weapons..... and became violent."

तो इससे मालूम होता है कि दूसरी साइड से वह आ रहे थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—जिस समय पुलिस अधिकारी फिर इमामबाड़े की तरफ चले गये तो कितनी पुलिस वे मस्जिद और जैन मंदिर की रक्षा के लिये छोड़ गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां सर्किल इंस्पेक्टर को छोड़ा था उन्होंने।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पुलिस कितनी थी वहां पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इतने डिटेल में इनफार्मेशन यहां नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब झगड़े की शुरुआत हुई थी तब से लेकर १२ तारीख तक के बीच में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसे तो जो आदमी वहां इंतजाम करता है समझ सकता है। यह स्थानीय मामला है और जैसी आवश्यकता उन्होंने समझी वैसा किया।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय मंत्री जी के बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जो दरवाजा बनाया गया था उसके सामने जो दीवार थी वह किसने तोड़ी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह खुद उन्होंने तोड़ी, मस्जिद के जो लोग थे जिन्होंने कि भीतर का दरवाजा बनाया था और सामने दीवार खड़ी की थी। दरवाजा करीब करीब कम्पलीट था और सामने की दीवार उन्होंने गिरायी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी के पास जो सामग्री है क्या वह उसके आधार पर बतला सकेंगे कि यह दरवाजा बनाना आवश्यक था या अनावश्यक ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मंत्री जी जैसा कि स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि जिधर नया दरवाजा बना है उधर मंदिर भी है और पाठशाला भी है और छोटी छोटी कन्यायें पाठशाला उसी रास्ते से जाती हैं और संडास भी बनायी गयी है ऐसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है तो इस खतरे को बन्द करने के लिये जैसा अभी बतलाया गया एक कमेटी भी बनायी गयी थी जिसने कह दिया है कि वह दरवाजा बंद कर दिया जाय और म्युनिसिपल ऐक्ट के मुताबिक उसके लिये कोई आज्ञा भी नहीं ली गयी थी जिलाधीश से जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है....

श्री अध्यक्ष—आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो इतना होने के बावजूद आगे शान्ति रहे इस हेतु क्या सरकार वह दरवाजा बंद कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई वाकयात संबंधी प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद में हुई फायरिंग और संपूर्ण घटना के संबंध में वहां के नागरिकों ने कोई स्मृति-पत्र मुख्य मंत्री अथवा गृह मंत्री जी को भेजा है ? यदि हां, तो उसमें क्या मांग की है और उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में वे अपने अफसरों को हिदायत देंगे कि वे अपनी रिपोर्ट हिन्दी भाषा में दिया करें क्योंकि हिन्दी भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा है और मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस विधान सभा में ऐसे भी सदस्य हैं कि जो अंग्रेजी नहीं जानते और जो सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते उनको वह क्यों अंधेरे में रखना चाहते हैं ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में अपने अफसरों को यह हिदायत करेगी कि वे अपनी रिपोर्ट हिन्दी भाषा में भेजा करें।

श्री अध्यक्ष—इस समय यह प्रश्न नहीं है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—माननीय मंत्री जी ने अभी अपने बयान में बताया था कि जिस समय दोनों तरफ से जुलूस उठा उस समय इमामबाड़े की तरफ से गोली चली, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करा रहे हैं कि वह गोली किस व्यक्ति ने चलाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तो कोई जांच नहीं करा रहा हूं। लेकिन अधिकारी उसकी जांच करा रहे होंगे।

श्री हलीमुद्दीन राहत (मौलाई)—क्या इस सिलसिले में माननीय मंत्री को कोई ऐसी इत्तिला भी है कि श्री कृष्ण लोटन लाल के भट्टे पर कुछ आदमियों ने एक १४/१५ साल की लड़की से जिना किया और पुलिस ने उस लड़की को वहां पर नंगे पकड़ा तथा साथ में दो आदमियों को भी पकड़ा, लेकिन उन दोनों आदमियों के खिलाफ केवल ४५२/३२३ धारा के मुताबिक केस को दर्ज कर दिया गया और उनको छोड़ दिया गया; न तो लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया और न उन पर इसका मुकदमा ही चलाया गया; साथ ही उसके मां बाप को बुरी तरह से पीटा गया जो अस्पताल में पड़े हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मस्जिद से पूर्वी तरफ जो दरवाजा बनाया जा रहा था वह जो मस्जिद थी उसके स्थान पर बनाया जा रहा था या उसके करीब जो मकान था उसमें और क्यों बनाया जा रहा था और जिस वक्त दरवाजा बनाया जा रहा था, उस पर किस तरफ वालों ने.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपाकर एक साथ कई सवाल न पूछें, एक-एक पूछें।

श्री जगन्नाथ लहरी—तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह दरवाजा किस लिये बनाया जा रहा था ?

श्री अध्यक्ष—मेरी समझ में तो यह प्रश्न आया नहीं, माननीय मंत्री जी समझ गये हों तो उत्तर कृपया दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—समझ में मेरी भी नहीं आया।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो दरवाजा बनाया गया वह जो मूल मस्जिद का स्थान था वहां बना था या उसके बाहर जो मकान था उसमें यह नया दरवाजा बनाया गया था और यह पहले से काफी चौड़ा बनाया जा रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने तो निवेदन किया था कि उसके करीब एक इमारत था जिसको मस्जिद के ट्रस्ट वालों ने खरीद लिया था और वह मस्जिद के बाहर था। उसके भीतर की तरफ इमारत को ढा कर बड़ा दरवाजा बनाया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न समाप्त हुए।

सदन के इर्द-गिर्द गुप्तचरों की उपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री गौरीशंकर राय ने काउन्सिल हाउस में गुप्तचरों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाही थी और कहा था कि यहां गुप्तचरों का बाहुल्य-सा हो गया है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी हासिल की। जो जानकारी मुझे हासिल हुई उसको मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। मेरे पास उन्होंने एक पत्र लिख कर सूचना दी है। शायद माननीय मुख्य मंत्री जी यह नहीं चाहेंगे कि वह पत्र यहां पूरा पढ़ दिया जाय। (माननीय मुख्य मंत्री जी से) क्या आप चाहेंगे कि उसे पढ़ दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जैसा आप उचित समझें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं उसे पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है:—

"काउन्सिल हाउस की सुरक्षा के लिये एक इन्सपेक्टर, दो सब-इन्सपेक्टर, ३ हेड कान्टेबुल और १५ कान्टेबुल स्थायी रूप से नियुक्त रहते हैं और काउन्सिल हाउस की वर्दीधारी गारद की सहायता के लिये फाटक पर तैनात रहते हैं। इनका कर्त्तव्य उन सन्दिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखना है जो काउन्सिल हाउस में अनधिकृत रूप से प्रवेश पाने का प्रयत्न करें।

यह स्टाफ, जैसा कि आपको विदित होगा, कई सालों से काम कर रहा है और इसके सम्बन्ध में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं हुई। जिन दिनों विधायिका की बैठक होती रहती है २ सब-इंसपेक्टर, ३ हेड कांस्टेबिल और ८ कांस्टेबिल बढ़ा दिये जाते हैं। ये भी सादे कपड़ों में रहते हैं। ये लोग लिफ्टों के पास और दर्शक दीर्घाओं में इधर-उधर फैले रहते हैं। इनका काम भी मुख्यतः संदिग्ध व्यक्तियों की गति-विधि पर ध्यान रखना है। दर्शक-दीर्घा का दुरुपयोग करके सदन या उसके किसी विशेष सदस्य पर आघात किया जा सकता है, देश के इतिहास में ऐसा हो चुका है। आपको विदित होगा कि इस प्रकार के स्टाफ की नियुक्ति भी कई सालों से हो रही है।

इन लोगों के अतिरिक्त काउन्सिल हाउस के दालानों-कारिडर्स-में भी ५ व्यक्ति और रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कभी-कभी इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि इस बात पर निगाह रखी जाय कि किसी मंत्री विशेष से मिलने कौन लोग जाते हैं और वह क्या करते हैं। यह भी देखना आवश्यक होता है कि वह लोग संदिग्ध रूप से इधर-उधर घूम तो नहीं रहे हैं। यह काम इन ५ व्यक्तियों में बंटा रहता है।

कुछ विधान-भवन में विजिलेंस स्टाफ होता है जो कागज-पत्र की देख भाल करता रहता है, परन्तु इसका काउन्सिल के साधारण कामों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस इतने स्टाफ के अलावा और कोई गुप्तचर काउन्सिल हाउस में नियुक्त नहीं है। यह हो सकता है कि इनमें से कोई व्यक्ति किसी समय बरामदे या दालान में यों ही घूम रहा हो, विशेषतः इसकी सम्भावना उस वक्त और हो सकती है जबकि सदन की बैठक हो रही हो और इन लोगों को एसा प्रतीत होता हो कि अब इस समय हमारा कोई काम नहीं है। इनको ताकीद कर दी जायगी कि अपने काम को इस तरह करें कि किसी को, विशेषतः किसी सदस्य को, शिकायत को मौका न मिले। इनका काम सदस्यों पर देख-रेख रखना है, उनका पीछा करना नहीं है। यदि इनमें से किसी ने ऐसा किया तो उसने बहुत बड़ी गलती की है।

इधर विश्वविद्यालय के आन्दोलन के सिलसिले में दारुलशफा में जो घटना घटी वह हमको मालूम है। पुलिस को ऐसा संदेह हुआ कि कुछ लोग जिन पर वारंट जारी है दारुलशफा में छिपे हुये हैं। सम्भव है उन्होंने इस बात पर निगाह रखने के लिये कुछ सादी वर्दी वालों को अस्थाई रूप से तैनात कर दिया हो, परन्तु सदस्यों की गति-विधि की देख-भाल करने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। यह तो मैं समझ सकता हूं कि कोई सादी वर्दी का सिपाही माननीय झारखंडे राय या किसी और सदस्य से कुछ पूछने गया हो। मैं समझता हूं कि ऐसा करना तो अवैध नहीं और हम सबको अपनी जानकारी से पुलिस की सहायता करनी चाहिये, परन्तु यदि किसी सदस्य के कमरे में कोई सादी वर्दी वाला पहले से जाकर पहुंच गया था या उनके सामने भी योंही जाकर साधिकार बैठा, तो यह बहुत ही गलत बात है। इसके लिये जरूर ताकीद कर दी जायगी कि ऐसा न हो और यदि पता लग सका कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसको तम्बीह भी दी जा सकती है।"

यह मुख्य मंत्री जी ने मुझे सूचना दी। मैंने सदन को इस विषय में आगाह कर दिया, जानकारी दे दी, कि मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि सदस्यों की निगरानी के लिये नहीं है कि सदस्यों को किसी तरह का कष्ट हो, बल्कि उनकी हिफाजत के लिये कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसे

[श्री अध्यक्ष]

भ घुस जायं जिससे विधायकों को खतरा हो । उनकी भी हिफाजत हो और मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी हिफाजत हो, सबकी हिफाजत के लिये, निगरानी उन लोगों के द्वारा सरकार कराती है ।

श्री गौरीशंकर राय—(जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन आपसे करना है और मुख्य मंत्री जी से भी स्पष्टीकरण चाहूंगा । आप यह बता दें कि दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठते हैं सी० आई० डी० के लोग ये आपकी परमीशन से बैठते हैं, आपका उन पर कंट्रोल है ? इसके अलावा जो परिसर है वह प्रक्रिया नियमावली में निश्चित है, जो जाने वालों का मार्ग है जो आपका परिसर है उसके बीच में एक कमरा क्या आपकी परमीशन से माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट के कमरे के बगल में उनको दिया गया है, या अपनी तबियत से दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—आप मुझे जो जानकारी दें वह दफ्तर में दें, मैं यहां प्रश्नोत्तर का जवाब नहीं देना चाहता ।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घा में गुप्तचर विभाग के लोग बठते ह जो कि आपके अधिकार में है इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने उनको कोई इजाजत दी है कि वह दर्शक दीर्घा में बैठें या सदन के परिसर में कोई कमरा लें ।

श्री अध्यक्ष—दर्शक दीर्घा में तो हमारे पास के बगैर कोई नहीं जा सकता । साधारण वर्दी वाला कोई व्यक्ति यदि पास ले लेता है तो अन्दर जा सकता है और कभी अगर कोई खतरा मालूम होता है कि वहां शोरगुल हो सकता है और वह इजाजत मांगते हैं तो जान-बूझकर भी उनको इजाजत दे दी जाती है लेकिन पास ले जाकर आम तौर पर बिना पहिचाने हुये ही वह जाते होंगे । मैंने आपसे उस रोज भी कहा था कि सी० आई० डी० वाले सब पहचाने नहीं जाते, आप शायद पहचान लेते हों । यह बात जरूर है कि बिना पास के कोई नहीं जाता होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत बड़े सिद्धान्त का और महत्वपूर्ण है । इसलिये इस सम्बन्ध में म आपस थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी से और वह यह कि अंग्रेजी राज्य के समय से लोकसभा (तत्कालीन लेजिस्लेटिव असेम्बली) में यह परम्परा चली आ रही है स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल के जमाने से कि सदन, मंत्रिपरिषद् और माननीय सदस्यों की सुरक्षा का काम साधारण पुलिस के हाथ में न होकर अध्यक्ष महोदय के अधीन वाच ऐन्ड वार्ड डिपार्टमेंट के अधीन रहा है और यह प्रथा तब से जारी हुई जबकि भगतसिंह ने वहां बम फेंका था । इसलिये इस पर आप और माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि यह कार्य साधारण सी० आई० डी० पुलिस या वर्दी पुलिस के हाथ में न होकर एक पृथक् वाच ऐन्ड वार्ड डिपार्टमेंट के हाथ में हो जो कि आपके अधीन हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष हुये जबकि दर्शक दीर्घाओं में प्रदर्शन हुये थे । तब एक समिति बनी थी जिसने जांच की थी और उसका एक प्रतिवेदन भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ था । उसने एकमत से यह संस्तुति की थी कि जहां तक सदन की सुरक्षा का सवाल है उसका पूरा नियंत्रण आपके अधीन होना चाहिये और इसके लिये एक वाच ऐन्ड वार्ड सार्जेन्ट-ऐट-आर्म्स के अन्डर में रहे । यह हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी भी कैडर के हों, कहीं से भी आयें लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिये क्योंकि यह प्रिंसिक्ट्स आफ दी हाउस है । यह काउन्सिल हाउस गवर्नमेंट हाउस नहीं है, प्रिंसिक्ट्स आफ दी हाउस में आता है । माननीय मुख्य मंत्री जी, जोकि नेता सदन हैं, उनका यह दायित्व है कि इस सम्बन्ध में जो नियम बनें उनके पूर्णतया पालन कराने में सहायक बनें । इसलिये मैं चाहूंगा कि आज इस सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चय हो जाय । मैं मानता हूं कि सेक्योरिटी का प्रबन्ध होना चाहिये लेकिन वह आपके नियंत्रण में होना चाहिये, एक समिति की यह

सिफारिश भी हो चुकी है। यदि आई० जी० पुलिस या डी० एम० इसका नियन्त्रण करें तो एक प्रकार से यह कन्टेम्ट आफ दी हाउस होता है। मैं उस प्रश्न को तो उठाना नहीं चाहता लेकिन नोटिस में लाना चाहता हूं कि इससे कन्टेम्ट आफ दी हाउस इनडाइरेक्टली भी होता है और डाइरेक्टली भी होता है और आज जब यह अधिकृत बयान के रूप में आ गया तो स्पष्टतः कन्टेम्ट हो गया। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस कन्टेम्ट को एवायड करना चाहिये और आप और माननीय नेता सदन को इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने जो कन्टेम्ट के बारे में कहा है वह तो इसमें नहीं होती है क्योंकि आपके ही हित में यह प्रथा पहले से चली आ रही है। आप शायद अब उसको बदलना चाहें वह दूसरी बात है। यह प्रथा इस उद्देश्य से चली आ रही है कि आपकी सुरक्षा हो इसलिये इसमें कन्टेम्ट नहीं हो सकता। अगर दूसरी जगह कोई और प्रथा है तो उसके लिये आप कह सकते हैं। यह सही है कि आपने जिस प्रकार का सुझाव दिया उस प्रकार की रिकमेन्डेशन हुई है और उसपर विचार हो सकता है। लेकिन आपने जो कन्टेम्ट की बात कही उसके लिये मैंने बतला दिया कि इसमें सदन का अवमान नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह है कि यहां पर जो गुप्तचर या सेक्योरिटी के आदमी दर्शक दीर्घा में बैठते हैं वह आपके नियन्त्रण में नहीं हैं और न लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट के नियन्त्रण में हैं। वह नेता सदन के नियन्त्रण में हैं।

श्री अध्यक्ष—वह तो मेरे नियन्त्रण में हैं। दर्शक दीर्घा में जो भी बैठते हैं वे मेरी इजाजत से बैठते हैं। इसलिये जिस वक्त मैं उनको हटाना चाहूं, हटा सकता हूं। वे किसी पुलिस के अफसर के कहने से वहां नहीं बैठ सकते। यह बात गलत है कि वे हमारे नियन्त्रण में नहीं हैं। हम चाहें तो उनको वहां से हटा भी सकते हैं और जो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिये है, मैं उसको भी कह सकता हूं कि वह भी यहां न रहे। लेकिन मुझे फिर आपकी सुरक्षा का इन्तजाम अन्य प्रकार से करना ही होगा और फिर भी उसके लिये एग्जीक्यूटिव पर आधारित होना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि भिन्न प्रबंध कर सकूं, जब तक कि कोई दूसरा प्रबंध उसके लिये न हो जाय तब तक चालू प्रथा जारी रखना उचित समझता हूं क्योंकि आप सबकी सुरक्षा पहली चीज है। इसलिये सदन के अवमान का सवाल पैदा नहीं होता। जिस वक्त खतरा नहीं होता हो हो सकता है कुछ लोग बगैर जाने-बूझे दर्शक दीर्घा में चले जाते हों या कुछ मेम्बरों की रिकमेंडेशन लेकर चले जाते हों।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न उठाया था उसका मतलब यह नहीं था कि आप स्थिति को स्पष्ट करें कि किस लिये चले जाते हैं। मैं तो कह रहा था कि डायरेक्ट कन्ट्रोल में नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि बड़ी भारी संख्या में ऐसा स्टाफ यहां आकर बैठता है और बिना आपकी जानकारी के बैठता है। कोई जाय कोई आये, लेकिन वह आपकी व्यवस्था के अधीन हो तो हमें वह शिरोधार्य है लेकिन आपका कन्ट्रोल दर्शक दीर्घा में लागू होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—दर्शक दीर्घा में मेरा कन्ट्रोल है।

श्री गौरीशंकर राय—लेकिन वह आपके उस कन्ट्रोल से संचालित नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—इसकी आप मेरे कमरे में सूचना दें।

श्री गौरीशंकर राय—मैं आपके कमरे में गया था लेकिन आपने कहा कि सदन में कहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैं कह रहा हूं लेकिन आप कुछ न कुछ और बात कह ही देते हैं। जब आप मेरे कमरे में आये थे तो आपने कहा था कि आज मैं एक सूचना आपको देने वाला था और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी पूछना चाहता था तो मैंने कहा था कि आप

[श्री अध्यक्ष]

वह सदन में ही कह सकते हैं। इस सबको सुनने के बाद, इसके मुताल्लिक आपको जो शंका हो उसको आप मेरे कमरे में आकर दूर कर सकते हैं। उसके लिये मैं आपको समय दूंगा और वहां आप मुझे बतायें कि अमुक बात कहां पर और किस समय किस तरह से होती है और किस बारे में आप परिवर्तन चाहते हैं, वह मुझे वहां आप बता सकते हैं। मैं उस विषय में नेता सदन से बातचीत कर लूंगा। लेकिन अब यहां अधिक बहस का मौका नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जानकारी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि सदन के परिसर में सी० आई० डी० के लिये कमरा दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनको आपने ऐसी परमीशन दी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह मैं बगैर दरियाफ्त किये हुये नहीं बता सकता कि मेरे दफ्तर ने उनको परमीशन दी है या नहीं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं, यह बहुत गम्भीर सवाल है। जो व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिये की गयी है, जैसा कि सरकार की ओर से बताया गया, उसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी सुरक्षा के खयाल से ही यह इन्तजाम किया गया है। जो सी० आई० डी० के आदमी दर्शक दीर्घा में रखे गये हैं या जो कारिडर में रखे गये हैं या मंत्रियों के कमरे के अगल-बगल में उनकी देखभाल करने के लिये रखे गये हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई हमला न हो जाय, कई मुस्तबह आदमी जाते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, इन सबका जो जिक्र किया गया है, हमारा विचार यह है कि यह सारी व्यवस्था आपके अधीन होनी चाहिये। अगर उसके लिये आदमी दुगुने भी कर दिये जायं तो किसी को कोई एतराज न होगा। जो हम लोगों के पीछे-पीछे ऐसे लोग लगे रहते हैं उसके लिये आप द्वारा पढ़े पत्र में अभी आश्वासन दिया गया है और मैं मानता हूं कि वह सही होगा। हमारे कामों में कोई दिक्कत न होने पावे उसके लिये अगर दुगुने आदमी भी रख दिये जायं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि कई हजार आदमी रोजाना यहां आते-जाते हैं।

मैं अधिक न कहते हुये केवल यही कहना चाहता हूं कि आज सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में जो व्यवस्था थी क्या वही आज भी चलायी जाय जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात को हमारा सम्मानित सदन तथा समस्त देश अपने संविधान के द्वारा स्वीकार कर चुका है और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं ? आज उनमें परिवर्तन की जरूरत है और यह परिवर्तन कहां तक सम्भव है इस पर सरकार तथा आपको—हमारे अधिकारों के संरक्षण का—विचार करना है। मेरे विचार से उसका पूरा निर्णय यहां विवाद से नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी और आप आपस में विचार विमर्श करके कोई रास्ता निकालें। हमारी यह निश्चित धारणा और भावना है और इस चीज का आप भी आदर करेंगे कि जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हों, चाहे पुलिस कोड में चेंज करना पड़े, चाहे पुलिस ऐक्ट में चेंज करना पड़े, लेकिन इस परिधि के अन्दर जो भी सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे मंत्रियों या उसके कमरों के देखभाल की व्यवस्था हो, उसका पूर्ण नियन्त्रण आपके द्वारा हो, यह हमारी धारणा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं दो बातें कहना चाहता हूं। भगत सिंह का जो इंस्टेंस दिया गया तो उस वक्त विदेशी राज्य था जिसके विरुद्ध वह भावना व्यक्त की गयी थी लेकिन इस प्रदेश में जबकि इसी देश के रहने वाले लोग हैं उनसे हमको खतरा है ? जैसा कि आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को मालूम है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हों, या विरोधी दल के हों, हर आदमी गांव-गांव में, घर-घर में जाता है, जिसे मारना होगा वह वहीं न मार देगा जो यहां आकर इतनी शहादत के बीच दर्शक गैलरी

से हम पर बम फेंकेगा ? क्या आप उस मारने वाले को इतना बेवकूफ समझते हैं ? मंत्रियों को तो चाहिये कि जनता की गरीबी और भुखमरी को दूर करने की कोशिश करें । एक तरफ तो मंत्री लोग कहते हैं कि हम पापुलर मिनिस्टर्स हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई शक नहीं कि आपका आर्गूमेंट बहुत मजबूत है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक तरफ तो आप अपने को पापुलर कहते हैं और दूसरी तरफ क्या इतने अनपापुलर अपने को समझते हैं कि जनता से डर कर अपनी सुरक्षा के लिये पुलिस और सी० आई० डी० का इन्तजाम करते हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि कोई पुलिस न रहे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा कहना यह है कि जब आप अपने को पापुलर कहते हैं तो जनता की भुखमरी और गरीबी को दूर करने की कोशिश कीजिये । हमारे सिर में अगर दर्द है तो उसके लिये यह होना चाहिये कि पट्टी जो खराब है उसको साफ कर दें । देश से भुखमरी और गरीबी को दूर किया जाय तो इस तरह का खतरा रिमूव किया जा सकता है ।

साप्ताहिक कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस हफ्ते का प्रोग्राम जानना चाहता हूं ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, अभी तो फारेस्ट विधेयक चल रहा है और इसके बाद मिनिमम वेजेज विधेयक आवेगा और उसके बाद जिला परिषद् विधेयक पेश होगा । मेरा खयाल है कि इस सप्ताह का यही प्रोग्राम है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जिला परिषद् विधेयक पर बहस कब प्रारम्भ होगी और सदन कितने दिन चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—पहले उक्त दो बिल हो जायेंगे, उसके बाद जिला परिषद् विधेयक पर बहस प्रारम्भ होगी ।

मोटर वहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ ७१४–७१५ पर ।)

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की आज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ', आगे पृष्ठ ७१९–७२० पर।)

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

खंड ३ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब दि इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री शिव प्रसाद नागर बोल रहे थे, वह जारी रखें।

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—मैं यह जानकारी चाहता था कि वह आपकी आज्ञा से अनुज्ञा मांग रहे हैं या श्री राज्यपाल की ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, उसी वक्त आप पूछते। पूछने का वक्त बीत गया।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब इस संशोधन पर मैं माननीय रघुरनतेज बहादुर जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ था तो उस समय सदन का समय समाप्त हो गया था, इस सम्बन्ध में मैं आज यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के सम्बन्ध में कल मंत्री जी ने जो अपने कुछ तर्क पेश किये थे वे तो हमारी समझ में नहीं आये, वह तर्क जो उन्होंने पेश किया वह तो केवल एक बहाना है इस बात का कि यह संशोधन मंजूर न करेंगे। हर वक्त दोहाई दी जाती है, हर बिल में दोहाई दी जाती है और राजाओं, ताल्लुकेदारों और जमींदारों की बात कही जाती है। शुरू से आखिर तक जब यह बिल आया तो बिल के उद्देश्य और कारणों में ही ताल्लुकेदार, राजाओं और जमींदारों का जिक्र आया और जितने संशोधन आये सब में दोहाई दी गई कि सन् ५२ के पहले राजाओं और ताल्लुकेदारों ने तमाम ग़लतियां की थीं। अब उनके पास रहा ही क्या है ?

"हर उमंग की अर्थी निकली, अरमानों के उठे जनाजे,
अब प्रदेश में कहां रह गये, जमींदार और राजे।"

आज क्यों उनकी दोहाई देते हो, वे अब हैं कहां ? उनका तो अब जिक्र भी नहीं है। जब वह उनकी दोहाई देते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ बिगाड़ना था वह सब कुछ उन्होंने बिगाड़ा और अब बनाने के लिये यही बैठे हैं और कोई बनाने वाला अब बाक़ी नहीं है। मैं कोई ताल्लुकेदारों, राजाओं या जमींदारों की वकालत नहीं करता बल्कि मैं यह कहता हूं कि इस तरह की दोहाई दे देकर आप जनता के सामने अपने अपराधों से बच नहीं सकते और इस चीज़ की सफ़ाई से आप छूट नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस वक्त तो आप उनकी ही नाव में बैठे हैं !

श्री शिवप्रसाद नागर—यह तो, श्रीमन्, हमारी बदकिस्मती है, हमने तो कई बार कहा कि हमारी लाइन में भी लाउडस्पीकर लगवा दिया जाय इसलिये इधर ही हमें आना पड़ता है और आपको ऐसा कहने का मौक़ा आज मिला। जिस नाव को हम जानते हैं कि वह डूब चुकी उसमें कौन बैठेगा ? हमारा शुमार तो उनमें हो ही नहीं सकता। इसलिये ऐसी बात अब

---

*२३ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

नहीं है। तो इस संशोधन में खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के सब-क्लाज (२) में यह लिखा है कि सन् १९५२ की अवधि वाले जितने भी मामलात हैं उन सबके ऊपर यह लागू होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि १९५२ का जो शब्द आया है यह १९५२ के पहले की या बाद की बात है। तो यह शब्द अनिश्चित हैं। इसीलिये रघुरनतेज बहादुर सिंह जी ने संशोधन पेश किया है कि इसमें यह और बढ़ा दिया जाय "and remained fallow on the 1st July, 1959." चूंकि जुलाई, १९५२ से बात साफ़ नहीं होती इसीलिये यह संशोधन आवश्यक है।

३८ (ए) में एक बात कही गयी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगल की तारीफ जहां पर इन्होंने लिखी है उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा है कि इस बिल के अनुसार अगर फूंस का जंगल गांव के किनारे है तो वह भी जंगल माना जायगा। सेंठे का अगर जंगल है जिससे गांव वाले अपने छप्पर या झोपड़ी बनाते हैं वह भी जंगल बना लिया जायगा। सेंठे की न कोई इंडस्ट्री ही है। उसको गांव वाले केवल अपनी जरूरत के लिये लगाते हैं। वह भी जंगल माने जायंगे।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

ठीक इसी तरह से फूंस की बात है। गांव में कम से कम १० क़िस्म के जंगल गांव के लोग अपनी जरूरियात के लिये रखते हैं। वे गांव जो हजारों सालों से जंगल के किनारे हैं। इसी तरह से बेंत का जंगल लगाते हैं जिससे गांव वाले रस्सी, खाट बुनने के बान, जानवरों को बांधने की रस्सी, पानी भरने की रस्सी इत्यादि बनाते हैं। अब वह भी इस धारा के अनुसार जंगलात में चले जायंगे और गांव के लोग इसके फ़ायदे से महरूम रह जायंगे।

इसी प्रकार गांव के किनारे झरबेरी की झाड़ी होती हैं जिनको चर कर बकरी, गाय, भैंस आदि जानवर अपना पेट भरते हैं और उनको इसी परपज के लिये लगाया जाता है। उसके खाने से जानवरों का दूध अच्छा होता है, घी अच्छा दूध से निकलता है। इसी तरह से गांव के किनारे करौंदे का जंगल भी होता है। उसमें कांटे होने के कारण किसान अपने खेतों के किनारे लगाते हैं ताकि जानवर खेतों में घुस कर नुकसान न करें और करौंदे का लोग अचार डालते हैं। इसी प्रकार से गांव के किनारे या नदियों के किनारे गोंदी का भी जंगल होता है जिससे गांव वाले पंखे और चटाइयां बना कर दरी का काम लेते हैं। इन सबसे गांव वाले महरूम हो जायंगे। गांव के किनारे पवार का जंगल इसलिये होता है कि उसे औषधि के प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा वह गांव के जानवर भेड़ व बकरी के चरने के काम में आता है। एक भाट का जंगल होता है जो पशुओं की औषधि के लिये बड़ा उपयोगी होता है और मनुष्यों की औषधि के लिये भी बड़ा उपयोगी होता है। गांव के किनारे पतावर का जंगल होता है। उससे घर छाये जाते हैं क्योंकि वहां न सीमेंट मिलता है, न ईंटें। गांव के किनारे एक झाऊ का जंगल होता है। उसमें न शहतीर होते हैं, न लकड़ी होती है। उससे डलियां व टोकरियां बनाई जाती हैं और गांव वाले उन्हें अपने काम में लाते हैं और फिर शहरों में ले जा कर पैसा कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। वहां खजूर का जंगल होता है। खजूर के पंखे बनाये जाते हैं और पत्ती से चटाई बिनी जाती है और शहर में बेच कर उससे वे लोग गुजारा करते हैं। गांव के किनारे कांटों व कटैया का जंगल होता है। जब छप्पर छाया जाता है तो गांव वाले इन कांटों वा कटैयों को छप्पर में डालते हैं ताकि बन्दर उन्हें तोड़ न सकें। पता नहीं क्या सोच कर माननीय मंत्री जी इन जंगलों व झाड़ियों को वन की जद में लेना चाहते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस क्लाज को इसमें से किसी प्रकार निकाल देंगे वर्ना गांव वालों का जीवन सुखी नहीं रहेगा और वे वन अधिकारियों के नीचे रौंदे व कुचले जायंगे।

एक बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान से आये हुए लोगों ने हजारों-लाखों की दौलत वहां छोड़ी। वहां से आ कर उन्होंने जंगलों के किनारे जो हजारों वर्षों से भूमि पड़ी थी, जिसमें जंगल लगाने की बात कभी नहीं सोची गयी थी, १९४७से १९५२ तक ट्रैक्टरों

[श्री शिवप्रसाद नागर]

से तोड़-तोड़ कर इन जमीनों को उपजाऊ बनाया और अपनी सम्पत्ति को उस मिट्टी में मिला दिया लेकिन अब अगर हम उसके ऊपर जंगलात लगायेंगे तो उनका क्या होगा ? उन लोगों ने यहां आकर डकैतियां नहीं डालीं, चोरियां नहीं कीं, भीख नहीं मांगी, सेल्फ-हेल्प का आदर्श सामने रख कर और जमीनों को तोड़ कर अन्न उत्पादन में बढ़ावा दिया और अब आप उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं, यह न्याय की जगह अन्याय पुकारा जायगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं। कालोनाइजेशन के लिये जो स्कीम तैयार की गयी थी उसके मातहत पलिया में सारे का सारा कालोनाइजेशन जंगलात के भीतर है और उसके चारों तरफ़ जंगल ही जंगल हैं और उसमें हर मंत्री के नाम की तख्ती टंगी है—सम्पूर्ण नगर, बिसेन नगर, विचित्र नगर इत्यादि। अब यह जो धारा इस विधेयक में दिखाई पड़ती है इसके द्वारा वे सब जमीनें ले ली जायंगी। तब उन सेटलर्स का क्या होगा और उनको मुआविजा दिया जायगा या नहीं और उनके ऊपर जो हजारों रुपया लोन का है वह वसूल किया जायगा या नहीं और उसके भीतर पक्की इमारतों को तोड़ कर जंगल लगाया जायगा या उनका इन्तजाम किया जायगा ?

१९५२ से १९५४ तक लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट लागू रहा। हजारों एकड़ जमीन उस समय बहुत से लोगों को दी गयी और इसलिये दी गयी कि लैंड बेकार पड़ी है, उसका यूटिलाइजेशन किया जाय। सरकार के हुक्म के मुताबिक़, लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के मुताबिक वह जमीनें लोगों को दी गयीं, हजारों एकड़ जमीनें लोगों ने तोड़ीं और उसके तोड़ने में लाखों रुपये खर्च किये। बहुत से लोगों ने अपने घर, इमारतें बनवायीं, अपनी बीबी-बच्चों के रहने का इन्तजाम किया और आज अगर वे वहां से उजाड़े जायंगे तो वे कहां जायंगे ? आज एक नया रेफ्यूजी प्राब्लम पैदा हो जायगा और उसे आप किस तरह से हल करेंगे यह बात समझ में नहीं आयी। दूसरी बात यह कि जिन काश्तकारों को जंगलात के किनारे जमीनें दी गयीं, जिन जमीनों को सरकारी ट्रैक्टरों की स्कीम के मुताबिक़ सरकार ने तोड़ने के लिये ५५ रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से चार्ज किया और जिन जमीनों का भूतपूर्व जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने पट्टा करते वक्त अपना नजराना ले लिया और उसकी लकड़ी का किसी दूसरे को ठेका दे दिया, तो ठेकेदार ने लकड़ी उठा ली, जमींदार ने पैसा वसूल लिया, सरकार ने दस गुना अपने घर में भर लिया और ५५ रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जमीन की तुड़वाई वसूल की, किसान के खून का एक-एक क़तरा वसूल कर लिया और अब केवल उसका अस्थि-पंजर बाक़ी रह गया है। कहा जाता है कि तुम्हारा यह अस्थि-पंजर भी इसी में दफ़न कर देंगे इसलिये कि यह जमीन अब जंगल में चली जायेगी। तो वे कहां जायंगे ? आपके पास तो कहीं सरप्लस जमीन भी नहीं है जहां आप उन्हें बसा देंगे। इसलिये यह एक बड़ा जालिम कानून है और इसमें जो यह संशोधन रखा गया है यह जनहित में इतना महत्वपूर्ण है कि इसको मानने में मंत्री जी को कोई आर नहीं होना चाहिये।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि जुलाई, १९५२ के इधर या उधर जितनी जमीनें जंगलात में हों, चाहे वे जंगल के बीच में रही हों या जंगल का हिस्सा रही हों, चाहे वे जंगल लगाने के लायक हों, यानी अगर आजतक उसमें कभी जंगल पैदा नहीं हुआ और ये समझेंगे कि वह जंगल के लायक है तो उसे ले लेंगे। हमारा उस पर ट्रैक्टर चलता है, मकान बना है, पोल्ट्री फ़ार्म है, डेयरी फ़ार्म है, सब कुछ है। लेकिन अगर इनकी समझ में आ जाय कि यह जमीन जंगल बनाने के लायक है तो हम नहीं रह सकते, उस पर जंगल लगा दिया जायगा। इसके अलावा वह कहते हैं कि अगर कहीं पर जंगल उगने की सम्भावना हो तो भी वह जमीन ले ली जायगी। हमें मालूम होता है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में अब कुछ भू-गर्भ शास्त्री भी रखे जायंगे जोकि ये देखते फिरेंगे कि कहां पर जंगल अंकुरित हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि इस संशोधन में जो ये सारी चीजें रखी गयी हैं वह क्या सोच कर रखी गयी हैं। अफसोस है मंत्री जी यहां हैं नहीं। उन्होंने खंड ३ के उपखंड २ (सी) में एक बड़ी विचित्र बात रखी है। वह कहते हैं—

"Forest land means a land covered by a forest or intended to be utilized as a forest land ?"

श्री अधिष्ठाता—माननीय नागर जी, आपका अमेंडमेंट सिर्फ २ में है। आप अपने संशोधन पर ही बोलें।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं इसके ऊपर कह रहा हूं. . . .

श्री अधिष्ठाता—आपका जो अमेंडमेंट है वह (बी) के दूसरे भाग पर है और आप तीन पर बोल रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—खंड ३ के अन्दर इसमें लिखा है और (बी) के आगे यह बढ़ा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप का संशोधन (बी) के बाद है और तीसरे का आप जिक्र कर रहे हैं। आप दूसरे पर ही बोलिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं इसको छोड़ देता हूं। अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर के पास उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व इंसपेक्टर जनरल पुलिस, श्री टी० पी० भल्ला का जहां हजारों एकड़ का फार्म जंगल में है उसके चारों तरफ कोई आबादी नहीं है और उसमें कम से कम मैं समझता हूं कि उन्होंने कई लाख रुपया बरबाद किया है और उन्होंने वहां क्रस्टल प्लांट लगाया है और वह गन्ने की खेती कर रहे हैं। वह देश के लिये बड़ी उपयोगी चीज है और कृषि के लिहाज से भी बहुत उपयोगी है। लेकिन खंड ३ (बी) के अनुसार इसके उजाड़ने की नौबत आ जायगी। मैं कहता हूं कि क्यों ऐसी धारणा लाई गई है?

कल मंत्री जी ने एक बात कही, अगर उसको वह इसमें शामिल कर दें तो मैं अपने दोस्त श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह जी से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि जोती और बोई हुई जमीन नहीं लेंगे। अगर कोई बात कोई मंत्री सदन में और आप के समक्ष कह देता है तो वह कानून बन जाती है। यह बात नहीं है कि जो इस बिल में लिखा है वही कानून है बल्कि जो मंत्री जी कहते हैं, वह भी कानून है। दूसरी बात यह भी है कि जो गांव जंगल के किनारे बसे हुये हैं उनकी जरूरियात की चीजें जैसे छवाई वगैरह को वह फ्री कर दें तो मैं कहता हूं कि फिर इस बिल में किसी संशोधन के लाने की जरूरत नहीं है। कल जो मंत्री जी ने कहा है उसको संशोधन के रूप में ले आयें कि जोती और बोई हुई जमीन नहीं लेंगे। यह चीज छिप नहीं सकती है। गांव वाले इसको पढ़ेंगे और जब मंत्री जी लखीमपुर का दौरा करेंगे और शिकार खेलने जायंगे तो हजारों की तादाद में जनता उनसे मांग करेगी कि आप ने हाउस में कहा था इस लिये जोती हुई और बोई हुई जमीन को छोड़िये। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने वचन को पूरा करने की कृपा करें।

***राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—श्रीमती जी, जो संशोधन इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। जिस समय बिल पर आम बहस हो रही थी उस समय भी मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे यहां बुंदेलखंड में और खास कर हमारे जिले जालौन में ऐसा है कि बहुत-सी जमीन जंगल की जमाबंदी में आ गई है जिनको इस बिल के द्वारा ले लिया जायगा। मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह उद्देश्य है कि आप जंगल की तरक्की करें, लकड़ी बढ़ायें और देश में जंगल की तरक्की हो, वह तो ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी बहुत जरूरी है कि जिन खेतों में या जिन जगहों पर दस-दस साल से काश्तकार जमीनों को साफ़ करके अनाज पैदा कर रहे हैं और अन्न की पैदावार में तरक्की कर रहे हैं उसको अब रोकना हानिकर होगा। सरकार ने इसकी कोई जानकारी अच्छी तरह से कराई नहीं कि कितनी ऐसी जमीनें हैं और उससे पहले ही इस तरीक़े का बिल लाना कि जंगलों में वह जमीन भी शामिल कर ली जाय जिनके पट्टे दस-दस साल से हैं और जो पटवारी के काग़ज़ात में इन्दराज नहीं कर सके हों तो उनका नाम ही नहीं आया तो वह जमीन ले ली जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

हमारी तरफ़ ऐसी हजारों बीघे जमीन है जो वे दस-दस साल से बराबर जोत रहे हैं और बराबर लगान दे रहे हैं लेकिन चूंकि जंगलात की जमाबन्दी में हैं इसलिये उनको खतरा है, या तो जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि कि हमारे मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया कि वे जोती और बोई हुई जमीनों को नहीं लेंगे तो इसके लिये फिर से दूसरा संशोधन लावें और उसमें स्पष्ट कर दें कि जो जमीन जोती और बोई जाती है और जिस पर गल्ला पैदा होता है उससे इस धारा से कोई मतलब नहीं होगा तब तो हमको संतोष हो। लेकिन आप को यह देखना होगा कि आप एक तरफ़ तो कहते हैं कि जंगलों का उत्थान हो और दूसरी पैदावार बढ़ाने के लिये भी माननीय प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अपने देश का भला इसमें ही है कि पैदावार बढ़े तभी हम तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद आज जो किसान तरक्की कर रहा है खेती में पैदावार की और लाखों रुपया उसने लगाया है, करोड़ों रुपया बरबाद किया है, नजराना देकर और ट्रैक्टर चलवाकर जमीन बनायी है, अगर वह जंगल के पास रहता है तो फिर उसकी जमीन खतरे में है। मान लिया जाय किसी जमींदार के पास भी ऐसी जमीन भी है तो इसके माने यह तो नहीं हैं कि आपने प्रान्त भर के लिये कानून बना दिया।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि जंगलों के पास जमीन उन्होंने ली है जिनके पास पहले से कोई जमीन नहीं थी, जैसे लोग मिलों में पैसा लगाते हैं, उन्होंने उस जमीन में, जंगलों की जमीन में पैसा लगाया है। अब सरकार की नीति यह है कि उन जमीनों को ले लिया जाय, तो मेरा कहना यह है कि ऐसा उसको तब करना चाहिये जब जंगलों के बढ़ाने के लिये ऐसी और जमीनें न हों। तमाम जंगल ऐसे पड़े हुये हैं जो कि प्राइवेट फारेस्ट्स हैं, जो जमींदारों से आये हैं और जो गांव समाज को मिले हैं, सरकार उसमें जितना पैसा लगाना चाहे लगा सकती है और उसको बढ़ा सकती है लेकिन जो चीज डेवलप हो रही है उनको आप कहें कि हम जंगल में लिये लेते हैं, उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा कि सरकार या तो समझती नहीं है और जैसा कानून फारेस्ट वालों ने बना कर आप के हाथ में रख दिया वैसा आप ले आये, वह कानून चाहे इसलिये हो कि वह अपने हाथ में सब की नकेल रखे जिसको चाहे पकड़ें, जिसको चाहे छोड़ें तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा। जो पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं उनको जबरदस्त धक्का पहुंचेगा और जिस आइडिया से भूमिधर बने रुपया देकर, डेवलप किया और ट्रैक्टर चलवाकर इस योग्य बनाया कि उसमें अनाज पैदा हो और उधर उसके ऊपर आपने सीलिंग भी लगा दी। उसके बाद भी अब आप यह कर दें कि सब कुछ होने के बाद भी आप की जो जमीन बचेगी उस को फारेस्ट में ले लेंगे तो यह तो श्रीमती जी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं आप के द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन को अगर आज नहीं माना जाता है तो भविष्य में इस देश के किसानों की बड़ी भारी हानि होगी और इसलिये सरकार हमारे संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री सुरथबहादुरशाह—अधिष्ठात्री महोदया, मैं वन के विषय में परसों से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता चला आ रहा हूं लेकिन किस हद तक मुझे सफलता प्राप्त हुई या होने की आशा मैं करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। बाज वक्त उनकी तवज्जह इधर नहीं होती, बाज वक्त उनका रुख इधर नहीं होता, बाज वक्त उनका मूड व ध्यान इधर नहीं होता। यह बदकिस्मती है, सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तमाम उन क्षेत्रों के निवासियों की जिनके कि दुर्भाग्य से उनकी जमीन कहीं भी जंगल के समीप है। इस सूबे के उत्तरी क्षेत्र में, खीरी, बहराइच, गोंडा, पीलीभीत और गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों के खेत या जीविकोपार्जन के साधन, अगर इनके जंगलों के करीब हैं तो उनको जो दुश्वारियां होती हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यह भी नहीं है श्रीमती, कि माननीय मंत्री महोदय उससे वाकिफ न हों। उनको मालूम सब है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है "Behaving like a mule", अड़ गए तो अड़ गए, ठीक-बे-ठीक कुछ नहीं सुनेंगे, जो चाहेंगे करेंगे और जरूर करेंगे। हम नहीं कहते कि न कीजिये। परसों मैंने कहा था कि कीजिए मगर चार आदमियों में बैठकर पहले सोच लीजिए कि आपके लिए

यह कदम उचित है या नहीं। प्रवर समिति में देने की बात, खैर उसका तो अब समय चला गया, वह अब नहीं पहले ही अर्ज किया था मगर उसे उन्होंने नहीं माना।

अब जब संशोधनों का समय आया है जिसमें कि इस बात की गुंजायश है कि कुछ चन्द मासूम संशोधनों को माननीय मन्त्री जी मान लेते, तो वह भी आशा हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, मजाक के तौर पर उन्होंने कहा कि जंगल की फिजां है, जंगली जानवरों की तरह से एक बोला, सब बोल दिए। ठीक है उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उत्तर में इधर से कहा गया कि इस बिल को लाने वाले उन जानवरों में से थे जो कि बैशाख में आनन्द लेते हैं। यह मजाक या एक दूसरे पर कमेंट्री जो होती है वह सब अपनी जगह पर है लेकिन वास्तविक जो चीज है उस पर भी तो ध्यान दें। माननीय मंत्री जी ने गालिब को कोट किया। अभिप्राय यह था कि अगर बेवकूफों की समझ में न आये तो मैं कहां तक समझाऊं। ठीक है....

श्री अधिष्ठाता—आप संशोधन पर आ जाइए।

श्री सुरथबहादुरशाह—संशोधन पर श्रीमती जी यह है कि यह जो जमीन के बारे में कहा है जिसके विषय में वह यह फरमाते हैं—और अभी जो मैं कह रहा था वह क्या संशोधन के सम्बन्ध में नहीं था, वह भी तो उसी की भूमिका थी.....

श्री अधिष्ठाता—इस तरह भूमिका में बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता है।

श्री सुरथबहादुरशाह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन अगर समझाऊंगा नहीं तो उनकी समझ में नहीं आयेगा। यह तो सिर्फ सेक्रेटेरियट वालों को समझते हैं, वही चीज मैं अर्ज करने वाला हूं। उन्होंने मिर्जा गालिब को कोट किया है तो मैं यह कहने वाला हूं कि 'कलामे मीर समझे हम, जबाने मीरजा समझे', मगर इनका कहा, यह खुद ही समझे या खुदा समझे, इनका कहना यही समझ सकते हैं। इनका अभिप्राय यह है कि सन् १९५२ में जो जमीन जंगल में लिख गई या जिनके विषय में सन्देह था। यह दोनों बातें हो सकती हैं तो वह जंगल हो जावे। यह कहते हैं कि—

"Land which is part of a forest or lies within it or was part of a forest or was lying within a forest on the first day of July, 1952."

यानी—जो स्वयं जंगल है या जंगल में शामिल है पहली जुलाई, सन् १९५२ को। तो यह निश्चित कौन करेगा कि वह फारेस्ट है? इसको हमारे मन्त्री या उनके सेक्रेटेरियट के लोग तय नहीं करेंगे। इसको तय वह करेगा जिसका नाम पटवारी या लेखपाल है। उसने अगर शक्ल बदल दिया तो उसके आगे सब खत्म है। सारी वजारत खत्म है और सारा सेक्रेटेरियट खत्म है। अगर पटवारी कह दे कि यह लिखा हुआ है तो वह इनके लिये हदीस है। श्रीमती जी, पटवारी ने ऐसा किया है और मैं इसका विक्टिम या शिकार हो चुका हूं और मेरे ऐसे हजारों आदमी विक्टिम हैं। माननीय मन्त्री जी को मालूम है। अगर उनको मालूम न हो तो मैं उनको चेतावनी देता हूं, वह इसको मालूम करने की कोशिश करें। यहां से मेरे जिले का ८० मील का ही फासला है। पटवारी महोदय ने अगर जंगल-झाड़ी लिख दिया तो वह जंगल-झाड़ी हो गई। लाख सिर पटकिये पटवारी का कहना माना जायगा। पटवारी से पूछने जाइये कि जंगल झाड़ी क्यों लिख दी, तो वह कहेगा कि नहीं साहब, मैंने नहीं लिखी यह तो मेरा साबिक आदमी जाने।

दूसरी बात यह है कि जंगल की डैन्सिटी नहीं लिखेंगे, केवल नाम लिखेंगे। अगर आप गौर फरमायें तो कहीं पर भी जंगल की डेफिनिशन इसमें नहीं दी है। कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि कितनी डैन्सिटी के जंगल माने जायंगे यानी कितने पेड़ होंगे तब उसको जंगल माना जायगा। घुमाफिरा कर उसको इस तरीके से लिखा गया है कि जिसका मतलब साफ नहीं निकलता है। एक लफ्ज लिखा गया है woody, इसका मतलब यह है

[श्री सुरथबहादुरशाह]

कि जिसमें पत्ती न हों लेकिन लकड़ी हो। जहां पर पत्ती नहीं हों सिर्फ ठूंठ ही मौजूद हों। एक तरफ तो आपने जमींदारी को खत्म किया और जमींदारी की जो जमीन थी उसको लेना चाहा और उस पर आपने आई० टी० लिया और उसके बाद एल० एल० एच० टी० भी ले चुके हैं। अगर आपको ऐसा ही करना है तो उसको तसलीम क्यों नहीं करते और साफ तरह से क्यों नहीं कहते कि यह हमारा मकसद है? इसको क्यों घुमाफिरा कर लाते हैं? पहली जुलाई का मतलब यह होगा कि जहां पर जंगल या झाड़ी लब्ज भी आ गया है, मैं उसका खुद शिकार बन चुका हूं और हमारी बहुत सी जमीन जंगल-झाड़ी लिखी हुई थी तो वह जमीन निकल गई। ४ मर्तबा सन् १९५६ से लेकर अब तक मुकदमे लड़ चुका हूं और लड़ रहा हूं। एक से निजात मिलती है तो दूसरे में फंस जाता हूं। उससे निजात मिली तो तीसरे में फंसना पड़ता है। जमीन बो चुके, गन्ना उग चुका, कई फसलें कट चुकीं, लेकिन पटवारी के परचे में वह जमीन अभी जंगल-झाड़ी ही है। और मुझे यकीन है कि पहली जुलाई के बहाने यह फिर उसे ले लेंगे। यदि कोई भी सभ्य भाषा में कह दे कि वह तो जंगल गये हैं तो हमारे पटवारी के हिसाब से मंत्री जी तो यह समझ लेंगे कि वह लोटा लेकर शेर का मुकाबला करने गये हैं, वे यह नहीं समझेंगे कि वह अपनी हाजत रफा करने गये हैं। सबसे बड़े और उनकी कायनात हैं पटवारी महोदय, जिनके आगे वेद और हदीस भी खत्म हैं, उन्होंने अगर उसे जंगल और झाड़ी कह दिया तो वह कलामे पाक से भी बढ़ कर है और ब्रह्म वाक्य है। अगर वाकई में वह जनता की भलाई चाहते हैं तो इन मासूम तरमीमों को यह परमात्मा के लिये मानें। इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। इलेक्शन नजदीक आ रहा है और यह चीज जनता को भड़काने के लिये बहुत काफी है। लेकिन मैं नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। इस गरज से कहता हूं कि यह जनता के कल्याण की बात नहीं है। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो हमें तो जनता को भड़काने को कम मसाला मिलेगा, उनको ज्यादा फायदा होगा।

यह समझते हैं कि हम इनका क्या कर लेंगे क्योंकि इनके पीछे महज हाथ उठाने वाले कुछ ज्यादा हैं, लेकिन हम भी नुमाइन्दे हैं और इलेक्शन से आये हैं, किसी की करमो-इनायत पर नहीं आये और हमारे कुछ फरायज हैं। हम अपने फर्ज को ज्यादा समझते हैं लिहाजा आप के सामने वाकयात रखते हैं। मैं तो उस बदकिस्मत इलाके का हूं कि जहां पौने चार सौ वर्ग मील में जंगल है और क्षेत्र की तीन चौथाई आबादी जंगल के समीप रहती है। इसलिये हम अपनी गुजरी और देखी कहते हैं, सुनी हुई नहीं। आपका पहला काम इस बिल के पास हो जाने के बाद यह होगा कि आप जंगल की जमीन लेकर उस पर प्लान्टेशन करेंगे जिससे जानवरों के लिये जो चराई वगैरह की थोड़ी बहुत सुविधा है वह समाप्त हो जायगी। पास के रहने वालों को लकड़ी, घास आदि नहीं मिल सकेगी। उनकी जमीनों को बड़े-बड़े तारों से घेर कर अलग कर दिया जायगा। अगर इनको जमीन चाहिये तो यह कहें कि जंगल से इतने मील या फर्लांग तक यह जमीन लेना चाहते हैं। हम उसके एवज में दूसरी जगह जमीन लेने की कोशिश करेंगे चाहे आप कुछ दूर पर ही हमें जमीन देवें। हम जानते हैं कि सरकार के लिये वन का लगाना बहुत आवश्यक है और वनों की दौलत देश के लिये बहुत जरूरी है और इनको कायम रखना बहुत जरूरी है। मैं इससे इत्तफाक करता हूं लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि आप दूसरे की आंख में धूल झोंक कर यह काम करें महज इसलिये कि आपकी तादाद ज्यादा है। रात को नकब लगाइये, हम देख न पायें तो दूसरी बात है, लेकिन आप दो आदमियों से हमारे हाथ पकड़वा कर हमारी जेब कटवा लीजिये, यह गलत है। पहली सूरत में कम से कम हम को मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे हाथ-पैर बांध कर हमारी जेब काटने की कोशिश करें तो यह वाजिब नहीं है।

श्रीमती जी, अगर १९५२ की पहली जुलाई को मान लिया जायगा तो इसका नतीजा होगा कि कहीं पर भी अगर पटवारी ने धोखे से या जानकर जंगल लिख दिया है तो उस जमीन को आप कानून से निकालेंगे और उसके लिये जब हम यहां फरियाद करने आवेंगे, गिड़-

गिड़ायेंगे या रोयेंगे तो आप कहेंगे कि हम क्या करें, यह कानून तो बन गया और उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज उसी के लिये कानून बनायेंगे और कल उसी के लिये विवशता जाहिर करेंगे। यह खून करके जनाजे में शामिल होवेंगे। तो मैं यह निवेदन करूंगा, और विनम्र-निवेदन करूंगा कि यह मेहरबानी करके इसको मान लें नहीं तो आपके सूबे के जो लोग जंगल के करीब के रहने वाले हैं उनको उससे नुकसान होगा। आपके पास तर्क हैं, लेकिन उन तर्कों से आप इसको मत देखिये। इससे आप खुद तो बुरे बनेंगे ही, लेकिन साथ ही हमको भी गालियां खिलवायेंगे। जिन लोगों ने हमें चुन कर यहां भेजा है, उनके सामने हम जवाबदेह हैं। आप वह कानून खुदा के लिये न बनायें जिसके कारण कल आपको पछताना पड़े। अगर आप कोई तारीख मुकर्रर करते ही हैं तो उसे पहली जुलाई, १९५२ मत कीजिये। अगर करना ही है तो आप उसको पहली जुलाई, १९५९ कीजिए। यह उसी तरह से है जिस तरह कि राजा को लज्जित होना पड़ता है, आपको भी उसी तरह से बाद को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिये खुदा के वास्ते वह दिन न लाइये और इस तरमीम को मान लीजिये। मैं विरोधी दल में होने के नाते यह नहीं कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका एक-एक शब्द यथार्थता है।

इसके अलावा मैं माननीय श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। इसमें जो शब्द "Remained fallow" है उसका तो मतलब यह है कि जो जमीन परती पड़ी रही हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। श्रीमती, सूबे के बहुत से हिस्सों में यह परिस्थिति कभी नहीं थी जो मेरे जिले में थी और विशेष कर इस जिले के उत्तरी भाग में थी उसके नेपाल की बाउन्डरी या सीमा के समीप होने के कारण वहां की स्थिति विचित्र थी। वहां पर दो किस्म की मालगुजारी वसूल की जाती थी। एक को नकशी कहते थे, दूसरे को खती। नकशी वह थी कि जब जोतिये, बोइये, तभी लगान दीजिये वरना नहीं। जब न जोतिए, लगान मत दीजिए। उस समय जमीन इफरात थी और लोग एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह बोते थे और इस तरह से उनको निकौनी नहीं करनी पड़ती थी। इससे धान की उपज अधिक होती थी। तीन वर्ष तक अगर वह न जोती जाती तो चौथे वर्ष पटवारी के कागज में उनका नाम कट जाता था। यानी अगर चौथे वर्ष वह उसको छोड़ देता था, उसमें नहीं बोता था, तो उसका नाम नहीं लिखा जाता था और उसे पैसा नहीं देना पड़ता था।

तो हमारे यहां पचीसों हजार एकड़ जमीन में दिखला दूंगा जो फैली दिखलाई जायंगी या बिला तसफिया यानी जोते कोई, कब्जा किसी का। जब खेती का वक्त हुआ कि जोतें तो पैसा दीजिये और न जोतें तो भी दीजिये तो लोग जोतने लगे और उसके निगरां होने लगे। तो महज अगर आप लेखपाल और पटवारी के ऊपर मुनहसिर होंगे और पहली जुलाई, १९५२ का दिन अगर आप निर्धारित करेंगे तो इतनी भूमि निकल जायगी, जिसका कहीं ठिकाना नहीं होगा। यह मेरे इलाके में ही नहीं, मेरे योग्य मित्र कहते हैं कि यह हालत सब जगह है। यह वाकया है, और मैं अब भी कहूंगा कि बहुत वक्त नहीं गुजरा है, हमारे वित्त मंत्री कृपा करके इस पर ध्यान दें। मेरे अर्ज करने का मकसद यह नहीं है कि हम विरोधी दल के हैं लिहाजा हमारे लिए इख्तलाफ में कहना लाजमी है, लेकिन यह सही है कि पहली जुलाई, १९५२ का रखना बहुत हानि-कारक होगा और जिनकी बहबूदी और कल्याण यह चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा इससे हानि पहुंचेगी।

इन शब्दों के साथ, श्रीमती, मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें और इस मासूम संशोधन को स्वीकार करके बजाय पहली जुलाई, १९५२ के दूसरी तारीख निर्धारित करें या पहली जुलाई, १९५९ में मुकर्रर करना मंजूर फरमायें।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठात्री महोदया, जो संशोधन श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह ने पेश किया है कि बजाय पहली जुलाई, १९५२ के सन् १९५९ मान लिया जाय,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी का स्पष्टीकरण और भाषण सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि वह इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जमीनें कुछ ऐसी थीं कि जमींदारों ने छिपा रखी थीं, किसी के नाम पट्टा कर दिया था और उसमें जंगल के ट्रैक्ट हैं, जंगल के नजदीक हैं उनको फिर से जंगल बनाया गया। तो मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जमीन पट्टे पर चली गयी, जमींदारों ने कर दिया था, वह उनसे तो बदली नहीं जा सकती। अब यह मत्थे जायगी उन गरीबों के जिन्होंने लिया और जिन्होंने १० वर्ष से खेती की है, आबाद किया है जोकि जंगल के किनारे, बीच में या सतह पर हैं, तो उस पर घर बनाया है, उसमें कहीं एक ठूंठ हो या न हो, ट्रैक्ट हो, पेड़ या झाड़ी हो या न हो, जिस सूरत में वह चाहे, जो १९५२ के बाद पट्टे हुये हैं जो बाद में आबाद हुये हैं उसको ले लिया जाय।

१९५२ में जिस समय अन्न का संकट महान् था और हमारे प्रधान मंत्री ने अपील निकाली तो सरकार के जिस दफ्तर में जाइये यह पोस्टर मिलता था कि "धरती तोड़ो,अनाज पैदा करो" तो उन गरीबों ने, जमींदारों ने बंजर को तोड़ कर पट्टा कर दिया, उनको आबाद किया और खेती करते हैं, वह भूमि जंगल की थी। १० वर्ष से मंत्री जी का ध्यान नहीं गया कि इसे ले लें। तो जैसा लोगों को भ्रम हो सकता है वह मुझे भी है कि उस समय क्यों नहीं लिया था ताकि उसको हम अपनी भूमि उस समय न समझते। तो मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि इसमें हमको लेशमात्र भी शुबहा नहीं है कि एक बिस्वा जमीन किसी जमींदार की चली जायगी, न जाने वाली है। न वह ठूंठ रखेगा और न पेड़ रखे हुये हैं और जब तक आप जायेंगे, अगर है भी तो एक नहीं रह जायगा। लेकिन जो कमजोर होगा उसके खड़े रहेंगे। तो जो गरीब होंगे उन्हीं के साथ यह महा अनर्थ होगा। अगर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या एस०डी०ओ० जांच करने जायेंगे तब भी बड़े आदमियों की जमीन नहीं निकलेगी क्योंकि वह उनकी माकूल रूप से सेवा कर देंगे लेकिन गरीब आदमी के पास सेवा करने के साधन ही नहीं होंगे।

इसलिये जो जमीन जायगी वह इस प्रदेश के निर्धन और गरीब आदमियों की ही जायगी जिसने अपनी गाढ़ी कमाई स्वाहा करके उस भूमि को आबाद किया है। उसने चाहे मुझ से या किसी राजा से या किसी जमींदार से पट्टा लिया हो लेकिन उसने उस भूमि को लेकर परती तोड़ी और अन्न पैदा कर रहा है इसलिये उसके विरुद्ध कदम उठाना उचित नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह छोटा-सा संशोधन बहुत ही न्यायसंगत है कि १९५२ के स्थान पर १९५९ कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब अपने समाजवादी लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि इससे गरीब आदमियों को परेशानी होगी तो वह मान लेंगे। मैं मंत्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा न हुआ तो थोड़े दिनों में ही सब तरफ से आवाज आने लगेगी कि गांव उजड़ रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुगलक ने जैसे दौलताबाद बसाया था उसी प्रकार से यह सरकार कभी तो कहे कि वन काटो और खेत बनाओ और कभी यह कहे कि खेत काटो और वन लगाओ। जो परिभाषा दी गई है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा है। इसमें गरीब आदमी ही पिसेगा जिसका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। आप चाहे जो भी यहां पर आश्वासन दे दें लेकिन इसके शिकार गरीब आदमी ही होंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही छोटा-सा न्यायसंगत संशोधन है, इसको मान लेना चाहिये। आपके कहने पर ही लोगों ने वहां पट्टे लिये, जमीन तोड़ी, वहां पर काबिज हुये और आज उस पर खेती कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी इसलिये आप ऐसा अंधेर न मचायें। आज समाजवादी सरकार का नारा बुलन्द करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो उन बेचारों को कहीं ठिकाना नहीं रहेगा और इसका सारा पाप इस सरकार पर पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इसको बचायें और १९५२ के स्थान पर १९५९ रखने की कृपा करें।

श्री राजनारायणसिंह (जिला मिर्जापुर)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज तक यह परम्परा रही है कि संशोधनों पर कभी क्लोज़र मूव नहीं होता। जब बोलने वाले नहीं रहते तब अपने आप वाद-विवाद क्लोज़ हो जाता है। अगर उधर से कोई प्रस्ताव आया होता तो उस पर क्लोज़र मूव हो सकता था लेकिन अमेन्डमेन्ट्स पेश करने का अपोज़ीशन का राइट है और इसके लिये कोई लिमिट नहीं रखी जाती। हमारे नियमों में भी ऐसा कोई प्राविज़न नहीं है। इसलिये मैं अपने दोस्त से कहना चाहता हूं कि अगर वह मंत्री जी के सिखाने पर क्लोज़र मूव करें तो उनसे रूल भी पूछ लिया करें।

श्री अधिष्ठाता—क्लोज़र तो कभी भी मूव हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई में आजतक परम्परा यही रही है कि अमेन्डमेन्ट्स में क्लोज़र मूव नहीं होते। कार्य-मंत्रणा समिति के समय निर्धारण के मुताबिक गिलोटीन तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स्ड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

श्री प्रतापसिंह—आपकी सूचना के लिये मैं यह भी बता दूं कि आज इसे दिन भर चलना है। माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रोग्राम बताया उससे भी ऐसा मालूम हुआ, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप खुली छूट दें ताकि माननीय सदस्य तथ्यों के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमती अधिष्ठात्री जी, मैं अपने विरोधियों की ....

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—(श्री बंशीधर शुक्ल से) कृपया आप बैठें।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरे विरोधियों की ओर से जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी चीज़ के उत्पादन के लिये उसकी आवश्यकता, हानि और लाभ और साथ-साथ आमदनी पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपने आपको जनता की जनमन-कल्याणी कहती है जबकि वह जनमन संहारक होती जा रही है। यह बिल जिस दिन असेम्बली में आया मैंने उसी दिन "हां" पक्ष के लोगों से राय ली जिनके यहां जंगल हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर वज्र प्रहार हो रहा है और मैं निश्चित कहता हूं कि इस पर लड़ाई लड़नी होगी। मंत्री जी लखनऊ के रहने वाले हैं और वन विभाग के सम्बन्ध में उनकी कोई जानकारी नहीं है। वह इस विभाग से इस्तीफा दे दें। दिल्ली की सरकार के आंकड़े हैं कि जंगल विभाग से हमें ४६,००,००,००० करोड़ रुपये साल की आमदनी होती है और इसमें से १९,४०,००,००० रुपया हर वर्ष खर्च हो जाता है। केवल २७,००,००,००० रुपया जंगलों से सालाना आमदनी होती है और उसमें भी फी एकड़ २ रुपया ६० पैसा आता है। इस आमदनी के लिये कितने किसानों का संहार किया जाता है और केवल एक लाख लोगों का पालन सरकार जंगल से कर रही है जो इसके नौकर हैं। जितनी आमदनी होती है उसका तीन गुना, बल्कि चार गुना, सरकार के नौकर चोरी करके जंगलों से लाभ उठा लेते हैं और वे सरकार को थोड़ा सा लाभ दिखा देते हैं। वन-उपवन दो होते हैं, उपवन जिन्हें बाग कहते हैं और वन वही कहे जाते हैं जो स्वयं पैदा हैं। अगर जनता की आवश्यकता वहां खेती करने की नहीं है तो आप उन्हें भले ही काटने दीजिये। यह संसार का और भारतवर्ष का उदाहरण है कि किसी भी राजा ने कभी जंगल नहीं लगवाये हैं बल्कि कटवाये हैं, मैं सरकार से कहूंगा कि जंगलों की कोई विशेष ज़रूरत देश को नहीं है। अगर है तो

[श्री बंशीधर शुक्ल]

जंगल जनता से लगवावे। सरकार का यह महकमा व्यापारिक है, यह रूलिंग मुहकमा नहीं है।

(इस समय २ बजकर ८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

जंगलों में केवल १०-११ दरख्तों की कीमती लकड़ी होती है। उनमें साखू यानी साल सबसे बेशकीमती मानी गई है। सरकार ने कहीं भी साखू नहीं लगवाया है क्योंकि साखू लगवाने से नहीं होता, सरकार ने सिर्फ सेमर या चीड़ लगवाया है। शीशम की लकड़ी का कोई जंगल सरकार के पास नहीं है। कौन-सी ऐसी कीमती लकड़ी सरकार ने लगवाई है जिससे उसे आमदनी होती है? ११ प्रकार की लकड़ी इस सरकार की दी हुई वन विभाग को नष्ट करनेवाली इस पुस्तिका में लिखी हैं, साखू, शीशम, सागौन, चन्दन, असैना, बबूल, कत्था, विजयसार, सेमर, चीड़ और छाजन, इनमें से कौन-कौन-सी आपने लगवाई हैं? जंगल आपके पास जरूर हैं। कत्थे के जंगल भी आपके पास हैं और वह वहीं होता है जहां और कोई दरख्त पानी के प्रभाव में ठहर नहीं सकता है। प्रान्तीय सरकार का कहना है कि उसके पास १२,९२० मुरब्बा मील पर जंगल हैं और उनसे साल में ३ रुपये फी एकड़ आमदनी होती है। मगर दिल्ली की सरकार कहती है कि २ रुपये ६० पैसे प्रति एकड़ आमदनी होती है। अगर इस छोटी-सी आमदनी के लालच को छोड़ कर सरकार जनता को खेती के लिये जमीन दे तो अधिक आमदनी होगी और जनता को भी लाभ हो सकता है। इसमें लिखा है कि ८ करोड़ घनफुट लकड़ी चीरी जाती है, ३० हजार आदमी काम करते हैं, १३१ दियासलाई के कारखानों में, २४ हजार आदमी काम करते हैं। २१ कारखाने प्लाईवुड के और १७ पेंसिल के हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप संशोधन से दूर जा रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—जब तक किसी चीज को जड़ से न बतलाया जाय और पलई बता दी जाय तो....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया संशोधन पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—जब तक हम किसी बात को जड़ से चोटी तक न बतायें तो मंत्री जी की क्या समझ में आयेगा और जनता को क्या संतोष होगा? मैं बराबर यही कहता हूं कि जंगलों के किनारे की भूमि जंगलों के लिये न ली जाय। सरकार ने जहां चाहा वहीं से नापकर जंगल की भूमि कायम कर दी, यदि किसी ने रिश्वत दे दी तो उसकी जमीन छोड़ दी नहीं तो जंगल में जोड़ दी और कह दिया कि यहां से जंगल है। कौन सुनता है जहां किसानों के पुश्तहा-पुश्त खेत रहे हैं, वह भी जंगल में ले लिये गये। अगर हम जंगल के किनारे एक मील जगह छोड़ दें तो एक साल में वहां अपने आप जंगल हो जायगा। दूसरे साल सरकार कहेगी या उसका जंगल विभाग कहेगा कि यहां तो जंगल हो गया है और दूसरा मील खाली जगह और छोड़िये। इस प्रकार वह फिर तीसरे मील से किसानों की खेतों को पीछे हटवा देगी तो हम कहां तक छोड़े चले जावेंगे? हमें तो एक दिन सरकार से लड़ना ही होगा। यह सरकार हमको बतावे कि इस जगह से वह हमको पीछे नहीं हटावेगी। यह सर्व-विदित बात है कि जंगल की समस्या बड़ी विकट समस्या है और खास कर जिला खीरी की तो और भी खराब हालत है, आबादी में जंगल हैं और पूरे जिले में क्रमशः आबादी है, फिर जंगल है, फिर आबादी है, फिर जंगल है। इस प्रकार से ६ जगह है। वहां से नैपाल की सरहद भी मिलती है। चोर वहां चोरी करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। इसीलिये खीरी में बहुत ज्यादा चोरी-डकैती होती है। जंगलों के अधिकारी उनको बंदूक और कारतूस देते हैं। कोई अगर उनके खिलाफ जाकर कहीं शिकायत करता है तो कहते हैं कि तुम्हीं लोगों में से कोई चोर होगा और शिकायत करने वालों को दंड दिया जाता है।

आप सीलिंग बिल से जमीन नहीं ले पायेंगे मगर जंगलों के द्वारा देश का सत्यानाश करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगर आप अनशन से ठीक होंगे तो अनशन से अपने प्राण देकर आपके इस अत्याचार को समाप्त करूंगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे मेरी बात को समझें और इस बिल को वापस ले लें। इस देश को जंगलों की जरूरत नहीं है और अगर जंगलों की जरूरत वे समझते हैं तो वह जनता से लगवायें। जंगल की परिभाषा है वृक्षों की सघनता। आपने गवर्नर के बंगले में दो तीन मील जगह घेरी है। क्या इसमें कोई काम का वृक्ष लगवाया? ऐसे वृक्ष लगे जैसे अशोक, जिसकी न लकड़ी काम आती है और न पत्ती। अगर अंग्रेजों ने नहीं लगवाये थे तो आप लगाते। १३ साल हो गये, अब तक तो अगर आप साखू लगाते तो वह भी तैयार हो जाता। इसी प्रकार से जंगलों में भी अपने ऐसे ही पेड़ पाले हैं जो किसी काम के नहीं हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जंगलों के बीच जो परती जमीन है उसको किसानों को दे दीजिये। जिला खीरी में आप ५ लाख एकड़ में जंगल बताते हैं जिसमें आधी परती है। मेरी समझ में नहीं आता जहां कभी जंगल नहीं उगे हैं वहां कैसे जंगल होंगे? आपके जुल्म बढ़ रहे हैं, अभी हमारे यहां एक घटना घटी। एक नदी है उल्ल। उसमें एक कुन्ड है। जो गांव समाज की भूमि में अभी है। उसमें से गांव वालों ने एक मगरमच्छ पकड़ा। जब वन विभाग वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने गांव वालों को लूट लिया, पकड़ने वालों पर १००—१००,५०—५० रुपया जुरमाना किये। अन्तरिम जिला परिषद् में यह सवाल उठा। मगर कौन सुनता है, आपने वन विभाग वालों को लूटने की खुली छूट दे रखी है जिस प्रकार से जंगली जानवरों को कुदरत देती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार के अत्याचारों को बंद करेंगे। अगर मंत्री जी वन विभाग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ दें। हमारे भाई कह रहे हैं कि कविता कहूं....

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, कविता न कहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं यह जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट जंगल न लगाये बल्कि गांव वालों से लगवाये।

श्री अधिष्ठाता—आप एक ही चीज को बार-बार दुहरा रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या दोहरा रहा हूं?

श्री अधिष्ठाता—मैं कह रहा हूं कि एक ही चीज को आप बार बार दोहरा रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, पहले मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको बड़े गौर से सुन रहा हूं। मैंने कहा कि एक ही चीज को आप कई बार कह चुके हैं। आप जितना चाहे बोलें, रोकता नहीं हूं। लेकिन एक व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये और दूसरे दोहराना नहीं चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—यहां व्यतिक्रम या दोहराने की बात नहीं है। जिस विषय में बात कही जा चुकी है, उस विषय का नाम फिर लिया जाता है तो वह अत्युक्ति नहीं होती या उसे दोहराना नहीं कहते हैं। मैं कहता हूं प्रत्येक गांव के जंगल हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें एक तिहाई बाग न लगे हों। उस बाग को भी आपने जंगल मान लिया है। यह कहा जाता है कि अगर जंगल न हों तो पानी नहीं बरसेगा। लेकिन एक विशेषज्ञ जंगल निरीक्षक का बयान यह है कि वृक्ष और पानी का केवल इतना सम्बन्ध है कि वृक्ष बरसे हुये पानी को लेकर जमीन की सतह तक पहुंचा देता है। बस यही सम्बन्ध वृक्ष का पानी से है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन यहां तो मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने की बात चरितार्थ हो रही है। जो आपके अधिकारी ने कह दिया वह ब्रह्मवाक्य बन गया। चाहे कोई सदस्य आपकी तरफ बैठने वाला कहे या विरोधी दल का कोई सदस्य कहे, आप उसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। आपके दल के लोग, जिनके बल पर आप आज मंत्री कहलाने के हकदार हैं, उनकी भी उचित बात आप नहीं मानते हैं और इस प्रकार उनकी बात न मान कर नौकरशाही का स्तन पकड़ कर आप जनता का रक्तपान करते हुये चले जा रहे हैं।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

श्रीमन्, आप यह कहते हैं कि गांव वालों को हमने जंगल लगाने की इजाजत दी है और आप उनकी जमीन छीन रहे हैं। वह इस तरह से छीन रहे है कि इधर आप कहते हैं कि सन् १९५२ के बाद में जो जंगल के पट्टे हुये हैं उनको हम छीन लेंगे और मैं कहता हूं श्रीमन्, बहुत से पट्टे सन् १९५२ या सन् १९४२ के होंगे उसको भी आप छीन रहे हैं। हमारे यहां के एक आदमी के पास १५०० एकड़ का फार्म था जिस पर वह खेती करता आ रहा था लेकिन जंगल विभाग का कहना है कि वह जंगल की है और उसके ऊपर वन विभाग की ओर से मुकदमा चल रहा है जिसमें वह हार भी गया है अदालत के सामने। जिन अदालतों के सामने बड़ी-बड़ी थैलियां चलती हैं, जहां बड़े बड़े आदमियों की सिफारिशें चलती हैं, जिन अदालतों में लौंडे जज रखे जाते हैं, उन अदालतों का फैसला हो ही क्या सकता है? हमारे यहां माखन पांडेय का एक जंगल २५० एकड़ का है जिसमें वे ३० वर्ष से खेती करते आ रहे हैं लेकिन जंगल विभाग ने उनकी वह सारी जमीन जंगल के नाम पर ले ली है। इसी तरह से मुर्तिजाब खां साहब को अपना फार्म छोड़ना पड़ा जिसमें वर्षों से वे खेती करते आ रहे थे। राजा साजिद हुसेन साहब का जंगल जिसके लिये सरकार ने उनसे कहा भी था कि हम उसे नहीं लेंगे, उसे अब वन विभाग ले रहा है और उनको नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार का क्षण भर में इस तरह से उलट फेर कछुवे की गरदन की तरह लुप्प दुम्म, कभी मुंह अन्दर कभी बाहर यह ठीक नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह एक अच्छे ढंग पर मुस्तकिल तौर से कोई राय कायम करके काम करे, जब आपकी आवाज कानून का रूप धारण करती है। अब यह जो वन विभाग द्वारा नर संहार किया जा रहा है उसको दूर करें। जनता में गरीबी और भुखमरी फैली है, उसको दूर करने के लिये आप प्रति काश्तकार दो एकड़ जमीन बांट दें तो मेरा विश्वास है कि कोई आपके दरवाजे नौकरी मांगने नहीं आवेगा। हमारे यहां बहुत सी ऊसर जमीन पड़ी हुई है। आप क्यों नहीं उसमें जंगल लगवाते हैं? मैंने तो अपने यहां ऊसर जमीन में जंगल लगाया है और बहुत कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन बात यह है कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको करेगा कौन, हमारे यहां दुधवा में जंगल का प्लान्टेशन किया गया है जहां पर १५०,२०० एकड़ जमीन में रेंडा के पौधे लगाये गये हैं जिनसे रेंडी निकलती है, वहां उससे भी ऊपर घास बढ़ कर जंगल हो गयी है। यह है आपका प्लान्टेशन, बोलो भारत माता की जय।

सागौन साखुओं के बीच में लगाये गये हैं और साखू वहां से काटकर मोरपंखी और कटहल के पेड़ लगाये गये हैं जो कि तराई में होते नहीं, यह वन विभाग के काम हैं। वहां पर गेहूं काटकर बोरों में भरने की मशीन मंगाई गई है जहां उस की कोई जरूरत नहीं थी। यह सब क्या हो रहा है। क्या यही सरकार का काम है? इन्हीं कामों के लिये सरकार को इल्हाम होता है, याने मिरगी आती है या उसकी फिक है। उस तुगलक शाही से कई गुनी बढ़ी चढ़ी यह नेताशाही है। थोड़े से नेताओं के द्वारा सारे भारतवर्ष का संहार हो रहा है परन्तु मेरी प्रार्थना है कि आप वन विभाग द्वारा इस प्रकार जनता का संहार न करें।

श्री अधिष्ठाता—आप संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं, यह आप क्या जनरल डिस्कशन कर रहे हैं?

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं यह कह रहा हूं कि . . . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं आप से कह रहा हूं कि यह जनरल डिस्कशन का अवसर नहीं है। जब तीसरी रीडिंग हो उस वक्त आप यह सब कह सकते हैं, इस वक्त आप कृपा कर अपने संशोधन के बारे में ही जो आप को कहना हो, वह कहें।

श्री बंशीधर शुक्ल—आप इतने नाराज न हों, मैं वही कह रहा हूं कि आप जो जंगल में जमीन लेना चाहते हैं, और जिसके संबंध में संदेह हो कि कोई वन विभाग को हानि पहुंचा रहा है उस को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आज होता क्या है, मैंने एक दरख्वास्त माननीय मुख्य मंत्री जी तक को दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे यहां अम्बारा ग्राम में

एक साहब रहते थे, उन का बेनी माधव नाम है वन विभाग वालों से किसी ने दुश्मनी से शिकायत की कि इनके यहां वन विभाग की लकड़ी है, इस के बाद जंगल वालों ने उन के घर में घुस कर तलाशी ली कहीं भी लकड़ी बरामद न हो सकी। इस पर जंगल वालों ने उन्हें गालियां दीं और कहा कि तुम ने जरूर लकड़ी गायब कर दी है, इस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां लकड़ी नहीं है, गाली हमें मत दीजिये ,इस पर जंगल वाले और बिगड़े, जब ज्यादा बात बढ़ी तो पुलिस के दारोगा और जंगल विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी भी आये, एक ट्रक भर कर्मचारी आये, बिलकुल सही बात है नाम लिख लिया जाय, यह पंडित बेनी माधो, ग्राम अम्बारा के यहां की बात है, उन के यहां खूब लूट मचाई, उन के घर से १६,००० रु० के लेनदेन के कागजात उठा कर फूंक दिये गये और ५,००० रुपया नकद लूट लिया और उन के ५ आदमी गिरफ्तार कर लिये गये, औरतों को नंगी करके पीटा, इज्जत ली, उनके यहां कोई रपट तक लिखाने वाला नहीं रहा, हमें जब पता लगा वहां गये तो जिलाधीश को दरख्वास्त दी, उस पर वहां हाकिम परगना ने तहकीकात दो दिन तक की लेकिन तहकीकात की जो मिसल थी वही बाद में गायब कर दी गई और फाइल गायब होने के बाद उन पर फिर मुकदमा चलाया गया और २ साल की सजा उन लोगों की हो गई। वह आज जेल में सड़ रहे हैं, यह वन विभाग वाले कर रहे हैं आप के अफसर आपके काबू में नहीं हैं।

आप किसी की जमीन लेकर क्या करेंगे? जब आप साखू नहीं लगा सकते तो कौन लकड़ी लगायेंगे? जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, इसी तरह से जहां कोई पेड़ नहीं होता वहां घास करौंदा कांटे ही हो जाते हैं। आप को भीखमपुर से कितनी आय होती है, और महमूदाबाद के जंगलों से हमें ठीक मालूम है उसमें केवल ३०० रुपये का महुआ प्रति वर्ष बेच पाते हैं। और कठना नदी की तराई है उपजाऊ जमीन—३,३०० एकड़ बेकार पड़ी है जिस से १,२०० आदमियों का पेट भर सकता है। हमारे जिले में बनबसा से नहर आती है जो गोला में ५३ मील जंगल से अलग होती है जहां उपजाऊ जमीन में जंगल खड़ा रखा है, आप इस तरह से जंगलों की परिधि न बढ़ायें, इस विभाग का नाश कीजिये, इस के आदमी खूंख्वार हो रहे हैं। मैं भी वन विभाग की समिति का सदस्य था, मुझे दिखाया गया कि लालकुयें में जंगल लगाया गया है, उस में एक भी पेड़ साखू का नहीं था, केवल सेमर सागौन लुकाट, महुवा, बेल और दुद्धी के पेड़ लगे हुये थे जिनसे कोई लाभ नहीं और थोड़े से शीशम बबूल के पेड़ लगे थे। इसी प्रकार से १०,२० दरख्त एक सा बो दिये गये हैं। भले ही एक आध उसमें से जम जाय। मैंने मंत्री जी से कहा कि मैं भी जंगल लगाना चाहता हूं, लिख कर दिया कि मुझको भी पेड़ दिये जायं लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपकी दरख्वास्त दूसरी होनी चाहिये ....

श्री अधिष्ठाता—आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं उसी पर बोल रहा हूं। जो जमीन जंगलों की सरकार लेने जा रही है वह गलत है, नहीं लेनी चाहिये और अगर लेगी तो तूफान मच जायगा और मैं पहला आदमी हूं जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस को रोकूंगा। मेरे जिले में नमक सत्याग्रह से पहले जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था। जो अंग्रेजों के जमाने में जंगलों से सहूलियतें थीं वह भी छीन लीं। हमारे यहां ऐसी कौमें हैं जो पत्तल बना कर अपना काम चलाती हैं। अब उनका जो जन्म सिद्ध अधिकार था सब आपने छीन लिया, वे गरीब भी, पत्ते नहीं ले सकते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है एक साहब जंगल के किनारे रहते हैं, उनके ५०० गायें हैं जो जंगल में चरा करती थीं, वह सब पकड़ ली गईं जब कि पुश्तहा पुश्त उनका चराने का हक था।

श्री अधिष्ठाता—जंगल की बात करते हैं कि किस्सा कहानी सुनायेंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल—यह किस्सा कहानी है या यह जुल्म है? जब तक इसको नहीं कहेंगे तब तक संशोधन पूरा नहीं होगा। बिलकुल एक इक्के का घोड़ा बन कर कोई सदस्य

[श्री बंशीधर शुक्ल]

नहीं चल सकता है, उसको इधर उधर की बातें कहने का पूरा हक है। इसलिये मैं कहता हूं जंगल विभाग को नष्ट कीजिये और मेरा सुझाव मानिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—मान्यवर, मैंने प्रस्ताव पेश किया . . .

श्री अधिष्ठाता—खत्म हो रहा है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन रखा है उसके संबंध में थोड़ा निवेदन करना है। कल मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि १९४७ में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में यह है कि सन् १९४६ के जो पट्टे है उस पर कोई असर पड़ने का सवाल है और कुछ कठिनाई है इस वजह से इस चीज का होना जरूरी था। तो मैं आपकी आज्ञा से उक्त ऐक्ट की वह धारा पढ़ना चाहता हूं—

"*Section* 8—Any contract for grazing or gathering of produce from land or the collection of forest produce or fish from any forest or fisheries entered into after the eighth day of August 1946, between an intermediary and any other person in respect of any private forest, fisheries, or land lying in such estate shall become void with effect from the date of vesting."

जैसा इस ऐक्ट की धारा के अन्दर साफ कर दिया गया कि किसी किस्म के ठेके जैसे मछली मारने के लिये या जंगल के प्रोड्यूस इकट्ठा करने के लिये वायड होंगे। तो यह कैसे आता है कि जो पट्टे टेंनेसी के लिये दे दिये हैं वह नहीं दे सकते थे? अगर सरकार भूल भी जाती तो इस लूपहोल को कर्मचारीगण कभी नहीं भूल सकते थे वे फौरन सरकार को जाहिर करते। १९५६ में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट अमेंड हुआ उसकी धारा ३८(ए) आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं:—

"38. The State Government may by notification in the official *Gazette* regulate or prohibit in any forest (situate in or upon any land of a claimant)—

(*a*) the breaking up or clearing of the land for cultivation or any other purpose, "

श्री अधिष्ठाता—जो आपने पढ़ा है अंग्रेजी में उसका तर्जुमा कर दीजिये।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—श्रीमन्, ऐक्ट अंग्रेजी में दिया हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—भाषा हिन्दी है सदन की।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—राज्य सरकार राज्य पत्र द्वारा किसी भी जंगल में उसके अधिकार को इन कामों के लिये रोक सकती है—जमीन तोड़ना, उस पर खेती करना। तो ५६ में जब यह ऐक्ट पास हुआ तब भी यह रोक थी लेकिन न १९५६ में रोका गया, न नोटिफिकेशन हुआ। जब खेती लोग करते आ रहे हैं तो क्या जरूरत है कि उसे ले लिया जाय और उसके लेने के लिये विधेयक में टाइम रख दिया जाय? इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि उसमें यह जोड़ दिया जाय कि पहली जुलाई, ५६ तक जिसमें खेती न की जा रही हो और फैलो पड़ा हुआ हो। मंत्री जी ने कहा कि इसको साबित करने में बड़ी कठिनाई होगी और इसमें मुकदमेबाजी बढ़ेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी जमीनें भूदान यज्ञ में बिनोबा भावे को दी गयीं, वह परती बंजर थीं या जंगल के हाशिये की थीं। खेत की जमीनें नहीं दी गयीं। १९५२ में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट आ गया तो बहुत सी जमीनें राज्य सरकार में या ग्रामसभा में निहित हो गयीं। १९५३—५४ तक यह अलग नहीं हुआ कि कौन सी जमीन काश्तकार की है क्योंकि मिनजुमला नंबर होता था। तो लैंडलेस लोगों को जो जमीनें दान में दी गईं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। लिहाजा १९५२ तक कोई लिमिट नहीं होना चाहिये।

इसी तरह से गांव के किनारे जो जंगल हैं उनको भी जंगल की परिभाषा से नहीं निकाला जायगा। लिहाजा यह परमावश्यक है कि जिस जमीन पर खेती हो रही है या जो जंगल तथा भूमि गांव सभाओं की हैं उनको किसी नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिये। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि करोड़ों रुपया रिफ्यूजीज ने इंवेस्ट करके जंगल की जमीन तोड़ी १९५४-५५ तक। लेकिन इस ऐक्ट से वे भी नहीं बच रहे हैं। वे फिर कहां जायेंगे? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब केसेज आयेंगे तो उनके मेरिट्स को देखेंगे। आज कल गरीब जनता मुकद्दमों के कारण जिस प्रकार परेशान हो रही है वह सबको विदित है। पहले वह अपील करे, कोर्ट फीस लगाये और फिर फैसला उसके हक में न हो कर नाहक में होता है। इसमें बड़ी कठिनाई छोटे-छोटे किसान पर आयेगी। जमींदार ने जमीन का नजराना लिया, लकड़ी का दाम लिया। काश्तकार ने १० गुना लगान जमा करके भूमिधरी अधिकार प्राप्त किया और सरकार को लगान आज तक वह देता है। ठेकेदारों और जमींदारों का तो कुछ बिगड़ा नहीं लेकिन जिन्होंने मेहनत करके अपने खून पसीने से आबाद किया उनको तबाह करने से क्या फायदा?

श्री अधिष्ठाता—आप को संबंधित बातों पर बोलना है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—उसी से इसका संबंध है। जो अपील आयेगी उसके बारे में मैं कह रहा हूं। प्राइवेट फारेस्ट्स जब तक जमींदारों के पास थे तब तक जनता वहां से जलाने के लिये, हल वगैरह बनाने के लिये लकड़ी मुफ्त पाती थी। यह कहा जा सकता है कि वह ज्यादा तादाद में होते थे और जमींदार कुछ कर नहीं पाते थे इसलिये ले लेते थे। लेकिन, बहरहाल, किसी न किसी सूरत से वे अपनी गुजर करते थे और उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन जब से ये जंगल गवर्नमेंट में वेस्ट हुये हैं तब से हालत यह है कि अगर कोई फारेस्ट गार्ड नाराज हुआ तो उसने झट से मुकदमा दायर कर दिया और अगर उस गांव वालों ने गवाही देने से इंकार कर दिया तो दूसरे गांव से अपने मिले हुये गवाहों को पेश कर देता है। आप इंक्वायरी करिये तो आपको पता लगेगा, हमारे गोंडा जिले में ऐसे बहुत से केसेज हैं। आज अगर किसी का जानवर जंगल में घुस गया तो उसे कांजीहौज में कर दिया जाता है। अगर कोई आदमी गिरी पड़ी लकड़ी अथवा दातून तोड़ता है, घास छीलता है तो उस से नाजायज जुर्माना वसूल करते हैं। तो ये तमाम कठिनाइयां आज उत्पन्न हो रही हैं। आज जो लोग वहां खेती कर रहे हैं, जो अपने घरों को छोड़ कर जंगलों के किनारे आबाद हुये हैं, क्योंकि जिसके पास कहीं और खेत रहा होगा वह तो वहां जायगा नहीं, भूमिहीन ही लोग वहां गये हैं, तो उन भूमिहीन लोगों पर यह वज्र प्रहार हो रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि जहां खेती होती हो उस जमीन को नहीं लेना चाहिये।

अन्त में मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को मान कर वे प्रदेश के लाखों लोगों का कल्याण करेंगे और उनकी आहों को लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

***वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**—अधिष्ठाता महोदय, जितना समय इस सदन का गैरजरूरी और गैरमुताल्लिक बातों में सर्फ किया गया वह इतना काफी है कि मैं बहुत ज्यादा वक्त अपने जवाब में नहीं लेना चाहता। सिर्फ मुझे दो, एक बातें अर्ज कर देनी हैं। जहांतक जंगलों का ताल्लुक है गरीबों के नाम में, काश्तकारों के नाम में इस हाउस में अपील की गयी है। यह तो खुली हुई बात है कि बेचारे गरीबों के पास न तो जंगल थे, न उन्होंने जंगलों को किसी को काटने के लिये दिया और न उन्होंने कोई नाजायज फायदा जंगलों से उठाया। जंगल तो सिर्फ मामूली भी नहीं बल्कि जो बहुत बड़े-बड़े जमींदार थे उन्हीं लोगों के पास थे और जब से उनको यह मालूम हुआ था कि जमींदारी खत्म होने वाली है उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर---]

वक्त से जंगल काटने शुरू कर दिये थे और यह कोशिश की कि किसी न किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जंगलों से उठाया जाय और उसी का यह नतीजा हुआ कि कम से कम दो, तीन सौ मुरब्बा मील के जंगल साफ हो गये और बहुत से ऐसे थे कि जो करीब-करीब साफ होने के आ गये। हमको जंगलों को सुरक्षित रखना है। इसीलिये हमने इसमें यह तारीख मुकर्रर की कि जिस तारीख से जमींदारी खत्म हुई है उस तारीख को जो चीज भी जंगल दर्ज थी उसको अगर हम चाहेंगे तो ले कर उसकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वह किसी की मिल्कियत है तो उसको हम खत्म करना नहीं चाहते लेकिन उसकी शक्ल जंगल की बाकी रहे, यह हम करना चाहते हैं।

जैसा मैंने कहा कि अगर वह किसी के बागात हैं, किसी के खेत हैं और कभी जंगल नहीं रहा है तो हमारा इरादा उसको छूने का नहीं है और न छूयेंगे। लेकिन जो जंगल रह चुका है, जिसको हम अब भी समझते हैं कि यहां पर जंगल होना चाहिये उसको लेने का अधिकार ले रहे हैं। यह नहीं है कि अगर हमको लेने का अधिकार है तो जितनी जमीन है वह सब हम ले लेंगे। हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस पर उज्रदारी होगी और उसके बाद जिसको हम मुनासिब समझेंगे उसको ले लेंगे और नहीं मुनासिब समझेंगे तो छोड़ देंगे। तो उसके नाम पर यह हंगामा करना कि हमारी ऐसी नीति है कि हम काश्तकारी खत्म करना चाहते हैं या ऐसी जमीन जो जोती जाती है, बोई जाती है या जिसमें अनाज पैदा होता है उसको लेना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत है। ऐसी कोई हमारी नीति नहीं है और न हम कुछ करना चाहते हैं। रिफ्यूजीज का भी हवाला दिया गया कि उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जोती बोई और उस पर खेती कर रहे हैं, उसको भी लेना चाहते हैं। श्रीमन्, जाहिर है कि अगर उनको सरकार से जमीन मिली है या जंगल हमने काटे हैं, आज भी जहां रिहन्द डैम बन रहा है वहां हजारों एकड़ जंगल काटे गये हैं और जगह भी जहां डैम बने हैं, जंगल काटे गये हैं और जहां पब्लिक परपज के लिये स्टेट ने जंगल काटे हैं उनका कोई सवाल नहीं है। लिहाजा रिफ्यूजीज का नाम लेना बिलकुल गलत है।

उन्होंने दफा ८ पढ़कर सुनाई। हमने भी कह दिया था कि १९४६ से कोई जंगल नहीं काट सकता है, जंगल की पैदावार नहीं ले जा सकता है। इसके माने साफ यह थे कि वहां पर काश्तकारी नहीं हो सकती थी। यही हमारी नीति थी और उसी पर हमने अमल किया था और आज भी कर रहे हैं। इससे पहले कोई रिफ्यूजीज नहीं आये थे और बाद को किसी ने अगर पट्टा दे दिया और वह नाजायज है तो खत्म हो जायगा और अगर जायज है तो नहीं लेंगे। जिस जमीन के लिये हम चाहते हैं कि वहां जंगल हो और जंगल में रहनी चाहिये उसको ही हम लेना चाहते हैं। लिहाजा जो तरमीम पेश की गई है उसको मैं नहीं मानता।

(गणपूर्ति के अभाव में गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, तीसरी दफा यह बात है।

श्री अधिष्ठाता---आज तो यह पहली बार है।

श्री प्रतापसिंह---जी नहीं कई दिन ऐसा हो चुका है। कल भी हुआ था।

श्री अधिष्ठाता---कल की बात कल रही और अगर आज फिर ऐसा हुआ तो देखा जायगा।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, कल की बात का भी खयाल होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---वह तो कल हो गई, आज उसका कोई असर नहीं होगा।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखण्ड (१) (बी) के भाग (ii) की पंक्ति ३ में शब्द तथा अंक "July, 1952" के आगे शब्द तथा अंक "and remained fallow on the Ist July, 1959." बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१९,
विपक्ष में —३९।)

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना था और आपको खयाल होगा कि कल भी मैंने निवेदन किया था और आपने कहा था कि विचार करेंगे। आपने यह भी देखा होगा कि इधर के और उधर के लोगों को मत देने में संकोच होता है। इसलिये हमारी राय यह है कि विभाजन लॉबीज में होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—अगर हम उचित समझेंगे और कोई महत्वपूर्ण संशोधन होगा तो उसको लॉबी में करा लेंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, यहां सारी जमीन जायदाद चली जाय इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या होगा?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की पहली पंक्ति में शब्द "pasture" निकाल दिये जायं तथा पहली पंक्ति में शब्द "cultivable" तथा दूसरी पंक्ति में शब्द " or adjacent to " निकाल दिये जायं।

श्रीमन् इस संशोधन का मंशा बिलकुल साफ है। जैसा कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि फारेस्ट्स के अन्दर जमीन के ऊपर और नीले आसमान के नीचे जो भी वे सोच सकते थे वह सब कुछ इस फारेस्ट की परिभाषा के अन्दर आ गया है "trees, bushes, shrubs or woody vegetation" में तो सब चीजें फारेस्ट की आ गयीं लेकिन उन्हें इससे संतोष न हुआ और सोचा कि कहीं कुछ रह न जाय इसलिये उन्होंने यह भी रख दिये :—

"or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate."

तो फिर मंत्री जी को यही कह देना चाहिये था कि जो हम कहें वह जंगल माना जायगा यानी आपकी कैसी ही विज्ञप्ति क्यों न निकल जाय और वह फारेस्ट हो गया।

श्री सैयद अली जहीर—यह भी कहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी फरमा रहे हैं कि यह भी कहते हैं तो...

श्री अधिष्ठाता—विष्ट जी, आप तो वकील हैं ऐसा मंत्री जी कैसे कह सकते हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी ने अपने मुखारविन्द से कहा है। आपने शायद, श्रीमन्, सुना नहीं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने सुना। उन्होंने ह्यूमरस वे में कहा है। ह्यूमर भी तो समझा कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर यह ह्यूमर है तब तो यह ह्यूमर बड़ा भयंकर है। यानी यहां तक कि पाश्चरलैंड और कल्टीवेबिल और नान-कल्टीवेबिल सभी जमीनों को फारेस्ट बना दे रहे हैं। इनके अलावा जो सबसे भयंकर बात इसमें है वह यह है कि जो जमीन जंगल

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

के भीतर हो वह ले लें तो ठीक है लेकिन इसमें "Adjacent to forest" भी है। यानी जंगल से मिली हुई बाहरी जमीन भी जंगल के अन्दर ला करके फारेस्ट घोषित करना चाहते हैं। अब इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ५ के अन्दर अगर आप देखिये तो वह इस तरह से है:—

"After the issue of a notification under section 4, no right shall be acquired in or over the land comprised in such notification, except by succession or under a grant or contract in writing made or entered into by or on behalf of the Government or some person in whom such right was vested when the notification was issued ; and no fresh clearings for cultivation or for any other purpose shall be made in such land, except in accordance with such rules as may be made by the State Government in this behalf."

यानी जनता के सारे हकूक जंगल घोषित की गई जमीन से खत्म हो जायेंगे। नोटीफिकेशन होते ही चाहे उस नोटीफिकेशन का असर बाद में जो कुछ भी होता हो, उस जमीन का हस्तांतरण समाप्त हो जायगा। उस जमीन की विरासत किसी को मिलने वाली हो, जैसे बाप से बेटे को तो वह चाहे भले ही मिल जाय या गवर्नमेंट का किसी से मुआहिदा हुआ हो तो बात दूसरी है वरना और सारे अधिकार समाप्त हो जायेंगे। और बाकी तमाम और चीजें भी जो फारेस्ट के लिए लागू की गई हैं वह अधिकार भी बाद को उसमें समावेश हो जायेंगे।

माननीय मंत्री जी एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमें उस जमीन को नहीं लेना है जिसमें काश्त होती है, जिसमें जंगल न रहा हो। अभी उन्होंने फरमाया था और कल भी आश्वासन इस प्रकार का दिया था कि सरकार का कत्तई मंशा नहीं है कि सरकार उस जमीन को ले जिसमें सन् १९५२ में जंगल नहीं थे या जिसमें काश्त होती रही है। दूसरी सांस में ही वह यह भी कहते हैं कि चाहे कोई भूमि कल्टीवेबिल हो, काश्त के योग्य हो या न हो और दूसरी बात यह कि चाहे जंगल के अन्दर हो या जंगल से मिली हुई हो। अब जंगल से मिली हुई कितनी जमीन कितने एकड़ जमीन, कितनी लम्बाई चौड़ाई की जमीन वह लेंगे। जंगल से मिला हुआ तो सारा हिन्दुस्तान है। तो उसकी अपने जंगल की कोई परिधि, कोई सीमा कहीं तो मन्त्री जी रखते कि एक फर्लांग की दूरी तक की जमीन या १ मील, दो मील, चार मील, दस मील, १०० मील तक की जमीन केवल ली जायगी, मगर वह भी यहां नहीं है। तो यह क्या मानी रखता है? माननीय मन्त्री जी के भाषण से तो लगता है कि सरकार कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। लेकिन जिस समय इस अधिनियम का इंटरप्रिटेशन होगा उस समय कोर्ट माननीय मंत्री जी के उन आश्वासनों पर नहीं चलेगी। माननीय मन्त्री जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा अदालत में उसकी कोई वकत नहीं रहेगी।

माननीय मंत्री जी के ही पीछे बैठने वाले एक आदरणीय सदस्य हैं श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, पुराने कांग्रेसी हैं। उन्होंने कल मुझे बताया कि यह बिल आने से पहले ही तराई भावर और खुद उनके गांवों में क्या-क्या हो चुका है। उनका कहना है कि जंगल वाले सीमेंट के बने हुए कई खूंटे उनके गांव में ले आये, in anticipation of the passage ot this Bill वहां लगाने को। यानी कल एक बिल आने वाला है और आज ही, उसकी कार्यवाही होने लगी। उसका जंगलात विभाग द्वारा जंगल लगाने हेतु सर्वे हो चुका। सब कुछ हो चुका। माननीय मंत्री जी तो यहां एक पायस विश (pious wish) जाहिर कर दें और वहां बिल के पास होने के पहले ही कांटेदार तार चले जायं, खूंटे चले जायं, यह सब क्या मानी रखता है? सरकार कहती कुछ और है करती कुछ और है। वही बात है—इसके खाने के दांत और हैं दिखाने के और हैं।

माननीय लालबहादुर जी को शक हो रहा है। वह पूछ लें अपने ही साथ बैठे हुए माननीय लक्ष्मणदत्त भट्ट जी से। और भी कई सदस्यों को मालूम है कि तराई भावर के कई गांवों का सर्वे हो चुका है और इस नीयत से हुआ है, वह खम्बे वहां लाये गए हैं, वह वहां पड़े हुए हैं,

वह कह रहे थे अभी कल की ही बात है, कि वह तो सब खूंटों को गाड़ने लग गए थे। जिस पर भट्ट जी ने उनसे कहा कि तुम किस अधिकार से, किस नियम के मुताबिक यह खूंटे यहां पर लगा रहे हो ? अगर किसी ने तुम पर मुकदमा चला दिया तो यह मौखिक या लिखित सारा हुक्म धरा रह जायगा , क्या राइट है तुमको इसे लगाने का, तुम क्यों अपनी नौकरी खोते हो ? तब उन कर्मचारियों की समझ में आया और उसमें वह खूंटे नहीं गाड़े गए। वह गांव इस तरह से बच गये ।

इस घटना से मुझे याद आता है कि न मालूम कितने गांवों में ये लग चुके होंगे जिस तरह अल्मोड़े जिले के मोर नौला, शहर फाटक, फामसीमा, धौल छीना, नाकुरी, सामाई आदि में वे लगाये गये हैं। मगर यह सरकार यह कहती है कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं और हम काश्त वाली जमीन लेने नहीं जा रहे हैं तो फिर माननीय मंत्री जी यह एग्रीकल्चरेबिल लैंड क्यों लेना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि इसमें आप काश्त वाली ही जमीन नहीं ले रहे हैं बल्कि काश्त हो सकने वाली जमीन भी ले रहे हैं। तो फिर यह जो गोधन की रक्षा के लिये, पशुपालन करने के लिये सरकार नाटक रच रही है इससे कोई संरक्षण होने नहीं जा रहा है क्योंकि उनके चुगने के लिये आप कोई चरागाह छोड़ने की बात नहीं करते। इससे क्या, गोसंवर्द्धन होगा ? उनके चुगने के लिये आप चरागाह न छोड़ें और सारे जंगल अपने कब्जे में कर लें तो उससे मवेशियों की रक्षा होगी ? मैं आपके सामने कुमायूं की बात करता हूं। वहां पर कई जंगल ऐसे हैं कि जिनमें वहां के रहने वालों को जन्मसिद्ध यह अधिकार है कि कुमायूं का कोई भी पैदा होने वाला, जो वहां का रहने वाला है, वहां के रिजर्व वन नम्बर १ या २ के अन्दर हक रखता है कि अपने गांव के पशु चराने के लिये वहां ले जाय और लकड़ी बटोरे और जो भी वहां के फारेस्ट प्रोड्यूज हैं उनको भी ले। उनको यह हक आज से नहीं बल्कि बहुत जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले से हासिल हैं। अब आप उसको बदल रहे हैं। उनको यह राइट बहुत पुराने समय से मिला हुआ है। अब उन राइट्स को छीन रहे हैं। इससे वहां पर रहने वाले लोगों के दिलों में बहुत परेशानी है ।

यहां पर बंशीधर जी शुक्ल अपनी बातें कुछ दुख के साथ रखते हैं तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है उसी की वजह से वह ऐसा कहते हैं। वह जानते हैं कि खीरी के लोगों के दिलों में कितनी तड़पन है। माननीय मन्त्री जी मुझे माफ करेंगे ? मैं उनके व्यक्तिगत के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं। वह बहुत सयाने आदमी हैं और उनकी काबलियत की मैं कदर करता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि उनके विभाग वाले उनसे यह कह रहे हैं कि जल्दी से कानून पास करो नहीं तो यह जंगल चले जायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कानून बनाया जा रहा है और उनकी जमीन को लेने की बात की जा रही है यह केवल इसलिये कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी उन लोगों से अपना बदला चुकाना चाहता है। चूंकि कुमायूं के लेजिस्लेचरों ने एक स्वर से यह मांग की थी, चाहे वह उधर के बैठने वाले हों और चाहे इधर के बैठने वाले हों सब ने यह मांग की थी कि इनको वहां से हटाया जाय। इन्होंने वहां पर सब कुछ चौपट कर दिया है। अब वह जो कुछ करना चाहता है उसको कर रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि माननीय मन्त्री जी एक आदमी को बचाने के लिये इस सरकार के भले नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं ? क्यों इस तरह के आदमी को वह पाले हुये हैं ?

श्री अधिष्ठाता---यह बातें सदन में कई बार आ चुकी हैं और इस संशोधन से सम्बन्ध नहीं रखती हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं यह निवेदन करूंगा कि उसी व्यक्ति विशेष के कारनामों के खिलाफ यह सारे संशोधन आ रहे हैं। मन्त्री जी ने बतलाया था कि इस अधिकारी को उन्होंने एक्सटेन्शन नहीं दिया है। वह ५५ साल की उम्र में रिटायर होते लेकिन अब प्राविन्स में ५८ हो गया है। उनका जो ग्रेड है उसके अनुसार वह ग्रेड पी० एफ० एस० का दो हजार है। आइ० एफ० एस० का ग्रेड तीन हजार होता है। वह तीन हजार पूरा लेते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

लेकिन वह पी० एफ० एस० के अफसर हैं। मैं तो सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि सरकार सिर्फ एक आदमी के लिये सारे नियमों को बदलने जा रही है। मैं कोई एक आदमी के लिये कोई बात नहीं कहता हूं लेकिन जब सरकार नंगे नाच पर उतर आई है और एक आदमी के लिये कानून बदल सकता है, तो. . . .

श्री अधिष्ठाता—इससे संशोधन का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उस में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के लिये सरकार अगर ऐसा कर सकती है तो यहां साढ़े २२ लाख जनता का सवाल है और इसके अलावा खीरी, लखीमपुर, गोरखपुर, इटावा, बुन्देलखंड आदि में बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां जंगल हैं और इसके पास होने से उसके किनारे रहने वाले वहां लोग तबाह हो जायंगे। यह तरमीम करोड़ों आदमियों को तकलीफ देने के लिये है। संक्षेप में मेरा तर्क इतना ही है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि काश्त वाली जमीन वह नहीं लेंगे, लेकिन उसके विरोध में वे यह कानून ला रहे हैं। इसके अलावा इसमें जंगल से मिली हुई अपरिमित जमीन की बात है। अगर इसमें कोई १० फीट या १०० फीट की सीमा दी हुई होती तो कोई सोचने की बात हो सकती थी। कुमायूं में एक खास मुश्किल यह है कि वहां एक कानून बना हुआ है जिसके हिसाब से हर आदमी को अपनी मजरूआ जमीन को तीन साल में एक चौथाई एकड़ भाग के बराबर एक्सटेंड करने का अधिकार है और उसको उस एक्स-टेंडेड जमीन में वही हक होगा जो कि मजरूआ जमीन में उसको है। और वहां की स्थिति यह है कि बीच में एक गांव है और चारों ओर जंगल है, फिर काफी दूर पर जंगलों से घिरा हुआ दूसरा एक गांव है. . . .

अधिष्ठाता—माननीय बंशीधर जी ने यही बात कही थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उनके यहां तो ऐसा होता ही नहीं। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहां लोगों को स्पेशल राइट्स हैं एक्सटेंशन के और हमारे यहां रूल्स हैं उनके हिसाब से नयाबाद ग्रान्ट भी मिला करती है जिसको भले ही इसे प्रोटेक्टेड फारेस्ट की शक्ल दी गयी हो, लेकिन उसका इंतजाम डिप्टी कमिश्नर के मातहत है। इसमें कहा गया है कि जहां गवर्नमेंट की इच्छा होगी वहां उस जमीन का नोटीफिकेशन करने के बाद उसका इंतजाम फारेस्ट के रूप में अपने हाथ में ले लेगी और यह करना जनता के हित में है। "जनता का हित" एक बड़ा भ्रामक शब्द है और इसे कई बार हम अपने इस आदरणीय सदन में सुन चुके हैं। जब कभी प्रश्न होता है कि फलां आदमी ने गबन किया और क्या उसकी रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तो उत्तर मिलता है कि उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनता के हित में नहीं है। इतना ही नहीं। जनता के हित शब्द का कितना दुरुपयोग किया जाता है इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी, आप उदाहरण न दें। आप अपने भाषण को कृपया संशोधन तक ही सीमित रखें। आप बिलकुल इस संशोधन के बाहर जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं श्रीमन्, उसी पर आ रहा हूं। बस एक उदाहरण जनहित का देना चाहता हूं। उसे कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। यह सरकार जनता के हित की बहुत दुहाई देती है। जनता के हित के नाम पर जनता पर अत्याचार करती है। श्रीमन्, जनता का हित नहीं होता। यह सरकार जनता के हित के शब्द का तरह तरह से दुरुपयोग करती है। जनता का हित कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मिर्जापुर नगरपालिका पर जनसंघ का बहुमत था। वहां पर बराबर जन संघ कामयाब हुई है। तीनों बार वहां पर जनसंघ की जीत हुई है। जब-जब सरकार ने जन हित के नाम पर वहां के शासन को अपने हाथ में लिया, हाई कोर्ट से उसके खिलाफ फैसला हुआ। इस सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह सरकार जनहित के नाम पर बोर्ड को सुपरसीड करती है। पूरे सूबे में नगरपालिकाओं का शासन या तो जनसंघ के हाथ में है या कांग्रेस के हाथ में है। जहां जहां पर जनसंघ का शासन है वहां वहां पर जनहित के नाम पर इन्होंने बोर्ड को सुपरसीड किया है और वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। इस जनहित का कितना श्रीमन्, दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में जितना कहा जाय, कम है। श्रीमन्, मिर्जापुर के बारे में यह आरोप हम लोगों पर लगाया गया कि हम ने साइकिल का टैक्स क्यों घटा दिया। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि हमने विन्ध्याचल जाने वाले यात्रियों पर टैक्स नहीं लगाया। यह आरोप हमारे ऊपर लगाये गये। इन आरोपों पर हमको निकाला गया।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह सब सन् १९६२ के इलक्शन की तैयारी है। यह उस वक्त वन के निकट रहने वाले मतदाताओं से कहेंगे कि या तो हमें वोट दो नहीं तो हम तुम्हारी भूमि को जंगल में शामिल कर लेंगे। यह सब उस इलक्शन की ही तैयारी है। यह सरकार पुलिस के डंडे से अपना काम करवाना चाहती है। यह सरकार आज जगह जगह, यहां विधान भवन में, विधान सभा की प्रिंसिक्ट्स में, जहां भी देखिये पुलिस की तैनाती है? आज पुलिस का ही राज्य है। यह सब आज जनता के लिए क्या है, क्या यही जन हित है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिये भगवान के लिये आप कम से कम इतनी ताकत न लीजिए, प्रजातंत्र की मर्यादा की रक्षा कीजिये। जो जंगल हैं ये तो हैं ही, उसके बाहर भी जंगल मत कीजिए। अगर आपको जनता से प्रेम है, उसके लिये आपके दिलों में हमदर्दी है तो कृपया ऐसा मत कीजिये और मेरे इस संशोधन को मान लीजिये।

*श्री प्रतापसिंह—अधिष्ठाता महोदय, माननीय विष्ट जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर बोलने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार ने जो धारा ३८ (ए) संशोधन पेश किया है वह जनतांत्रिक सिद्धान्तों के बिलकुल खिलाफ है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कल यह बात यहां आई थी कि जो फैक्ट्स फाइन्डिंग्स कमेटी की सिफारिशें थीं उनको सरकार ने नहीं माना है। वह उसके खिलाफ है। वह सिफारिशें हमारे सामने नहीं आई हैं। एक और फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी जो माननीय पंत जी के नेतृत्व में बनी थी सरकार उसकी सिफारिशों के भी खिलाफ थी।

मान्यवर, इससे पहले कि संशोधन में क्या है, उसको सामने रखूं, मैंने जैसा कि कल भी कहा था, धारा ३८ का मंशा जनहित में है। उसमें कई दफ़ा यह लिखा है कि जब वहां की जनता यह कहे कि इन इन चीजों को आप अपने हाथ में लीजिये, इन्तजाम कीजिये तब वह किया जाय। लेकिन यहां पर मुझे देखकर दुःख हुआ कि कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने वाली सरकार पाश्चर लैंड, जहां गाय भैंस चरती हैं उन को ले रही है और दूसरी कल्टिवेबिल लैंड भी है। मैं इधर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में खेतिहर लोगों की संख्या ज्यादा है और इसमें दो रायें नहीं हैं कि हमारी जन संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। तो उसमें जो बे-रोजगार हैं उनको या तो इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा या जो खेती बची हुई है उसमें उनको लाया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम भूमिहीनों को कहां बसायें? आज तक तो यह होता था मान्यवर, कि आप के जिले के लोग आप के पास आये और उन्होंने बताया कि वहां कटीली झाड़ियां हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं है इसलिए वन-मंत्री से कह कर हमको वह जमीन दिला दीजिये और आप भी दिला देते थे लेकिन अब आप अगर मदद करना भी चाहें अपने क्षेत्र के लोगों की तो नहीं कर सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी में रोज इस बात का तजकिरा होता था कि शारदा नदी, सरयू और गंगा नदी के किनारे की जो जमीन पड़ी हुई है, जिसमें कीमती पेड़ नहीं हैं—इमारत वाले, वह भूमिहीनों को दे दीजिये। बार बार उसमें प्रस्ताव हुआ। चन्द्र सिंह जी मौजूद हैं, वह भी समर्थन करेंगे इसका, सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुए। माननीय मंत्री जी के पार्टी के लोगों ने भी पास किया कि कुमायूं के जो अब ७ जिले हो गये हैं वहां के ४०,००० भूमिहीनों को एक साथ बसाने के लिए टनकपुर से हरिद्वार तक २०० मील लम्बी पट्टी को खाली कर दीजिये और वहां बसा दीजिये। हमारे जंगलात विभाग के जो अधिकारी हैं जो सेक्रेटेरियट से बाहर बैठते हैं, वह घूमकर देखते हैं कि कहां जमीन है, कहां पर नहीं। उन पर जोर डाला गया कि इस जमीन पर बसा दीजिये। उन्होंने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। जब प्रेसीडेंट ने उनका जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स कोई गोपनीय नहीं है, मैं उसका हवाला दे सकता हूं। तो पहले यह रिपोर्ट मांगी गयी कि हरिद्वार से टनकपुर तक कितनी जमीन खाली है तो विभागीय अध्यक्ष ने कहा कि एक भी टुकड़ा खाली नहीं है। जब प्रेसीडेंट ने पूछा कि आप ने कोई जांच की तो उन्होंने कहा कि हमको खुद ही पता है। भला २०० मील के अन्दर एक भी टुकड़ा खाली न हो, यह कैसे हो सकता है? बड़े-बड़े डैम्स बनते हैं तो उनके लिये फौरन् जमीन खाली करा ली जाती है, रिजर्व फारेस्ट तक काट दिये जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि डैम न बनाइये, जरूर बनाइये, लेकिन दुःख इस बात का है कि सरकार जब अपनी आमदनी बढ़ाने की बात आती है तब यह नहीं देखती कि कैसी जमीन है—न रिजर्व फारेस्ट, न उपजाऊं जमीन, न खेती करने योग्य जमीन कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन जब जनता के लाभ की बात आती है तो इस तरह का संशोधन हमारे सामने पेश किया जाता है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आखिर किसकी राय से संशोधन आता है, किस आवश्यकता के अनुसार आता है, कुमायूं फारेस्ट कमेटी की किस सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया? मुझे भरोसा है कि सेक्रेटेरियट लेविल पर जो बुद्धिमान सेक्रेटरी हैं उन्होंने कभी राय नहीं दी होगी कि जो खेती वाली जमीन है वह भी ले लीजिये। मैं जानता हूं कि बहुतों के यहां खेती होती है, वह कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज यह है कि जहां पर चारागाह हमारे हैं, आज बहुत सी जगहें हैं, जो फारेस्ट की एवं वर्किंग प्लान होती है उसमें पास्चर लैंड जरूर रहती है, उसमें चारागाह रहती है जनता की, लेकिन यह जो संशोधन आ रहा है यह वर्किंग प्लान के भी खिलाफ है। तो वह कौन से महानुभाव थे जिन्होंने मंत्री जी को राय दी?

कुमायूं फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी ने भी ऐसी सिफारिश नहीं की और माननीय पंत जी से अगर आज भी राय ली जाय तो वह इससे सहमत नहीं होंगे और मैं समझता हूं कि जब उनके पास इसकी आवाज पहुंचेगी तो उनको कहना पड़ेगा कि अपोजीशन का सिद्धान्त सही था और माननीय अली जहीर साहब का सिद्धान्त ग़लत था। आप बतायें कि यह संशोधन आप किसकी राय से लाये हैं? इसके आने के बाद उदारता रखने वाले अधिकारियों के भी हाथ कट जाते हैं। विभाग में हर प्रकार के अधिकारी आ सकते हैं। मान लीजिये कल कोई अच्छा अधिकारी आ जाय और वह कुछ ग़रीबों को जमीन देना चाहे तो उसके हाथ बंध जायंगे, वह जमीन नहीं दे पायेगा। इसलिये मेरी गुजारिश है और मेरा प्रस्ताव है कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार करें और इसलिये स्वीकार करें कि यह जनता के हित में है। कल आप को जनता के सामने जाना पड़ेगा। अगर आप ने बहुमत के आधार पर पास करा लिया तो आपको कहना पड़ेगा कि विरोधी दल वाले जो कह रहे थे वह सही था, लेकिन थंपिंग मेजारिटी के बल पर हमने उस को नहीं माना। इस संशोधन का सम्बन्ध ग़रीब जनता से है। अगर इस संशोधन का सम्बन्ध पूंजीपतियों और मिल मालिकों से होता तो मैं अवश्य इसका समर्थन करता, लेकिन चूंकि इसका सम्बन्ध देश और प्रदेश की ७५ फीसदी जनता से है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खेतिहर देश में चरागाहों की जरूरत होती है, कुछ जमीन रिजर्व होनी चाहिये जोकि हम उन्हें दे सकें।

सौभाग्य से यहां पर माल विभाग के उपमन्त्री भी बैठे हैं। अगर उनके पास कोई जाय और कहे कि नैनीताल की तराई में कुछ जमीन पड़ी है, जिसमें कोई पेड़ पाड़ नहीं हैं, उसको दे दीजिये तो इस संशोधन के पास होने के बाद उनके भी हाथ बंध जायंगे। इसलिये मैं वन मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जनता का खयाल करते हुये जिनके वोटों से उनको देश की सेवा करने का अवसर मिला है, इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--श्रीमन्, हम लोगों को भी टाइम मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--अभी तो मन्त्री जी इण्टरवीन कर रहे हैं, आपको भी बोलने का मौक़ा मिलेगा।

***श्री सैयद अली जहीर**--मेरा खयाल है कि रावत जी अपने हिस्से से ज्यादा बोल चुके हैं।

इस संशोधन के सिलसिले में मुझे सिर्फ यह कहना है कि इस सारी बहस की बुनियाद यह है कि आइन्दा आप यह करने वाले हैं जिससे यह हो जायगा। खुली हुई बात है कि अगर इस लाइन पर बहस चले तो फिर इन्सान की अकल इतनी वसीय है कि वह जो भी चाहे तस्वीर खींच सकता है। गुलबकावली और फसानये आजाद जैसे खयाली किस्से भी इन्सानों ने ही लिखे हैं, उसी तरह से घंटों बहस हो सकती है। सवाल यह है कि इस वक्त हमारे पास १३ हजार स्क्वायर माइल्स से ज्यादा जंगल हैं जिनका हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही और दुरुस्त तरीक़े से हो रहा है। जनता को उससे हर तरह का फ़ायदा पहुंचता है और आराम मिलता है। तो यह समझना कि दो सौ या तीन सौ स्क्वायर माइल्स जंगल, जो कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सकते हैं ,उनको हम बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब मैं एक एक बात का कहां तक जवाब दूं जिनके जरिये कि इमैजिनरी तस्वीरें खींच कर गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाये जा रहे हैं। अगर आप हजरात इस क़िस्म से वक्त सर्फ करना चाहते हैं तो सर्फ कर सकते हैं। रह गया यह कि इस कानून से हम को जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो इस बात पर तो अपोज़ीशन को खुश होना चाहिये।

आप को तारीफ़ करनी चाहिये कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा खात्मा होगा तभी आपको जगह मिलेगी। लेकिन अगर वे समझते हैं कि इससे हमको जनता का सहयोग मिलेगा तो इससे वे सबक सीखें और जब उनको कभी यहां बैठने का मौका मिले तो ऐसे बिल वे भी बनायें। इसलिये उनको तो किसी भी तरह से शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिये सिर्फ़ खयाली बातें जो की गयीं वे फिजूल सी हैं।

हमारे प्रताप सिंह जी हैं जो बार-बार पंत जी की दुहाई देते हैं। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि पंत जी का जितना आदर और इज्जत हम लोगों के दिल में है उसका छोटे से छोटा हिस्सा भी उनके दिल में नहीं है, अगर होता तो वे उनके साथ होते, उनकी मुखालिफत में न होते। जो उसूल माननीय पंत जी बना चुके हैं, हम लोग उन्हीं पर अमल कर रहे हैं। आज से ही नहीं, जब से हम लोगों ने इस सूबे की हुकूमत संभाली है तभी से उनके बनाये हुए उसूलों पर यह हुकूमत चल रही है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि उनकी मंशा के खिलाफ़ हम कोई काम कर रहे हों। यह तो उनके फीवरिश माइन्ड का डिलीरियम है, क्योंकि हमारे दिमाग़ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे जनता का हित न होता हो। लिहाजा इन बातों का इस बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में १३ हजार स्क्वायर माइल जंगल है। उसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वह तो आप ने देखा ही है ,इसी तरह से यहां भी होगा। हां, एक बात जरूर है कि कुछ जमींदार लोग जो अब तक जंगल से फ़ायदा उठाते थे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

मुमकिन है इससे उनको कुछ तकलीफ़ हो और वे इसकी मुखालिफ़त करें। वह मैं समझता हूं। लेकिन बहुत सी बातें हमें ऐसी करनी पड़ती है कि बाज़-बाज़ सेक्शन को उससे कुछ कठिनाई होती हैं। उसके लिये हम मजबूर हैं और क्षमा चाहते हैं। आम तौर से जहां तक इस कानून का संबंध है हम इसीलिये बना रहे हैं कि उससे जनता का हित हो।

माननीय विष्ट जी ने कहा कि "जनहित" की तारीफ़ कर दीजिये। मैं कहता हूं कि वह ऐसी कोई मुकम्मिल लिस्ट बना दें तब मैं उनको बता दूंगा कि यह किस जगह पर आता है। कोई ऐसा अमेंडमेंट होता जिसका वाकई ग़लत असर पड़ता तो मैं उसको मान सकता था, लेकिन इस अमेंडमेंट को मैं किसी तरह भी मंजूर नहीं कर सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अगर इस खंड का ताल्लुक़ सिर्फ़ जंगलों से होता तो मुझे कुछ निवेदन नहीं करना था लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द आ गये हैं, मैं सरकार की नीयत पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी परिधि इतनी विस्तृत हो जाती है कि अगर सरकार चाहे तो वह माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले के सामने जो जमीन पड़ी है उसको भी जंगल करार दे सकती है। महज इस कारण से मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। इसीलिये माननीय विष्ट जी ने जो संशोधन दिया है उसको स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि आज सैयद साहब मिनिस्ट्री में हैं, आप समझते हैं कि उसकी परिधि कहां तक होनी चाहिये, लेकिन कल को यदि मुझ जैसा कोई नाकाबिल आदमी आकर वहां बैठ गया और इस धारा को खयाल में रख कर अगर किसी के घर को, जमीन को सरकार ने फारेस्ट डिक्लेयर किया तो क्या होगा? विष्ट जी ने जो संशोधन रक्खा है उसके अनुसार "such land, waterlogged or non-cultivable land, lying within a forest, as may be declared to be a forest by the State Government." इस तरह से है। इसके माने यह हैं "or adjacent to a forest." जंगल के किनारे की जमीन, चाहे वह खेती के क़ाबिल हो या न हो . . .

श्री अधिष्ठाता---मंत्री जी के बंगले की जमीन तो उसमें नहीं आयेगी?

कुंवर श्रीपालसिंह---जी हां, उसमें यहां यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वन की जमीन डिक्लेयर की जाय वह भी आ जायगी, कोई परिधि नहीं बांधी गई है कि कितनी वह लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले के आगे भी यदि कोई नाकाबिल अफसर पहुंच गया, उस को भी वह डिक्लेयर कर सकते हैं। यह कानून आज या कल, एक दो दिन के लिये, नहीं बनाया जा रहा है। अगर यह सोच कर बनाया जा रहा है कि चन्द रोज़ इसको चलाना है जैसे कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी जंगल की जमीन कम हो गई है, उस की पूर्ति के लिये हम ऐसा कर रहे हैं। पहले जंगल काटकर खेत बनाये गये, इस तरह की स्कीम बनी, और अब खेतों को मिटाकर जंगल लगाया जा रहा है यह स्कीम बन रही है। यदि इस बिल का भी वही हश्र होने वाला है, यह भी चन्दरोजा है, यह भी ४ दिन में खत्म हो जायगा तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर यह अस्त्र जो लिया जा रहा है, उसके प्रयोग के लिये अगर कल को कोई नाकाबिल आदमी कुर्सी पर बैठ गया तो वह इस अस्त्र से बड़ा ग़ज़ब कर सकता है।

मैं अधिक न कह कर इतना ज़रूर कहूंगा कि जमींदारों के बारे में जो कहा जाता है, कोई विवाद हो जमींदारों का नाम ज़रूर आता है, मैं अपने दोस्तों से बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि वह जमींदारों का नारा अब एक दगा हुआ कारतूस हो गया है, उस नारे में अब दम नहीं रहा है, उसमें जो एक एट्रेक्शन था वह खत्म हो गया है। अब उस नारे की आड़ में ज्यादा दिन शिकार नहीं किया जा सकता, अब उस नारे के रटने से कोई लाभ नहीं है, दगे हुये कारतूस का बार-बार इस्तेमाल नहीं हो सकता। जमींदारों के वक्त में जो चीजें थीं वही आज भी वहां के रहने वालों के बीच में मौजूद हैं। मुझे मालूम हुआ कि आज भी जंगल विभाग में एक रुपए का २० छटांक घी और १ रुपए का दस सेर गेहूं खरीदा जाता है। जंगल के पास के रहने वाले किसान जंगल के

अफसरों को वह देने के लिए मजबूर हैं, वहां पर उनकी जमींदारी आजतक कायम है, वह अपने हुक्म से लेते हैं, चाहे जिसकी गाय भैंस पकड़ लें, आदमी को पकड़ लें, जंगल तो है ही जो चाहे वह वहां किया करते हैं, कोई वहां देखने वाला नहीं है। अब आप इतना और बढ़ाये दे रहे हैं कि जंगल के क़रीब की जमीन भी जंगल डिक्लेयर की जायगी। एक तरफ़ तो छोड़ दी जायगी और दूसरी तरफ़ जंगल डिक्लेयर की जायगी। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको जरा क्लियर कर दें और विष्ट जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री जी कम से कम इसे जरूर डिक्लेअर कर दें कि स्टेट गवर्नमेंट किस हालत में कौन सी जमीन को जंगल की जमीन डिक्लेअर कर सकती है, वर्ना यह एक इतनी बड़ी परिधि है कि इस क्लाज़ के अन्दर कोई भी चीज़ आ सकती है। इन शब्दों के साथ मैं भाई गोविन्द सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह आशा रखता था कि माननीय मंत्री जी के समक्ष जो तर्क और तथ्य रखे गये थे उससे वे अपनी राय को इस बिल के मुताल्लिक़ तब्दील करेंगे। परन्तु उनके रुख़ से यह पता चलता है कि वे किसी भी क़ीमत पर इस बिल में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने के लिये हर्गिज़ तैयार नहीं हैं। मैं उनकी सूचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि मैं गढ़वाल और टेहरी जिले के जंगली इलाके में बहुत घूमा हूं और मैंने देखा है कि जो फारेस्ट पिलर्स हैं वे आबादी को बिलकुल छूते हुए चले गये हैं, और आप की दूसरी इत्तला के लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि जो लोग उत्तर काशी गये हैं--मिनिस्टर्स, सरकारी आफ़िसर्स और जो कोई फारेस्ट आफ़िसर मौजूद होंगे, उनको पता है कि डूंगा के आगे पी० डब्लू० डी० की सड़क के दोनों तरफ फारेस्ट पिलर्स गांव वालों की जमीन से होते हुए चले गये हैं और वह जमीन सीधे जंगल विभाग के कब्जे में आ गयी है। गांव वालों की वह जमीन जबरदस्ती घिर गयी है और ऐसी जमीन को जंगल डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दे सकेंगे कि जब इस तरह का कोई प्राविजन फारेस्ट ऐक्ट के अन्दर नहीं था तो किसी प्रावीजन के न होते हुए भी लोगों की आबादी को जंगल क्यों घोषित कर दिया गया? मैंने खुद उन खेतों में फसलों को लहलहाते हुए देखा है और चारों तरफ फारेस्ट पिलर्स उनके खेतों को घेरे हुए हैं। मुझे बड़ा खेद है इस तरह के विचार और भावनाओं को देखकर। भले ही माननीय मंत्री जी की सद्भावना जनता की ओर रही हो, परन्तु उनकी यह खोखली सद्भावना जनता के हित को नहीं बढ़ा सकती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या किसी पार्टी का कोई विशेष व्यक्ति यहां आकर काग़ज़ बांट सकता है?

श्री अधिष्ठाता--किस प्रकार का काग़ज़?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं उसका विरोधी नहीं हूं, परन्तु सदन के लिये यह शोभा की बात नहीं है और यह अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति यहां आकर इस तरह से कागज बांटे। यह सदन की प्रतिष्ठा की बात है।

श्री अधिष्ठाता--किस प्रकार का पेपर है?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मैंने उसे अभी देखा है।

श्री अधिष्ठाता--आप ने देखा है तो हम भी तो देखें अपनी आंख से कि वह किस प्रकार का पेपर है?,

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैंने बतलाया कि किसी भी पार्टी का पेपर हो, उसे यहां बांटा जा सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---जब तक मुझे मालूम न हो कि किस प्रकार का पेपर है तब तक मैं क्या निर्णय दे सकता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इसका मतलब यह है कि कल से जनसंघ या पी० एस० पी० वाले भी किसी आदमी के द्वारा अपना कोई पेपर यहां बंटवा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---आखिर किस प्रकार का पेपर है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---कोई भी आदमी जो इस आदरणीय सदन का सदस्य न हो वह यहां आकर काग़ज़ बांटे तो यह अच्छा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं निवेदन करूं कि किसी भी पार्टी के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको परमानेंट परमिशन दिया होता है और हर पार्टी के किसी विशेष व्यक्ति को ऐसी इजाजत रहती है कि वे सदन में आ सकते हैं। लेकिन बाहर का कोई आदमी सदन के भीतर नहीं आ सकता है और न कोई पेपर बांट सकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो क्या उसी समय कोई व्यक्ति उनके सामने आ कर दूसरे व्यक्तियों को काग़ज़ बांट सकता है?

श्री अधिष्ठाता---मैं तो कहता हूं कि नहीं बांट सकता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न, श्रीमन्, यह है कि क्या कोई व्यक्ति सदन के अन्दर आ सकता है जो नान-मेम्बर हो?

श्री अधिष्ठाता---मैंने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे पी०एस०पी० के हों या किसी भी पार्टी के हों,उनके कुछ ऐसे व्यक्ति जो सेक्रेटरी आदि होते हैं जो सदन के मेम्बर नहीं होते, लेकिन उनको यहां आने का परमानेंट पास मिला होता है, वे आ सकते हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---अधिष्ठाता महोदय मैं बताने जा रहा था कि खास कर टेहरी-गढ़वाल में फारेस्ट के पिलर्स हमारी आबादी, चौक, मकान के पास लगे हुए हैं। यह कोशिश जनता के प्रतिनिधियों की ओर से की गई कि उन फारेस्ट के पिलर्स को दूर हटा दिया जाय। सरकार की तरफ से आश्वासन अवश्य मिलते हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही उनको हटाने की नहीं की गई। इसका हमें खेद है।

अब मैं बताने जा रहा हूं एक बार नहीं, कई बार, इस सदन में यह बात सरकार के नोटिस में लायी गयी कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने लोगों के कई पुश्तों से आबाद किये हुए मकान, चौक आदि तथा उनके खेतों को चारों तरफ से पिलर्स से घेर कर जंगल घोषित कर दिया है। मैं समझता हूं इस तरह का व्यवहार अगर जंगलात विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जनता के साथ किया जाता है तो उसको कहां तक मानवता का व्यवहार कहा जा सकता है? हमारे वह दावे जनहित के कहां रह जाते हैं? अगर इस प्रकार की थोथी दलीलें और तकरीरें बिल की सपोर्ट में की जाती हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि १०० फीसदी झूठे तर्कों से आपके बिल को पापुलेरिटी नहीं मिल सकती है। आप भले ही कहें यह जनहित में है। एक बार हमने बताया कि आपके फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से जनता के ऊपर बड़े-बड़े अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। जनता की इस प्रकार उपेक्षा करना अच्छा काम नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मंत्री महोदय शहर के रहने वाले हैं। जंगल के रहने वालों को तो जंगल का असर हुआ ही करता है, परन्तु शहर वालों के ऊपर भी जंगल का असर अगर अधिक हुआ तो यह आश्चर्य की बात है और उससे मुझे बड़ा खेद होता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं अगर हमको कोई अधिकार मिला है तो

उसका इस्तेमाल जनता के हितों को बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिये न कि उनको खत्म करने के लिये और ऐसे अधिकारों, का जिससे जनहित को समाप्त किया जा रहा हो, सदन के द्वारा सम्पादन ही न होना चाहिये। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता—माननीय रावत जी, कृपया किस्सा कहानी न सुनायें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, वह इससे बिलकुल रेलेवेंट है, क्योंकि वह मेरे प्वाइंट को स्पष्ट करता है कि हम अगर जनता की उपेक्षा करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। वह किस्सा इस प्रकार है कि एक सियार शहर की ओर चला और वह धोबी के नील के कुण्डे में किसी प्रकार गिर पड़ा। सुबह जब वह निकला तो उसने देखा कि उसका रंग सूरज की किरणों के पकड़ने से चमकने लगा है। तो उसे बड़ा भारी नाज हो गया कि मैं तो खूबसूरत हूं। वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल के जितने जानवर थे सब प्रसन्न हो गये और अपने बीच बैठाया तथा कहा कि तुम तो राजाओं के भी राजा हो और शेर, बाघ, भालू, आदि जानवर उसकी अर्दली करने लगे तथा वह जंगल का राजा बन गया। सारे जंगल के जानवर चारों तरफ से इस अजनबी जानवर को देखने के लिये बड़ी उत्सुकता के साथ इकट्ठा हुए। परन्तु जो सियार जाति के थे वह दूर बैठ कर उसके दर्शन करते थे। उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि ऐसा सुन्दर जानवर हमने आज तक जिन्दगी में नहीं देखा है। परन्तु वह रंगा हुआ सियार शेर बाघ, भालू, आदि जितने ताकतवर जानवर थे उनसे कहता था कि भाई यह जानवर तो सब बहुत अच्छे ह, सब जेन्टलमैन हैं लेकिन यह सियार की जाति जो है यह बहुत छोटी जाति है, यह बड़ी कमीनी जाति है, इनको खूब मारो, पीटो, और कुचलो। फिर वह कहने लगा कि ये कम्यूनिस्ट हो गये हैं, इनको खत्म करो। इतने में एक सियार बोल उठा। प्रकृति सियार की यह होती है कि एक बोलता है तो सब बोलते हैं। अगर कोई न चिल्लाये तो नतीजा यह होता है कि उसका सर फट जाता है। उस सियार ने सोचा कि अगर मैं अपने को रोकता हूं तो सर फट जायगा और मर जाऊंगा। लिहाजा उसने सोचा कि अगर मैं भी इनके साथ चिल्ला बैठूं तो कोई तरीका बचने का निकल आयेगा। वह भी चिल्लाया बैठा और सब सियारों को मालूम हो गया कि यह हमको कम्युनिस्ट कहने वाला हमारी बिरादरी का है। हमको नालायक और अदना बतलाता था।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रावत जी, आप अपने संशोधन से बहुत दूर चले गये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मैं बतलाता हूं कि अगर हम जंगलों के रहने वालों की उपेक्षा करते हैं तो वही व्यवहार हमारे साथ होगा जो सियार के साथ हुआ। शेर और रीछ उसकी हड्डियां और पसलियां भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे खेद है कि उनके साथ आज तक न्याय नहीं किया गया। फारेस्ट वाले उनकी बीबी तथा बच्चों के हाथ से हंसिया छीन लेते हैं। हम एक नये राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जब ऐसी अदना और छोटी हमारी आदतें हैं तो ऐसा न हो कि ये छोटी बातें एक भयंकर रूप धारण कर लें। आपको पता है कि जो टेहरी राज्य के खिलाफ रिबेलियन हुआ था वह फारेस्ट की समस्याओं को लेकर हुआ था। उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबिले में वह पहले खत्म हुई। क्या बेजानकारी से कोई मुल्क बना है। बेजानकारी किसी मुल्क की सहायता नहीं कर सकती। हम किसी चीज को नहीं जानते और गैर से जानकारी कर लें तो इसमें क्या बेइज्जती है? जब तक हम एक विचार और भावना नहीं रखते तब तक हम जम्हूरियत के काबिल अपने को नहीं समझते। अगर हम अपनी जिद से अपने मुल्क को आग में झोंकते हैं तो क्या यही सेवा हम जनता के प्रति करते हैं?

जंगलों के पास रहने वालों को अगर जंगल से कोई फायदा नहीं होता है, उनके जानवरों को जंगल में नहीं घुसने दिया जाता है और लकड़ी नहीं लेने दी जाती है तो क्या यह मनुष्यता का

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

व्यवहार है ? माननीय मंत्री जी ने जो डेफिनीशन इस सदन में रखी है उसके खिलाफ यह अमेंडमेंट पेश किया गया है। अदालत में जिस वक्त उनकी अपील होगी तो मंत्री महोदय की सद्भावना उनको एक्विट नहीं करा देगी, मंत्री महोदय का कोरा आश्वासन किसी व्यक्ति को कानून के पंजे से अदालत में नहीं छुड़ा सकता। अदालत में वह तभी छूट सकते हैं अगर उनके कानून की बनावट में वह खूबसूरती है जिससे कि बेगुनाह छूट सकें।

जंगल के पिलर्स के बारे में मुझे यह कहना है कि पिलर्स के १०० फीट के बाहर भी किसी व्यक्ति को बिना इजाजत के जमीन पर कोई कार्यवाही करने की इजाजत आज भी नहीं है। परन्तु अब फर्दर जो ऐडजेसेन्ट की बात लिखी हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि चार पट्टियों में तो खेत के बिलकुल किनारे पर फारेस्ट के पिलर्स को मैंने देखा है। मैंने इस बारे में गवर्नर को लिखा, चीफ कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर को लिखा, डिप्टी कमिश्नर को लिखा, लेकिन खेद की बात है कि आज तक उनका कोई उत्तर हमारे पास नहीं पहुंचा। और बजाय उन फारेस्ट पिलर्सको दूर हटाने के अगर कल्टिवेटेड लैंड ऐडज्वाइन करती है फारेस्ट लैंड के तो उसको टेक ओवर किया जा सकता है और उसको फारेस्ट घोषित कर दिया जायगा। तो इसके खिलाफ कौन सी दलील हमारे मंत्री महोदय के पास है जिससे वह अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं ? किन तर्कों से वह सदन को सन्तोष दिला सकते हैं कि उन्होंने जो कानून पेश किया है उसको पास हो जाना चाहिये ? इस कानून से क्या मदद हमारी जनता को मिलती है ? हम लोग अन्धे नहीं हैं, दिमाग से अलग नहीं हैं, कोई पागल नहीं है कि जो मंत्री महोदय की कही हुई बातों को न समझ सकें। जो मंत्री जी का बिल है, क्या हम लोग उनकी भाषा को नहीं जानते ? क्या मंत्री महोदय की परिभाषा आम जनता की परिभाषा से अलग है ? अगर उनकी परिभाषा कोई दूसरी है, आम जनता की परिभाषा नहीं है तो वह कह सकते हैं कि हम उनके बिल को समझे नहीं, लेकिन अगर परिभाषायें जैसी होती हैं वही हैं तो सब कोई उनको समझता है और आखिर में हम एक कामन ऐग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं कि इसका यह मतलब है। तो क्या यह हमारे लिये कोई बड़ी दिक्कत की बात है कि मंत्री महोदय एक छोटा सा बिल लायें और वह हमारी समझ में न आये।

दूसरे, यह बात बार-बार कही जाती है कि यह एक मासूम और छोटा सा अमेंडमेंट है। वह मासूम और छोटा अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन छोटी चिनगारी भी सारे मुल्क को तहसनहस कर सकती है। अगर यह चिनगारी का काम करता है तो बजाय इसके कि हमारी कांग्रेस हुकूमत मजबूत हो, ऐसे खोखले कानूनों को लाकर हम जनता के अन्दर असन्तोष पैदा करते हैं, उसके हितों को कुचलते हैं और मैं समझता हूं कि आप सरकार के प्रति जनता में घृणा पैदा करना चाहते हैं और इससे कांग्रेस को ही धक्का नहीं लगता, कोई भी हुकूमत आये वह टिक नहीं सकती। जो हुकूमत जनता के दिल व दिमाग से उतर जाती है वह डंडे के बल पर टिक नहीं सकती।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रावत जी, आप संशोधन से बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मैं कानून के डंडे को बतला रहा हूं। अंग्रेज जो यहां पर हुकूमत करते थे उनका डंडा, उनकी फौज और गोलियां बरतानिया हुकूमत को यहां कायम नहीं रख सकीं। "कमिंग इविन्ट्स कास्ट देयर शैडो"। ऐसी बातें जिनसे जनता की फीलिंग उभरती हो, मैं समझता हूं ऐसे कानून को यहां लाना न हमको शोभा देता है न हमारे मुल्क को शोभा देता है और हमारी जनता के फेवर में यह बात कतई नहीं जाती है। श्रीमन्, यह हमारी जनता के फेवर में नहीं है। मैं निहायत अदब के साथ माननीय वन मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर फिर एक बार ठंडे दिल से सोचें। जो दफ्तर से उनको सुझाव मिल जाते हैं उनके सम्बन्ध में क्या वह समझते हैं कि उनके अधिकारियों के पास हम लोगों से ज्यादा तजुर्बा है ? अगर वह ऐसा समझते हैं तो वह न तो अपने साथ और न हमारे साथ न्याय करते हैं। आखिर हमने जनता के बीच में वर्षों गुजारे हैं, हम उनके साथ मरे हैं और उनके

साथ जिये हैं, हम उनके दुख के साथ दुखी हुए हैं और उनकी खुशी में खुश हुये हैं। क्या आज हम उसी जनता के दुश्मन हो गये हैं? मैं समझता हूं कि यह बड़े दुख की बात होगी, अगर इस प्रकार के विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में हों।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रावत जी, मैंने आप से कई बार कहा।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। आपको तकलीफ हो रही है लिहाजा मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध और जो संशोधन गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जो संशोधन विधेयक वह लाये हैं उससे जमींदारों का नुकसान होने वाला है इसलिये वह चिल्ला रहे हैं और इसमें जनता का हित होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपनी स्पीच में स्पष्ट करें कि इस संशोधन विधेयक से किस तरह से गरीबों को सुख मिलेगा और कैसे गरीबों का हित होगा। मान्यवर, जमींदारी जब जा रही थी और जिनके पास जंगल थे तो इसकी चर्चा होने पर उन्होंने नजराना ले लिया और सब की सब जमीन काश्तकारों को दे दी, इसलिये काश्तकारों का ही सच्चा नुकसान होगा जिनके पास कोई जमीन नहीं है और जिसने जंगल की जमीन को तोड़कर खेती योग्य बनाई है उसको ले लिया जायगा। जो जमीन खेती योग्य है या जिसमें खेती हो रही है, इस तरह से सारी चीजें इसमें रख दी हैं जिनसे सरकार समझती है कि उनके कर्मचारियों का पेट भर सकेगा, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ सकेगा। दु:ख इस बात का है कि जनता का हित करने वाली सरकार जनता के हित की एक भी बात नहीं सोचती है। यह बिल जो बना है, अधिकारियों द्वारा बनाया गया है और मंत्री जी केवल हस्ताक्षर करते हैं और उन्हीं के द्वारा सदन में पेश हो जाता है और मंत्री जी को पता तक नहीं होता कि इसका क्या हश्र होगा। आज जो यहां बिल बनते हैं कल उसको हाई कोर्ट बदल देता है। इस तरह से जनता के करोड़ों रुपये बरबाद होते हैं और फिर से सदन में अमेंडमेंट लाना पड़ता है।

अभी यह इस नीयत से लाया गया है, जैसा कि बिष्ट जी ने कहा कि बिल पीछे आया है वहां खूंटियां लोगों ने पहले से गाड़ ली हैं। यह एक जगह नहीं कई जगह पर हुआ है। फारेस्ट अधिकारियों को पहले से ही यह अधिकार है कि जिनको वह जितना चाहें परेशान कर सकते हैं, उन लोगों को जो वनों से सम्बन्ध रखते हैं उनको वह परेशान कर सकते हैं। हमारे यहां तो जमुना चम्बल के किनारे बहुत भीहड़ जंगल है। हमने देखा है कि फारेस्ट गार्डस व्यक्तियों को चालान कर देते हैं जिनका चाहते हैं, जिनके बकरी नहीं भी होती हैं। कहते हैं कि साहब, तुम्हारी गायें, बकरियां भेड़ें चर रही थी। जिनकी चरती हैं उन पर कुछ नहीं होता और जिनसे रंजिश होती है उन पर मुकदमे चलते हैं और उनको परेशान किया जाता है। यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कानून जंगलात का पहले से मौजूद है ही, जनहित के नाम पर उन पर जुर्माने होते हैं, वे जेल भेजे जाते हैं जबकि उसके पास एक भी बकरी नहीं है, एक भी भैंस या गाय या भेड़ नहीं है।

यही नहीं कि वह जमीन आप लेना चाहते हैं जो सन् ५२ से पहले से जंगल में लगी हुई थी, बल्कि वह जमीन भी लेना चाहते हैं जो जंगल से मिली हुई हो। यदि ठीक प्रकार से यह भी आ जाता कि जंगलात से मिली हुई जमीन चाहते हैं, कितनी जमीन चाहते हैं, १० हाथ, २० हाथ, २५ हाथ, तब भी बात थी, लेकिन कानून में स्पष्ट नहीं है। इसलिये चूंकि कानून में लिखा हुआ है कि जंगल से मिली हुई जमीन, तो अधिकारी जहां उनकी मर्जी हुई वहां से खूंटी गाड़ देंगे और कहेंगे कि दिखला लो कानून को, वकील को, उसमें लिखा हुआ है। फारेस्ट के लिये कानूनन हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वह उस जमीन को ले लेगा और वह बेचारा किसान रोता रह जायगा। जंगल से मिली हुई जमीन लिख दी गई है, लेकिन उसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिधि नहीं है।

(इस अवसर पर ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जो वहां मेजरमेंट करेगा, अगर उसकी नीयत में बदनीयती है और वह चाहता है कि रुपया पैदा करे उन लोगों से जो जंगल से मिले हुए रहते हैं तो निश्चित मानिये, अध्यक्ष महोदय, कि वह उसी तरीके से काम करेगा और उसकी जो नापतोल होगी वह उसी तरीके से होगी कि जंगल से लगी हुई जमीन है, इसलिये इतना तो फारेस्ट डिक्लेयर हो जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह वहां खूंटी गाड़ देगा, किसान रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, कोई सुनवाई होगी नहीं, पैसा उसके पास नहीं होगा, वह मुकदमा कर नहीं सकता। तो इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय गोविंद सिंह जी विष्ट ने जो संशोधन पेश किया है उसे मानना चाहिये और इसलिये मानना चाहिये, क्योंकि बड़े धोखे का काम हो रहा है। यह संशोधन बिल जो माननीय मंत्री जी लाये हैं यह बड़े धोखे का है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसे ठीक प्रकार से समझें कि क्यों विरोध पक्ष के सभी लोग और ट्रेजरी बेंचेज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं जिनका लगाव जंगल से है। मुझे दुःख इस बात का है कि माननीय मंत्री जी जंगल के मंत्री तो हैं, लेकिन जंगल से उनका कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा है। अगर वे जंगल के करीब के भी निवासी होते तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव होता और जो कानून अधिकारियों द्वारा बनाकर उनको दे दिया गया है उस पर वे कदाचित हस्ताक्षर न करते और कहते कि बड़ा गलत बिल लाये हो यह हम नहीं रखेंगे। अधिकारियों ने जैसा चाहा बना दिया, उन्होंने मान लिया, उनको अनुभव नहीं है। कहते वे यह हैं कि यह मासूम सा संशोधन विधेयक है मगर यह बहुत भयंकर है। मैं कहता हूं कि यह बड़ी भयानक चिनगारी है। वह एक मासूम हाथों से पेश हो रही है। माननीय मंत्री जी को अनुभव नहीं है, अगर अनुभव होता तो उनको साहस नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें और हमने जो बातें अभी कही हैं उनको कम से कम स्पष्ट करें। अगर यही कहें कि जो जमीन जमींदारों से संबंधित थी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा था कि जमींदार को नुकसान होगा, यह एक भ्रम है। यह एक ऐसा जाल डाला है माननीय मंत्री जी ने कि जिससे न मालूम कितने बेचारे निर्दोष व्यक्ति उसके शिकार हो जायेंगे। उस जाल को डालने के पहले खुद माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये था कि इस जाल से कहीं माननीय मंत्री जी से संबंधित व्यक्ति भी तो नहीं फंसते हैं। यह जमींदार के नाम का तो एक ऐसा नारा रट गया है कि उसी नारे को हमेशा दोहरा दिया जाता है।

एक बात माननीय मंत्री जी यह भी कह दिया करते हैं कि मालूम होता है कि इस बिल को विरोधियों की तरफ से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हो सकता है कि हमने न पढ़ा हो लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो इसे बनाया है। हम इसीलिये सदन में आते हैं कि हमको अगर कोई भ्रम है तो माननीय मंत्री जी उसे क्लेरिफाई कर दें। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका क्लेरिफिकेशन करें। हम जानना चाहेंगे कि वह कौन सी जमीन होगी। अगर वहां लिखा होता कि वही जमीन जो कि सन् ५२ तक जमींदार के कब्जे में थी, वही ली जायगी तो भी कुछ समझा जा सकता था., लेकिन जंगल से लगी हुई जमीन में तो बहुत कुछ आ जाता है। बहुत सी ऐसी जमीन है जिस पर मकान बन गये हैं, ग्रो मोर फूड की स्कीम चली थी, किसानों ने अपना खून पसीना एक करके उस जमीन को बढ़िया बनाया है, आज उस जमीन पर सरकार की वक्र दृष्टि पड़ गई है। उसे सरकार डिक्लेयर करना चाहती है कि यह तो जंगल की जमीन हो गई।

पहले जब तक कि सरकार की दृष्टि इस पर नहीं थी जो व्यक्ति वहां रहते थे, जंगल से संबंधित थे, उनको हर तरह का आराम था, उनकी गाय, भेड़, बकरियां आदि उसमें

चरती थीं। दुख है कि आज वह जमीन भी जो कि गोचर है, सरकार लेने जा रही है। उस पर भी सरकार की नजर है। ऐसी भूमि जहां कि ताल तलैया, गोचर आदि है वह सब सरकार ले लेगी। वह जमीन भी ले लेगी जिस पर ठूंठ खड़े हों। मान्यवर, जंगल के पास गरीब किसान ही रहते हैं, अमीर नहीं रहते, क्योंकि वहां कोई साधन नहीं होता। वह गरीब बेचारे किसी तरह अपनी जिन्दगी वहां बसर करते हैं। यह जंगल अक्सर गंगा, जमुना, चम्बल के किनारे या हिमालय में हैं। उनमें या उनके पास जो गरीब रहते थे वह वहां से लकड़ियां तोड़ा करते थे, उसमें अपनी भेड़ बकरियाँ, गाय, भैंस आदि चराकर किसी तरह अपनी गुजर करते थे। आज इंच-इंच भूमि पर तार लग गये हैं। फारेस्ट गार्ड उन्हीं गांवों से संबंधित होते हैं जो गांव कि अक्सर जंगल से संबंधित रहते हैं। वह सबको जानते रहते हैं कि कौन उन्हें पैसा देता है, कौन नहीं देता है। इतना भ्रष्टाचार फारेस्ट डिपार्टमेंट में है, जैसा कि अभी कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा, कि दस सेर का गेहूं और २० छटांक का घी वह अब भी खरीदते हैं। उनसे वह कहते हैं कि तुम अपनी भेड़ बकरियां गाय भैंस सब चराओ, २० छटांक का घी तुम हमको देना। वैसे तो कोई जंगल से एक दातौन नहीं तोड़ सकता लेकिन उनकी सलाह से जंगल के जंगल कट जातें हैं। नीलाम वगैरह जो होते हैं उनमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वह फिर से विचार करें और माननीय गोविन्द सिंह विष्ट के संशोधन को स्वीकार कर लें, इसी में हित है।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फारेस्ट संबंधी जो एक छोटा सा संशोधन आया है वह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर कम से कम माननीय मंत्री को अवश्य विचार करना है। कुछ ऐसा आभास मिलता है कि यह जो जंगल संबंधी अधिकार है वह धीरे-धीरे सरकार केन्द्रित करती जा रही है और अपने हाथ में लेती जा रही है। एक समय था ६,७ साल पहले, जब जंगल के करीब के जो गांव होते थे उनमें अगर बाढ़ वगैरा से तबाही आ जाती थी तो उनको जंगल से खम्भा और थूनी दिया जाता था। इस साल हमने देखा कि कुछ गांव जल गये तो हमारे सामने उनके बसाने की समस्या आई। उस वक्त हमने जंगलों के अफसरों से कहा कि यह सामान चाहिये तो उन्होंने कहा कि ऐसा आर्डर आया है कि खम्भा और बल्ली नहीं दी जा सकती है। यह संशोधन जो आया है वह स्पष्ट होना चाहिये और माननीय मंत्री जी को सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहिये नहीं तो एक बड़ी गम्भीर समस्या जंगल के एरिया में रहने वाले किसान और गरीबों के सामने खड़ी होगी। मेरा क्षेत्र भी देवरिया जिले में उत्तरी तरफ से हिमालय और नैपाल से सटा हुआ है। मैं जानता हूं कि जंगल के एरिया में कुछ इस तरह से होता है जो समझ में नहीं आता। फारेस्ट आफिसर और रेंजर जो होते हैं वह जिलाधीश से भी बढ़कर होते हैं। जिलाधीश की हुकूमत कुछ देर के लिये खत्म की जा सकती है लेकिन फारेस्ट आफिसर और रेंजर की हकूमत को खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूं कि खड्डा के आसपास कई किसानों की गाय, भैंस, बकरी पकड़कर बन्द कर दी गईं। मुकदमा चलाया गया और जुर्माना भी किया गया। लिखा-पढ़ी उनके विषय में की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में तुरन्त ध्यान देने की कृपा करे।

चरागाह वाली जमीन के लिये एक समस्या है। कुछ जमीन चरागाह के रूप में रखना बहुत जरूरी है। देश के लिये अगर खाद्य की जरूरत है, देश के लिये यदि अन्न की जरूरत है, देश में यदि दूध की जरूरत है और देश को ताकतवर बनाना है तो गोचर भूमि का रखना इतना जरूरी है कि जिसकी बाबत कहा नहीं जा सकता। इसमें यह है जंगल के आसपास की जो जमीन होती है उसमें कोई राजा महाराजा नहीं बसते हैं। वहां पर बसने वाले लोग बहुत गरीब और मजदूर होते हैं। छोटी-छोटी जाति के लोग उस इलाके में अधिक बसते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों बमें उनके खेत बटे हुये होते हैं। ऐसा भी होता है कि एक जंगल

[श्री राजदेव उपाध्याय]

इधर है और एक जंगल उधर है और बीच में गांव आ गया और बीच में कुछ खेत आ गये तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसको यदि फारेस्ट के रूप में परिवर्तित किया जायगा तो उन लोगों के पास सिवाय मरने के और कोई तरीका नहीं रह जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस कानून को स्पष्ट करने की कृपा करें और कम से कम गरीबों के नाम पर एक ऐसा अधिकार जो कि सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है वह सरकार के हाथ में केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि कर्मचारियों के हाथ में जायगा जो पहले से ही मनमाने तरीके पर जंगल के अधिकारियों द्वारा गरीबों पर बरते जा रहे हैं पता नहीं है कि कितने गांव उजाड़े जायेंगे किस-किस किसान को उजाड़ा जायगा, कहां कहां की जमीन ली जायगी यह कुछ समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाये हैं उसको आप स्पष्ट करें और इसके अन्दर इस तरह का प्राविजन करें, जिससे किसान और मजदूर, जिनकी वहां पर झोपड़ी बनी हुई हैं, जिनके वहां पर खेत हैं उनके ऊपर फारेस्ट अफसर मनमाने तरीके पर जुरमाना न कर सकें। मैं समझता हूं कि इसको आप स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्ट जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी हमारे माननीय भारतीय जी बोले हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि सरकार ने जब से जंगलों के ऊपर अधिकार किया है तभी से जंगल के अन्दर बसने वाले लोगों के अधिकार कम होते चले गये और होते जा रहे हैं। जब भी जंगल विभाग के ऊपर बहस हाउस के अन्दर होती है तो पहाड़ों के हमारे भाई हमेशा इसके विरोध में करते हैं कि सरकार सारे के सारे अधिकार लेती जा रही है और उनको परेशान कर रही है। हमारे मंत्री जी ने कहा कि बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है लेकिन मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिसको वह छोटा सा विधेयक कहते हैं उसमें वह जंगल के पास की जमीन को चाहें तो जंगल घोषित कर सकते हैं लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी जमीन जंगल के पास की ऐसी होगी कि जिसको वह ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस जमीन पर किसान आबाद हैं और काश्त करते हैं उसे भी आप जंगल की घोषित कर दें। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि कितनी जमीन जंगल के पास की ऐसी हो सकती है जिसे वह जंगल घोषित करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह कि जंगल के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको मिली हुई सुविधायें अब समाप्त की जा रही हैं। गोचर की भूमि भी जंगल घोषित की जा सकती है और जो ताल, तलैया थीं जिनमें वहां के रहने वाले अपने पशुओं को पानी पिलाते थे उनको भी जंगल घोषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा अधिकार है कि जो वहां के लोगों को सदियों से मिला हुआ है और वे उसका भोग करते हैं। इसलिये जो सरकार अपने को जनता की सरकार कहती है उसे जनता को सदियों से मिले हुए अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इसी तरह से दो जंगलों के बीच में जो भूमि है उसे भी जंगल घोषित कर सकते हैं। माननीय भारतीय जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जंगल में कोल, भील आदि जातियां रहती हैं जो छोटे-छोटे खेत बनाकर अपनी जीविका चलाती हैं और अब आप चाहते हैं कि उनके खेतों को भी जंगल घोषित कर दिया जाय।

रिहन्द बांध में आपने ४५,००० लोगों को जमीन छुड़ा कर जंगल में भेज दिया और उनमें से कितने ही बिना दाने मर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और विचार करें। इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जंगल उसे भी घोषित किया जा सकता है कि जिस जमीन पर जंगल लगाने का इरादा हो। कुंवर श्रीपाल जी ने कहा कि भगवान न करे यदि नालायक लोग वहां आकर बैठ गये तो वे यह भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भर में हमारा जंगल लगाने का इरादा है और इसके अलावा इरादा तो हमेशा बदलता ही रहता है। अगर आपका ही ऐसा इरादा हो गया तो क्या होगा? खाद्य की

समस्या पहले से ही काफी जटिल है, लेकिन यह हो सकता है कि जंगल लगाना है इसलिये उसे ले जरूर लें। तो इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी जमीनों पर बसे हुए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाय। इस में यह भी है कि जिस जमीन को लेना होगा उसका नोटीफिकेशन किया जायगा और जो वहां के बाशिन्दे हैं वे उसकी अपील नहीं कर सकेंगे। उस की उज्रदारी वे रेंजर साहब के यहां करेंगे। अभी जैसा भारतीय जी ने बतलाया, रेंजर का फरमान तो कलेक्टर के फरमान को भी मात करता है, तो ऐसे रेंजर के यहां जो उज्रदारी होगी उसका क्या नतीजा होगा? वहां के किसानों के सारे हक इससे छिनने वाले हैं और इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन धाराओं को स्पष्ट करें और बतलायें कि कितनी जमीन वे लेना चाहते हैं। उसकी एक सीमा निश्चित होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय गोविन्द सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पेश कर के आप उन किसानों पर भी अपनी गिद्ध दृष्टि डाल रहे हैं जिनकी जमीन जंगलों से लगी हुई है। सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन आपने जमींदारी समाप्त होने के बाद गांव सभा में ले ली। उस जमीन पर भी आज तक आप जंगल नहीं लगा पाये हैं, वह आप के कब्जे में है और उसके बाद इस बिल के द्वारा जंगल से लगे हुए किसानों के जो खेत हैं उन पर भी आपकी दृष्टि है। आपको जरूरत हो अथवा न हो लेकिन आपके फारेस्ट गार्ड से ले कर रेंजर तक रोज किसान को परेशान करेंगे कि जंगल को इस खेत की जरूरत है और इस प्रकार भ्रष्टाचार का एक जरिया इस विभाग की ओर से कायम किया जा रहा है। अभी ला आफ जंगल की बात माननीय सदन में उठी थी। उसका निपटारा भी न हो पाया कि उस फारेस्ट अफसर ने कैसे उन झोपड़ियों को जला दिया और उन किसानों के साथ वह अत्याचार और अन्याय किया, उसका अभी तक हमारे मंत्री महोदय फैसला नहीं कर पाये कि उसमें किसका अपराध था; यानी वह यह नहीं तय कर पाये कि उसमें उन अत्याचारियों का अपराध था या किसानों का था। उस घटना से क्रोधित होकर उन अधिकारियों ने इस प्रकार का बिल लाने के लिये माननीय मंत्री जी को सलाह दी है क्योंकि वे उन गरीब लोगों पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल आप के लिये और इस सरकार के लिये कलंक की बात होगी। "जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई" वाली बात आज हो रही है। मैं बुन्देलखंड का निवासी हूं। बुन्देलखंड के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। वहां के हजारों किसानों को सुबह से शाम तक उन जंगलों में होकर आना जाना पड़ता है और उनसे उनका संबंध रहता है। हम लोग गांव में रहते हैं, इसलिये वहां की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमको आजादी मिली, लेकिन वे गरीब किसान नहीं समझ पाये कि आजादी किसे कहते हैं। आज उनकी झोपड़ियों में आग लगाई जाती है, उनकी जमीनों, चूल्हे और चकिया पर खूंटे गाड़ी जाती हैं। आज उन लोगों में खलबली मची हुई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लें।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि फारेस्ट अधिकारी १० सेर का गेहूं और २० आने सेर घी उन गरीब लोगों से खरीदते हैं। हमारे यहां तो यहां तक है कि अगर कोई शख्स १० सेर गेहूं और एक सेर घी रिश्वत नहीं देता है तो उसके साथ यह अधिकारी अत्याचार करते हैं। उसको परेशान करते हैं। जो लोग दे देते हैं उनको खुली छूट रहती है। इस तरह की शिकायतें आये दिन हमारे पास आती हैं, माननीय मंत्री जी के पास भी भेजी गईं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे लिये कौन सा रास्ता है। हम कैसे उनको यकीन दिलायें? उनको हल के लिये लकड़ी की जरूरत होती है और भी रोज-रोज की जरूरतों के लिये लकड़ी की जरूरत होती है। यह उनको जंगलों से ही मिल सकती है। हम तो

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

यह चाहते हैं कि जो अच्छे किस्म की जमीन हो, जिस पर खेती हो सकती हो, उस पर हम किसान को तकावी वगैरह देकर हल बैल का प्रबन्ध कराकर खेती करावें और ऐसा प्रबन्ध करें ताकि उस गरीब को रोजी मिल सके। आप उनको मोहताज बनाना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जंगल के बारे में केवल ला आफ जंगल कह देने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि किसान आज जब हमसे पूछता है कि हमारी झोंपड़ी में जो आग लगी थी, उसके बारे में क्या हुआ, तो हम केवल यह कह कर ही रह जाते हैं कि उसका सेटिलमेंट आफिसर फैसला करेगा। जमींदारी खत्म होने के बाद वह जमीन जब खत्म हो चुकी है तो अब आप कहां से जमीन लेना चाहते हैं? जमींदारी खत्म होने के बाद तो किसानों के पास ही जमीन रह गयी है, आप किसान से उसकी जमीन लेंगे। आपके विभाग के अधिकारियों ने जिस भूमि को जरूरी समझा उसको ले लिया। अब आपकी गिद्ध दृष्टि उस ओर क्यों पड़ रही है। वह लोग गरीब, मोहताज आदमी हैं। आपके इस कानून का असर उन लोगों पर बहुत बुरा होगा जो मोहताज हैं, गरीब हैं, जो अपनी बात को आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं और आपके कान उन गरीबों की बात सुन भी नहीं पाते हैं। आप उनकी आवाज को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

जंगल के बीच में जो लोग निवास करते हैं उनसे आप पूछिये कि उन पर क्या बीत रही है। आज हमारे यहां बुंदेलखंड में बिना बाड़े के काम नहीं चलता है, जंगली जानवर आकर उनकी फसल खा जाते हैं। अगर वह अपने खेतों पर झोपड़ी डाल लेते हैं तो उसमें आग लगा दी जाती है। पहले जमाने में उनको जमींदारों और प्राइवेट जंगलों से बहुत सुविधायें मिल जाया करती थीं लेकिन आज उनको बाड़े बनाने के लिये झाड़ नहीं मिलते हैं, मकान बनाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती है। किसी प्रकार से अगर झोपड़ी डाल लेते हैं तो उसमें आग लगा दी जाती है और उसके बाद बड़े फख्र के साथ यहां पर कहा जाता है कि यह तो जंगल की ही लकड़ी थी, जंगल की ही घास थी और जंगल की ही जमीन थी, उसमें आग लगा दी गयी। बड़े घमंड के साथ यह कहा जाता है। क्यों नहीं हम लोगों से ही कह दिया जाय कि हम ही आग लगा दें ताकि हमको यहां आने का मौका ही न मिले? इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया इस बिल को वापिस लेने की कृपा करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट के संशोधन का समर्थन करता हूं। उनके संशोधन का अर्थ यह है कि इस नयी परिभाषा में जंगल से लगी हुई जो जमीन हो, चरागाह की जमीन हो और जिस भूमि पर खेती की जा सकती हो उस भूमि को छोड़ दिया जाय। केवल इतना अर्थ है। इससे पहले के जितने जंगल के ऐक्ट बने हुए हैं उनमें जंगल की जो परिभाषा दी हुई है उससे संतोष नहीं हुआ तब इस प्रकार का संशोधन माननीय मंत्री जी ने पेश किया। मैं समझता हूं कि सरकार को प्रेरणा मिली है झांसी के उस केस से जिसे स्वयं स्वामी जी ने यहां पर कहा था। उन पर वहां क्या बीती, जंगल के अधिकारियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उसको जिस करुण स्वर में उन्होंने इस सदन में रखा उससे सभी के आंखों में आंसू आ गये। लेकिन उनके कथन के बाद भी सरकार ने जनतंत्र के नाम पर उस अधिकारी को कोई सजा नहीं दी। उन हरिजनों ने गांव सभा की भूमि पर झोपड़ियां बनायी थीं उन पर ऐसा व्यवहार किया गया। अब सरकार के पतन के आखिरी लक्षण दिखाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने जो भाव व्यक्त किये उनसे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार के गिरने के दिन अब निकट हैं और इससे यह अपने को बचा नहीं सकती। इब्राहीम लोदी की फौज की तरह से इनके सारे सदस्य खड़े रहेंगे और इसका पतन हो जायगा। अगर यह सरकार जंगल की हिफाजत करना चाहती है तो मैं सूचना देना चाहता हूं कि आज मिर्जापुर में जंगल काटे जा रहे हैं। यहां के अधिकारियों की इजाजत के बिना

वहां जंगल काटे जा रहे हैं लेकिन वहां के ४८ हजार डूब क्षेत्र के लेगों को बसाने के लिये लकड़ी नहीं दी जाती, उनको कोई सुविधा नहीं प्रदान की जाती और दूसरी ओर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। लेकिन यह सरकार कहती है कि जंगल की हिफाजत के लिये कानून बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा नाटक है। हम देखते हैं कि इसी दल के लोग विरोध करते हैं लेकिन हाथ उठाने के समय पक्ष में हाथ उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट आया है इसको आप हिम्मत से गिरा दें जिससे यह सरकार सबक सीखे। मैं आपके जरिये यह सूचना दूं कि यह जमींदारों का जो रोग पहले का था उस पर जनहित के नाम की दवाई से काम चलने वाला नहीं है। अब जनता समझने लगी है कि जमींदारी खत्म हो गयी, जो उसको लेना-देना था पैसा, वह ले दे लिया और लोगों को पट्टे हो गये। हालांकि वह पट्टे जो ८ अगस्त, १९४६ के हैं वह तो अवैध हैं ही, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, लेकिन आज जमींदारों के नाम पर सरकार सांस ले रही है और लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता अब आगाह है। जमींदारों ने किसानों को बन्दोबस्त कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जंगल काट कर दिया जिस पर किसानों ने लड़ाइयां लड़ीं मैं जनना चाहता हूं कि क्या आप उनसे जंगल छीनेंगे ? सिसवा व बरवा जंगल की लड़ाई हुई, गुनहा की हुई, चिरवहिया जंगल की लड़ाई हुई, हाटा तहसील में भी हुई। किसानों ने चाहा कि हमारा जंगल रहे, लेकिन सरकार ने अपने आदेश से अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिये इन्तजाम किया और पट्टे काट दिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह जमीन उनसे ली जायगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित का दावा सरकार करती है। यह सरकार जो जनप्रिय सरकार है इसमें साहस और हिम्मत होनी चाहिये। यह सरकार अधिकारियों के बनाने से नहीं बनती है, जनता के वोट से बनती है। लेकिन आज वह सरकारी कर्मचारियों के सामने घुटने टेकती है और जनता की ओर से उनके विरुद्ध शिकायत आने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करती तो जनतंत्र कैसे जिन्दा रह सकता है और डेमोक्रेसी पनप सकती है ? मैं आपके जरिये चाहता हूं कि सरकार में वह साहस आये कि वह अधिकारियों की वजह से ऐसे संशोधन न लाये। जिस प्रकार जब मरने की स्थिति होती है तो रोगी बार-बार दवा लेता है, यही स्थिति इस सरकार की है। इससे होता क्या है कि एक ओर तो जनता के अधिकार छीने जांय और उधर अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जांय, इतने दिनों से मैं मेम्बर हूं, यही दो भावनायें मुझे देखने को मिलीं। यह सरकार नारा जनहित का देती है और साथ ही जनता का रक्त चूसती है और नये प्रकार की ब्यूरोक्रेसी लाती है और उनको इतना शक्ति प्रदान करती है जिससे डेमोक्रेसी की हत्या हो और जनता के हित का कोई काम न होने पाये।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सब पर यह विदित हो गया होगा कि इस संशोधन विधेयक का क्या परिणाम होगा। इससे पहले जो जंगल की परिभाषायें की गयी हैं उनके अनुसार जंगल तो रहेगा, लेकिन उसके बाहर की जमीन जिस पर सिंचाई होती है, खेती होती है उसको भी सरकार चाहे तो जंगल डिक्लेयर कर सकती है। इस प्रकार यह सरकार लोगों को जंगली ही बनाना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर काफी बहस सदन में हो चुकी है। यह धारा जो हमारे सामने इस वक्त उपस्थित है, इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि इसमें यह है कि कौन-कौन सी भूमि वन भूमि विख्यापित की जा सकती है और कौन डिक्लेयर करेगा। यद्यपि हमारे मंत्री महोदय ने काफी विश्वास दिलाया कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, परन्तु जो हमारा अनुभव हो रहा है और जो यह विधेयक कह रहा है उसका यह परिणाम होगा कि कोई भूमि नहीं बचेगी, सिवाय उस भूमि के जिसमें किसान सीधे खेती कर रहा है जो लेखपाल और वन-विभाग के कब्जे में न हो।

[श्री जगदीश प्रसाद]

आज साधारण सी बात है कि लेखपाल के लिखे को किस्मत भी बदल नहीं सकती है। ऐसी भावना होती जा रही है। फिर फारेस्ट गार्ड के लिखे को हम यहां बदल लेंगे, मैं कैसे आशा करूं? आज, इसलिये, आवश्यकता इस बात की है कि कर्मचारिवर्ग के अधिकार बजाय बढ़ाने के घटाये जावें, उन्हें सीमित करना चाहिये। उनको सत्ता से अलहदा किया जाय। वे लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। परन्तु उलटा ही हो रहा है आप उनके अधिकारों को लगातार बढ़ा रहे हैं।

अलावा इसके, जो भूमि सरकार लेगी उसका हम करेंगे क्या? सरकार ने कहा है कि विकास होगा। जो भूमि पहले ही हमारे पास है जब उसी का हम विकास नहीं कर सकते तो छीनी हुई भूमि का कैसे विकास होगा? मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। मेरी तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में २५,००० एकड़ के लगभग वन विभाग की भूमि है। यह मुझे इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया। मैंने पूछा था कि क्या उसके विकास की कोई योजना सरकार के सामने है, तो उत्तर मिला कि कोई नहीं। नतीजा यह है कि उसमें किसी ने ३०० बीघे तोड़ ली है, किसी ने ५०० बीघे तोड़ ली है और कोई ईख उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है और उस विभाग के कर्मचारी, पता नहीं वे कौन हैं, जैसे पुराने ताल्लुकेदार बटाई करते थे वैसे ही कर लेते हैं। वे भले ही ४०, ५० फीसदी नहीं लेते हों, लेकिन यह हो रहा है। एक दिन मैं जब वहां अपनी कान्स्टीटुयेंसी में घूम रहा था तो वन विभाग के एक कर्मचारी मिल गये। मेरा उनसे परिचय नहीं था। वह कोई अधिकारी या बड़े कर्मचारी न थे, गार्ड हों या और कोई, उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं उस क्षेत्र से विधान सभा का सदस्य हूं तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी दिक्कत में मैं कुछ सहायता करूं। मैंने कहा कि जरूर, मेरा काम ही यह है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और हम उनसे खाली कराना चाहते हैं, कानूनी तरीके से बेदखल होने पर भी वे खाली नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि खाली तो मैं उनसे करा दूंगा, लेकिन यह बताओ कि उसे दोबारा तो नहीं उठाओगे, अगर उनसे १०० रुपये ले रहे हो तो दूसरे को २०० रुपये लेकर तो नहीं दोगे? इस पर उन्हें शर्म नहीं आई और मेरा सर शर्म से नीचा होता है कि वह मुस्करा दिये और फिर चले गये, मेरे पास वह फिर बैठ नहीं सके। यह हालत इस विभाग की है।

दुर्भाग्य से मैं माननीय मंत्रीजी के व्याख्यान के समय यहां नहीं था। क्या विशेष परिस्थितियां उन्होंने बतलाईं, जिसके कारण यह बिल लाया गया? यह पास तो होगा लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह बतायें कि इसके चलाने वाले कर्मचारियों पर क्या पाबन्दियां होंगी, किस प्रकार से उस भूमि को डिक्लेयर किया जायगा और कैसे उसका विकास होगा? ये सब अगर इस विधेयक में नहीं रख सकते हैं तो रूल्स में रख दें, ताकि अधिकारी और कर्मचारी इसका दुरुपयोग न कर सकें। आप इन अधिकारियों को ले रहे हैं तो उनके सदुपयोग का विश्वास दिलायें, यद्यपि इस सदन को ऐसा विश्वास नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कल इसके की मैं उस संशोधन पर कुछ बोलूं, मुझे दुख इस बात का है कि आज सरकारी कर्मचारियों ने मासूम गरीब किसानों और पिछड़े हुए लोगों का खून करने की ऐसे मासूम हाथों से ठान ली है जो कही नहीं जा सकती है। मुझे ताज्जुब है कि पहले ही से उन्हें इतने अख्तियारात थे कि टांगियों की बहन बेटियों से बलात्कार करते वे नहीं अघाते थे और उनके फसलों का आधा बटवाने में भी उनका पेट नहीं भरता था। बेगारी लेना, घी दूध मुफ्त वसूल करना आये दिन का काम था। आज कौन सी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि उन्होंने ऐसे सुन्दर ढंग से इस विधेयक को माननीय मंत्री जी द्वारा पेश कराया है?

मान्यवर, आपको खयाल होगा कि इसी आदरणीय सदन में बीसों दफा इस तरह के मामले आये हैं कि किसानों की झोपड़ियां जंगल अधिकारियों द्वारा जला दी गयीं, उनको पीटा गया और उनकी बहू बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनसे बेगार ली गयी, उनसे रुपया वसूल किया गया। लेकिन अब इस विधेयक से मुझे यह विश्वास हो रहा है कि उन अधिकारियों के मुंह जो खून लग गया है, उनकी प्यास अभी इतने किसानों के खून से बुझ नहीं रही है, इसीलिये वे ज्यादा दिक्कतें किसानों के लिये पैदा करने के लिये और उस अपोजीशन को रोकने के लिये जो वक्त-वक्त पर हम लोगों के द्वारा इस सदन में होता रहा है, यह बिल पेश कराया गया है। मान्यवर, जंगल के किनारे के जितने भी गरीब किसान हैं उनके सामने वैसे ही काफी परेशानियां पहले ही से हैं। बराबर उनसे बेगार ली जाती है, उनसे मुफ्त घी, दूध, लिया जाता है। ऐसी हालत में अगर यह बिल पास हो गया तो वे अधिकारी किसानों को चैन नहीं लेने देंगे और जो कुछ भी वो चाहेंगे करेंगे। अगर किसी ने उनके खिलाफ मुंह खोला तो वे उन लोगों को जबरदस्त से जबरदस्त सजा इस नये अधिकार द्वारा दिला कर छोड़ेंगे। यह ऐसी चीज होगी जो किसानों को तबाह बरबाद कराकर छोड़ेगी।

जब से मंत्री जी ने जंगलों में जंगली कानून लगाया है तब से किसान पहले ही काफी तबाह हो रहे हैं। वे खेतों की रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। एक मील तक फसल के रक्षार्थ बंदूक भी नहीं चला सकते हैं। रात भर वह और उनके बीबी बच्चे अपने खेतों पर चिल्लाते हैं, लेकिन अपने खेतों की रक्षा जंगली जानवरों से नहीं कर पाते। पिछले साल मंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि जंगली गाय बछड़ों को पकड़ने के लिये गांव सभाओं को अधिकार दिये जायेंगे, लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ, महज इसलिये कि उससे जो जंगल के अधिकारी फायदा उठाते हैं, वह उससे वंचित रह जायेंगे। लेकिन आज जो अधिकार माननीय मंत्री जी उन्हें देने जा रहे हैं, वे जरा दिल पर हाथ रख कर सोंचे कि उससे कितनी बड़ी हत्या किसानों की उससे होने जा रही है। विरोधी पक्ष के लोगों की बात को वे न मानें, सत्ताधारी पक्ष में भी जो दूसरा ग्रुप है उसकी बात को भी वो न मानें लेकिन जो ग्रुप उनके पीछे हैं उनके साथ हैं, उनकी बातों ही को सुनें। उनसे अलहदा जाकर इस विषय पर बातें करें और तब जो उन्हें मुनासिब मालूम हो करें। लेकिन इस सरकार के कार्य ऐसे हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और। इस बिल से कोई भी जंगल की सुरक्षा होने वाली नहीं है।

पहले से आज जंगल चोरी सैकड़ों गुना बढ़ गयी है। अंग्रेजों के जमाने में जंगलों की जैसी हिफाजत होती थी और जितने लोग डरते थे, वह बात आज नहीं है। जंगल के अधिकारी आज सैकड़ों और हजारों मुरब्बा फीट लकड़ी चोरी से कटवा कर बेचते हैं और जब यहां कोई मामला आता है तो इधर का उधर उल्टा पुल्टा जवाब दे दिया जाता है। उन सारी शिकायतों को को जो यदा-कदा इस सदन में उठा करती हैं, रोकने के लिये षड़यंत्र करके इस बिल को मंत्री द्वारा सदन में लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने शब्दों द्वारा इस बिल का विरोध किया है उसी प्रकार से वोटिंग के वक्त भी इसका विरोध करके उन किसानों का उद्धार करेंगे जो जंगल के किनारे हजारों की तादाद में अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। अगर इसको इसी प्रकार से पास कर दिया गया, जिस तरह वह पेश है, तो जंगल के अधिकारियों के हाथ में उन किसानों को उसी प्रकार से सौंपने के बराबर होगा जिस प्रकार से एक मानव को शेर और भेड़िये के हाथ में सौंप दिया जाय। हम सभी माननीय सदस्य उसी पाप के भागी होंगे।

मान्यवर, जंगल के किनारे के लोग अधिकतर अपने मवेशियों को चरागाहों में चराकर गुजर करते हैं, लेकिन आज इस बिल के द्वारा उनके चरागाहों को भी उनसे छीन लिया जा रहा है। पानी-पीने के लिये जो उनके पोखरे और तालाब हैं, उनको भी उनसे ले लिया जा रहा है। अगर यह इसी तरह से पास हो जाने दिया गया तो जंगल के किनारे १०–१० मील तक के किसानों को मुसीबत हो जायगी। पिछले कानून से जो एक जरिया उनके जिन्दगी गुजारने का बना हुआ था, इस कानून के द्वारा अब वह भी खत्म हो जायगा और वे पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में पड़

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जायेंगे और चूं भी नहीं कर सकेंगे। अधिकारी जो चाहेंगे, करायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बार-बार इस तरफ दिलाऊंगा कि वे इस बिल को रोक लें और इस पर विचार करें कि वाकई इस बिल से जंगल को कोई फायदा होने वाला है या नहीं।

मान्ययर मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर वाकई वे जंगल की सुरक्षा चाहते हैं, जंगल का विकास चाहते हैं तो मेरे साथ चलें, मैं उनको दिखलाऊं कि जंगल के नाम पर जो जमीन है वह किस तरह से बंजर पड़ी हुई है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जंगल के निकट जो टांगिया बसे हुए हैं, कहा जाता है कि जंगल के जो अधिकारी लोग हैं उनसे खेतों की पैदावार में से अपना हिस्सा बंटा लेते हैं जब कि उनसे उम्मीद यह की जाती है कि वे कुछ निश्चित साल तक उन खेतों में पैदावार करें और उनको स्वंय खावें और वन लगावें। आज जंगल के किनारे के किसानों के साथ इतना जुल्म और अन्याय किया जा रहा है कि उनकी हालत पहले से भी खराब है और उससे भी बदतर बनाने के लिये यह कानून सदन के सामने लाया गया है और यदि आज इस सदन से इसे पास करा लिया जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि जहां पहले ५० रुपया जुर्माना था उसे बढ़ा कर ५०० रुपये जुर्माना कर दिया गया है, वह उन किसानों को तबाह करने का एक जरिया है।

श्री अध्यक्ष—आप पूरे बिल पर न बोलिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैं पास्चर लैंड की बात कर कह रहा हूं कि जुर्माना जो उसमें रखा गया है वह बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें महज इसलिये की जा रही हैं कि जंगल के आस-पास रहने वाले जो किसान हैं उनके साथ अन्याय व ज्यादती होती रहे, वे जुबान न खोलें। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस पर काफी बहस हो चुकी है, इसलिये मैं अधिक न कह कर यही प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर जरा ध्यान दें और सब बातों को सुन कर इस बिल को वापस ले लें या कम से कम इस संशोधन को जरूर मंजूर कर लें।

***श्री लालबहादुर** (जिला वाराणसी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो माननीय गोविन्द सिंह ने संशोधन रखा है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अब तक जितने महानुभावों ने इस पर भाषण किया उनमें एक माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह को छोड़कर किसी साहब को भी उस संशोधन और ऐक्ट से कोई मतलब नहीं था। बड़ी लम्बी चौड़ी दुहाई किसानों की दी गई। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि ये लोग किसानों के बड़े हितैषी हैं और हम लोग उनके हितैषी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सदस्यों से एक निवेदन कर दूं कि अगर आप किसानों के बड़े भारी सेवक हैं तो हमलोग भी किसानों के छोटे सेवक जरूर हैं, यह शायद आप भी जानते होंगे। आपको जितना भी दर्द किसानों के प्रति है उससे अधिक ही दर्द हमें किसानों के प्रति है क्योंकि आप से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। इधर जो लोग बैठे हुये हैं उनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको किसानों से जितना प्रेम है उससे कम प्रेम हमको नहीं है, अगर आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी प्रेम नहीं है। मान्यवर, कहा जाता है कि किसानों से जमीन ले ली गई जायगी और जितने कंजरवेटर्स या फारेस्टर्स हैं वे किसानों को लूटते हैं। सिवाय लूट खसोट की बात के और कोई बात किसी महानुभाव ने इस बिल के सम्बन्ध में नहीं कही। अगर कंजरवेटर्स किसानों को लूटते हैं तो उसके लिये कानून बना हुआ है, आप कितने मुकदमे कंजरवेटर्स या फारेस्टर्स के खिलाफ लाये? मैं नाम तो भूल गया लेकिन अभी एक साहब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि वन मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आप लोग शान्ति से उनकी बात सुनें । जब उन्होंने आपकी बात शान्ति से सुनी तो उनकी बात भी आप शान्ति से सुन लें ।

श्री लालबहादुर---उसके लिये आप यहां तक कह चुके हैं ....

श्री अध्यक्ष---आप सदस्यों को ऐड्रेस न करके मुझे ऐड्रेस करें....

श्री लालबहादुर---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने भाषण देते हुये कहा कि मंत्री लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह से जमीनें दे दीं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई आदमी इस बात को साबित कर दे तो मैं पहला आदमी हूंगा कि जो ऐक्शन होगा उसको लेने के लिये तैयार हूंगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल---एक नहीं, हजार उदाहरण देकर मैं साबित कर सकता हूं ।

श्री लालबहादुर---कहा जाता है कि इस जमीन के लेने से सारे हकूक छीन लिये जायेंगे । अब ऐक्ट को पढ़ लिया जाय, इसमें हम कोई नई जमीन लेने नहीं जा रहे हैं, वह पुरानी जमीनें लेने जा रहे हैं । जमींदार लोग अगर ऐसी बात कहते तब तो बात समझ में आ सकती थी कि वह अपनी विचारधारा के अनुसार अपने हक की बात कहते हैं लेकिन जो काम प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी करने को कहती है उसी को जब मंत्री जी करने जा रहे हैं तब उनकी तरफ से क्यों एतराज होता है ? वही बात है कि 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' जब विनाश आता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है । इसलिये वह ऐसी बातें करते हैं । वह समझते हैं कि बब यह कानून बन जायगा तो वह जो जमीन चाहेंगे, ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---आप दूसरों से कह रहे थे कि संशोधन पर ही बोलिये, लेकिन अब आप स्वयं उन्हीं चीजों का जवाब दे रहे हैं जो इर्रिलेवेंट थीं । आप भी जो कुछ संशोधन पर कहा गया है केवल उसी का जवाब दें। अगर आप इर्रिलेवेंट बातों का जवाब देंगे तो वह भी इर्रिलेवेंट ही होगा ।

श्री लाल बहादुर---"एडजेसेन्ट" शब्द के माने क्या हैं ? उसके माने यह नहीं हैं कि जैसे श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले के सामने की जमीन भी नाप लेंगे । इसके माने हैं "मिली हुई जमीन", यह नहीं है इसके माने कि खीरी के जंगल से लेकर लखनऊ तक की सब जमीन नाप ली जाय । इसका उद्देश्य यह है कि राजा लोगों ने जो गैर-कानूनी तरीके से पट्टे दे रखे हैं उनको रोकने के लिये यह कानून लाया गया है । अगर उनको प्रोटेक्टेड फारेस्ट न करेंगे तो क्या हालत होगी ? हालत यह है कि ३ बीघे दिये हैं २७ बीघे दिखाये गये हैं और सबसे बड़े चौधरी डंडा लेकर बने हुए हैं । सीलिंग कर रहे थे तो उस वक्त कहा कि सीलिंग न करें । एक तरफ गांव में जमीन पकड़े बैठे हैं और दूसरी तरफ फारेस्ट लैंड को भी पकड़े रहना चाहते हैं । जब ऐक्ट पास हो जायगा तो फिर वह इसी सदन में कहेंगे कि इतनी जमीन नहीं लेना चाहिये । नोट कर लीजिये कि जब यह फारेस्ट ऐक्ट बन जायगा तो वह जमीनें निकल जांयगी और उस वक्त आप फिर कहेंगे कि यह हो रहा है । इस तरह से तो कोई ऐक्ट और देश नहीं चल सकता । देश, ऐक्ट, कानून और विधान सभी चलाने के लिये एक वास्तविकता होनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तरीका बीच में बोलने का ठीक नहीं है, आप शान्ति से सुन लें जो कुछ वह कहें ।

श्री लालबहादुर---आप वास्तविकता से परे न जाइये, जो लैंड वहां बेकार हैं, जो आस-पास का लैंड है उसको आप पकड़ लें, यह कहां तक मुनासिब है ।

एक सदस्य---पास्चर का मतलब क्या होता है ?

श्री लालबहादुर---इसका मतलब है वह जमीन जिस पर खेती नहीं होती, जो ऊजड़ लैंड है.... (हंसी)

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर किसी सदस्य को कोई बात मालूम न हो तो क्या वह मिनिस्टर से पूछ-पूछ कर बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—उनसे 'पास्चर' का मतलब पूछा गया, तो उन्होंने उसका अर्थ जानने की कोशिश की ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—प्रश्न यह है कि वह सदस्य मिनिस्टर से पूछ रहे हैं या मिनिस्टर सदस्य को अपने आप बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—श्री लाल बहादुर जी, आप बोलें । (विरोधी पक्ष के सदस्यों से) माननीय सदस्य अगर गलत अर्थ कर दें तो आपको बरदाश्त करना चाहिये, आप सही अर्थ बाद में बता दीजियेगा ।

श्री लालबहादुर—मैं यह तो नहीं कहता कि मैं सभी अर्थ जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण दें, लोगों की बातें न सुनें ।

श्री लालबहादुर—इनके संशोधन को अगर देखा जाय, अब तक जो बातें कही गई हैं, सिवाय इसके कि किसान लुट गया और सरकारी अधिकारी निकम्मे हैं, और कुछ नहीं कहा गया । जो लोगों के हक हैं वह तो रहेंगे ही । खाली यह कर रहे हैं कि इस किस्म की जमीनें अगर आवेंगी तो जंगल मानी जायगी ।

कहा गया है कि रिहैन्ड डैम में तमाम जमीन ले ली गयी । जो कुछ मंत्री जी कर रहे हैं, पब्लिक यूटीलिटी के लिये कर रहे हैं । उससे सारे सूबे को बिजली दी जायगी, रिजरवायर से नहर निकलेगी । अब जो जंगल इन योजनाओं के कारण घटे तो उनको भी तो पूरा करना है । प्लानिंग कमीशन डायरेक्शन करता रहता है तो ऐसी हालत में मंत्री जी के सामने सिवाय इसके और क्या चारा रह जाता है ? उनको करना है । आप देखें, जब सरकार ने समझा कि जंगलों में शेर पाले जांय तो शेर लाये गये । नागर जी के जिले में कई गांव बसा दिये गये जंगल काट कर. . .

श्री शिवप्रसाद नागर—हमारे यहां राजा, रानी नहीं बसाये ।

श्री लालबहादुर—आपके यहां गांव बसाये गये ।

श्री अध्यक्ष—देखिये यदि बोलने का तरीका यह आप रखें कि अन्य सदस्यों के टोकने ही से उनका जवाब देना शुरू करें तो आप दूसरी तरफ बहक जायेंगे । आप तो अपना प्वाइंट ही कहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—इनको कमरे में बुला कर बता दीजिये ।

श्री लालबहादुर—विकासवाद का यह युग है और हमको आगे बढ़ना है । फारेस्ट ऐक्ट बना देने से ऐसा नहीं है कि लोगों के हक खत्म हो जाते हैं । वह तो रहेंगे ही । हाँ, अगर ऐसा संशोधन होता कि लोगों के कानूनी हक खत्म होते तो तब आपका एतराज करना ठीक था, लेकिन ऐसा तो है नहीं । इसलिये यह कहना कि विधेयक के यह शब्द निकाल दिये जांय तो फिर उसमें रह ही क्या जाता है ?

मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह ऐक्ट किसानों के बड़े फायदे के लिये बनाया जा रहा है । जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनको ऐन्टी-सोशल एलीमेंट कह सकते हैं, जो अपनी गुंडई के बल पर जंगलों की बहुत सी चीजों पर हावी हो गये हैं, सरकारी नौकरों को मिला कर हावी हो गये हैं, उनके पास जंगल की अधिक जमीन है । किसान व मजदूरों के पास वह जमीन नहीं है । सरकार चाहती है कि जो रिफ्यूजी, किसान, गरीब मजदूर हैं उनको जमीन उपलब्ध करके दी जाय । उसके बाद यह देखना होगा कि फारेस्ट कितना घटा और बढ़ा है ।

कहा गया कि जो कंजरवेटर तथा फारेस्टर हैं वे लूट रहे हैं। मेरा तो खयाल है कि आज उनको अपनी जान तक बचाना मुश्किल हो गया है। वे सोचते हैं कि कहीं हम फंस न जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर—उनको जान बचाना कैसे मुश्किल हो गया है? गीदड़ों से, शेरों से या आदमियों से जान बचाना मुश्किल हो गया है?

श्री लालबहादुर—आप लोगों से। आप लोग हर वक्त उनके खिलाफ कहा करते हैं। उनको भी सिविक राइट्स हैं। वे आपकी सेवा करते हैं। आप उनको हर वक्त तंग करते हैं। वे कहते हैं कि काम ही हमको कोई नहीं करने देते। ऐसी हालत में हमको इस ऐक्ट को मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया। आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। आध घंटे की बहस और है।

विद्युत विभाग द्वारा कापर वायर से लाइन बनाने आदि से सम्बन्धित ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न २०–२१ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब कापर नं० ८ (आठ S. W. G.) के द्वारा ११ हजार वोल्ट या इससे ऊपर की लाइन को विद्युत विभाग के बनाने तथा १९४७ से १९५८ तक विद्युत् विभाग द्वारा उक्त कापर से लाइन बनाने आदि से संबंधित कुंवर श्रीपाल सिंह के ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०–२१ पर माननीय सदस्य तथा सीमांकित सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को उठाने का उद्देश्य यह है कि हमारी सूचना यह है कि पहले जो ११.५ तथा वह अब बन्द कर दिया गया है और ११.१ कर दिया गया है। उसका अर्थिंग वगैरह भी अलग कर दिया गया है। इस कारण इस मामले में अब तक सरकार को सवा करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस मामले में हमारी आशंका यह है कि अब भी वह हानि बराबर जारी है इस व्यवस्था के कारण। हमारी सूचना यह है कि जो इस विभाग के तत्कालीन मंत्री थे उनकी यह राय थी कि ११.५ नहीं रहना चाहिये, कम होना चाहिये और इसमें बहुत खर्च हो रहा है, बहुत हानि हो रही है। उस दिन जो प्रश्न दिये थे उनसे अच्छी तरह से इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यह बताया जाय कि जंपिंग, ज्वाइंटिंग और अर्थिंग का खर्च कितना पड़ता है और वह खर्च .४ के भीतर होता है या उससे ज्यादा होता है और अगर ज्यादा होता है तो यह नयी व्यवस्था अभी तक क्यों जारी रखी जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, उस दिन आदरणीय सदन को यह बहुत साफ-साफ बता दिया गया था कि न तो इसमें कोई हानि का सवाल है, न किसी तरह के गबन इत्यादि का सवाल है और न ज्यादा खर्च होने का सवाल है जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने अभी कहा कि कुछ आशंका इस बात की है कि जो आर्डर फरवरी, १९५९ में भेजा गया है उससे पहले जितना खर्च हुआ है ११.५ के करीब और जो अब ११.१ कर दिया गया है तो उससे पहले सवा करोड़ के करीब का लोगों ने फायदा उठाया जिसकी वजह से हानि हुई, ऐसी बात नहीं है। जहां तक ११.५ का सम्बन्ध है, अगर आंकड़ों को देखा जाय तो यह जो नीति निर्धारित की गयी है उसके आधार पर किसी तरीके से एवरेज में ११.५ से ज्यादा खर्च होने का बिल्कुल सवाल नहीं होता। अभी तक जो ११.५ तार खर्च होता था उसमें जंपिंग, ज्वाइंट, अर्थिंग वगैरह ये चार, पांच चीजें शामिल थीं लेकिन एस्टीमेट की सुविधा के लिये, केवल इस बात के लिये कि ठीक तरह से हिसाब रखा जाय इन चार, पांच चीजों को इससे पृथक कर दिया गया। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उससे बड़ा नुकसान हुआ और लोगों ने सवा करोड़ का फायदा कर लिया वैसी बात नहीं है। .४ में ही

[श्री धर्मसिंह]

ये तमाम चीजें उसके अन्दर आ जाती हैं। .४ से ज्यादा खर्च होने का सवाल नहीं है। ११.५ जो तार इत्यादि पहले खर्च होता था आज भी उसके अन्दर ही खर्च होता है। केवल इस बात के लिये कि हमें बहुत सी लाइनें बनानी पड़ती हैं, उसमें अर्थिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ११.५ इसीलिये होता था कि उसमें चार, पांच चीजें सम्मिलित थीं, अब उनको अलग कर दिया गया है। न कोई हानि का सवाल है न कोई गबन का सवाल है। एस्टीमेट इत्यादि में दिक्कत न हो इसलिये ऐसा किया गया है। इसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन् यह जो मंत्री जी ने बतलाया कि .४ जो कम किया गया है, ११.५ की जगह ११.१ जो रखा गया है उसमें ज्वाइंटिंग, अर्थिंग, और जंपिंग नहीं शामिल है, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्वाइंटिंग, जंपिंग और अर्थिंग में कितने गज़ कापर लगता है ?

श्री धर्मसिंह—.४ से कम ही लगता है। अधिक लगने का कोई सवाल नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि लगता कितना है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मैं सबको बताये देता हूं। अर्थिंग में लगता है ४२ फीट, ऐंगिल पौली जम्पर्स में १२ फीट, टी आफ जम्पर्स में १८ फीट और ज्वाइंटिंग कंडक्टर्स में ३६ फीट लगता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५९ के पहले सेगिंग के लिये कोई सीमा क्यों नहीं थी ? उत्तर में कहा गया था कि १९५९ के बाद फिक्स की गई, तो पहले से क्यों नहीं फिक्स की गई ?

श्री गिरधारीलाल—पहले इसकी कोई खास जरूरत नहीं समझी गई। जैसा कि पहले कहा गया, ११.५ तीनों चीजों के लिये था और सेगिंग वगैरह का सब मिलाकर इकट्ठा दे दिया जाता था और जितना एक्चुअल खर्च होता था वह रखा जाता था। यह नहीं है कि हमने स्टैन्डर्ड बना दिया कि ११.५ हमने दिया और वह सबका सब खर्च हो जाय। इसके अलावा यह भी है कि तार पतले होते हैं, मोटे होते हैं, और उनका अलग-अलग बजन होता है। इसलिये कभी कम होता था और कभी ज्यादा होता था। लेकिन ऐस्टीमेट बनाने के लिये हमने ११.५ रखा था। अब तीनों को अलग कर दिया गया और ११.१ रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस दिन जो उन्होंने उत्तर दिया था तो पहली लाइन में यह कहा था कि ११.५ औसत आता है और दूसरी लाइन में यह कहा कि यह गलत है कि ११.५ आता है ? तो, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, जो उत्तर दिया गया था उसमें यह था कि ११ हजार वोल्ट की लाइन बनाने के लिये ११.५ लगता है जिसमें अर्थिंग, जंपिंग तथा ज्वाइंटिंग वगैरह सम्मिलित हैं। यह सही है कि सेगिंग के लिये जिसमें चार पांच चीजें सम्मिलित हैं उनके लिये कोई निर्धारित नहीं था। इसके बाद जो आर्डर निकाला गया है उसके हिसाब से ११.१ रखा गया है जिसमें अर्थिंग, जंपिंग और ज्वाइंटिंग अलग कर दिये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्रश्न में आपने कहा कि औसत ११.५ लगता है सब मिलाकर।

श्री अध्यक्ष—उसमें औसत शब्द है क्या ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एस० डब्लू० जी० कापर कंडक्टर वास्तविक आवश्यकतानुसार लगाया जाता है परन्तु औसतन ११,००० वोल्टस या उससे ऊपर की एक मील लाइन बनाने के लिये ११.५ हन्डरवेट लगता है जिसमें अर्थिग, जंपिंग तथा ज्वाइंटिंग आदि सम्मिलित ह। यह सही नहीं है कि १९५९ के पूर्व इस कापर का स्तर ११.५ प्रति मील था परन्तु यह सही है कि सेंगिग के लिये कोई स्तर निर्धारित नहीं था। तो, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ? क्या यह अब लगने लगा है या पहले नहीं लगता था ? इसको स्पष्ट कर दीजिये।

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, औसतन शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वह ११ हजार वोल्ट्स से संबंधित है और ११.५ से कम ही लगता है, ज्यादा लगने का कोई सवाल नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, प्रश्न २१ था। उस पर उस दिन प्रश्न नहीं पूछे जा सके थे। इस पर एक चीज पूछना जरूरी है। श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि ११ हजार वोल्ट या इससे ऊपर की लाइन जो कापर नं० ८ एस० डब्लू० जी० के द्वारा विद्युत विभाग बनाता है उसमें कितना हन्डरवेट कापर प्रति मील लगता है और उसका उत्तर जो दिया था माननीय मंत्रीजी ने उसमें उन्होंने यह कहा था कि लाइनों की लंबाई का ब्योरा वोल्टेज के आधार पर रखा जाता है न कि हर प्रकार के कंडक्टर के आधार पर। मैंने वोल्टेज देकर के ही पूछा था कि ११ हजार वोल्ट या इससे ऊपर। तो क्या माननीय मंत्री जी अब बताने की कृपा करेंगे कि ११ हजार या इससे ऊपर वोल्टेज की कितनी मील लाइनें सन् १९४७ से १९५८ के बीच बनायी गयीं ?

श्री धर्मसिंह—जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर सही था। अब यह जानना चाहते हैं कि ८ नम्बर का जो तार लाइन पर लगा है ११ हजार वोल्ट या उससे ऊपर तो उसमें ४७ से ५८ तक उस पर कितना कापर खर्च हुआ। तो मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लाइन का वह जिक्र कर रहे हैं उसमें एक ही किस्म का तार नहीं लगता। जो स्टैन्डर्ड तार होता है वह कई तरह का लगता है, कहीं तांबे का लगता है, कहीं लोहे का लगता है और कहीं किसी दूसरे प्रकार का लगता है। जिस कन्डक्टर का वे जिक्र कर रहे हैं, नम्बर ८ का, वह ११ हजार की लाइन में नहीं लगता, इसलिये उसके बारे में बताया नहीं जा सकता।

कुंवर श्रीपाल सिंह—श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, ११ हजार वोल्ट के ऊपर कापर नं० ८ एस० डब्लू० जी० के द्वारा ही बनता है। इसके नीचे यह होगा कि उससे जो कम वोल्टेज की लाइनें होंगी वह इससे कम पतले तार में बनेंगी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि ११ हजार या इससे ऊपर के वोल्ट के ऊपर ८ नं० कापर वायर पर सन् १९४७ से ५८ तक कितने मील लाइनें बनीं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको जरा असरटेन कर लीजिये कि ११ हजार या उससे ऊपर के वोल्ट की लाइनें कापर नं० ८ द्वारा ही बनायी जाती है, उससे कम में तो नहीं बनायी जातीं ?

श्री धर्मसिंह—मेरा निवेदन है कि जहां तक कापर नं० ८ है उसी के द्वारा लाइनें नहीं बनायी जातीं। कई तरह के कापर हैं जो लगाये जाते हैं। अब ११ हजार के वोल्टेज पर कितना तार खर्च हुआ, उसके हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। उसमें कई तरह के तार लगे, इसलिये उसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मंत्री महोदय ने इस विषय में क्या राय दी थी और उन्होंने क्या नोट लिखा था ?

श्री गिरधारीलाल—मेरे पास तो ऐसा कोई नोट नहीं है। मैंने फाइल में इस तरह का कोई नोट नहीं देखा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अभी मंत्री जी ने कहा है कि पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी और अब बाद में पड़ी। तो पहले ११.५ में नहीं जरूरत पड़ी तो ११.१ में अब क्यों जरूरत पड़ गयी ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो सब अपनी सहूलियत के लिये किया गया। वह इसलिये था कि जहां तक एग्जैक्टनेस आ सके किया जाय।

श्री अध्यक्ष—एस्टीमेट की सहूलियत के लिये ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तब ११.५ एक मील पर कितना लग जाता था और कितना खर्च होता था और ११.१ अब जिस हिसाब से लगता है तो उस पर कितना खर्च होता है ?

श्री गिरधारीलाल—दोनों का बराबर होता है। अब यह फिगर्स जो दिये हैं, वह कुल खर्च होता है वही लिखा है। उनको सामान दिया जाता है वह मैंने बताया। जो ज्यादा होता है वह वापस आ जाता है और जो कम पड़ता है तो वह ले लेते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अर्थवायर एक पोल के ऊपर, जितने तार होते हैं तीन तार से लेकर तार ६ तक, तो भी एक अर्थवायर चलता है, ६ होता है तो भी एक अर्थवायर एक लाइन पर बराबर चलता है तो यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ११ हजार वोल्ट्स से ऊपर की जो लाइन होती है उसमें कितने तार होते हैं और उसमें जो एक अर्थिंग वायर की लाइन होती है उसका वजन उन तारों के मुकाबिले में कितना होता है ?

श्री अध्यक्ष—आपको अगर मालूम हो तो आप मंत्री जी को बता दें, तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं तो, श्रीमन्, पावर कमेटी का मेम्बर रहा तीन वर्ष तक, लेकिन इसको कभी किसी ने बताया ही नहीं, आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो आज ही सही, शायद मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप यह किसी बिजली के इंजीनियर से पूछिये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बार-बार कहा जा रहा है कि पहले ११.५ लगता था और अब उससे कम ही लग रहा है तो प्रति मील अब कितने रुपये की बचत हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—बचत नहीं हो रही है। उतना ही खर्च हो रहा है। लेकिन ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है बिलकुल भी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सही है कि यह कम करने से इस तरह से सवा करोड़ रुपये की बचत होती है ? पता नहीं मंत्री जी को पता है या नहीं, लेकिन जब तार कम लग रहा है तो पैसा भी कम क्यों नहीं लगता ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें बार-बार करोड़ों की बात कही गई पहले भी, तो यह मैं बतला दूं कि कुल इसमें ५२ सौ मील तार लगा है जिसकी पूरी कास्ट होती है ९६ लाख रुपये और उसमें से ५.५ हंडरवेट की कास्ट ज्यादा से ज्यादा ३०,३५ हजार की होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भ्रम हो गया है जिस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह .१ हंडरवेट सैंगिग के लिये जो बाद में किया गया ५९ के, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ११.५ से ११.१ जो किया गया इसकी क्या जरूरत पड़ी ?

श्री गिरधारीलाल—वह तो अभी बतलाया है कि एस्टीमेट्स के लिये और दूसरी बात यह है कि सैंगिग को स्टडर्डाइज करने के लिये, इसका स्तर एक निर्धारित हो गया इसके जरिये से ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा जो निर्णय है माननीय मंत्री जी का वह जो मंत्री सन् ५९ में थे इस विभाग के जिनके समय में यह ११.१ कायम किया गया, उनके निर्णय के आधार पर है या उसके प्रतिकूल है ?

श्री अध्यक्ष—आप तो कहते हैं कि उन्होंने ही किया. . . .

कुंवर श्रीपालसिंह—हम यह जानना चाहते हैं कि यह उनके फैसले से हुआ है या उनके हटने के बाद फैसला हुआ ।

श्री गिरधारीलाल—इसमें किसी मंत्री का व्यक्तिगत सवाल नहीं है । मुहकमे की बात है, डिपार्टमेन्ट की बात है । जो भी हो, उसके सामने यह बात हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि यह फैसला किसने किया ।

श्री गिरधारी लाल—यह फैसला तो मुहकमे से हुआ है । ५९ के फरवरी म इसक आर्डर हुआ है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, वह किसने किया, मंत्री कौन था ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि १९५९ के फरवरी में हुआ है । अब उस वक्त ये मंत्री होंग तो इनका निर्णय है और नहीं तो जो होंगे उनका होगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी अपनी याददाश्त ताजी करेंगे कि इस फैसले पर इनके दस्तखत हैं या . . .

श्री अध्यक्ष—उन्हें इस बात की याद है नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, इसमें दो तरह के सिस्टम बताये गये हैं ११.५ और ११.१ । इस बात में मतभेद है कि ११.५ और ११.१ में खर्च कम होता है या ज्यादा, तो क्या सरकार इस बात के लिये तैयार ह कि यह प्रश्न एक एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जो इस बात की जांच करे कि कौन सा ऐसा तरीका है जो कि एफैक्टिव है ?

श्री धर्मसिंह—एक्सपर्ट कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है । एक्सपर्ट लोगों के ही द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है, तभी यह लागू हुआ है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ११.५ की जगह ११.१ लगता है तो तार का वजन तो कम हो गया, तो जब वजन कम हो गया तो कीमत भी कम होनी चाहिये ? क्या इसकी जांच वह करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५९ के पहले कितना हंडरवेट सैंगिग लगता था ?

श्री गिरधारीलाल—इसके कोई आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं लेकिन पहले कोई स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था। उसको अब इस तरह की शकल दे दी गई है जैसा कि बतलाया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मुझे केवल इतना माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि हमें जो शंका थी उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है उनके उत्तरों से। और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार के अपने हित में है कि इसका स्पष्टीकरण करें जिससे किसी के मन में कोई शंका न रहे और सरकार सुप्रीम बनी रहे। एक बात तो माननीय मंत्री जी ने मान ली कि फरवरी सन् १९५९ में यह फैसला हुआ। तत्कालीन मंत्री जी, जो यह समझते थे कि इसमें गोलमाल है और उसमें कई करोड़ का नुकसान है, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद यह फैसला हुआ है और उनकी राय के प्रतिकूल यह हुआ है। यह उनकी बातों से मालूम हुआ है। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय को अपने हित में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह जो फैसला हुआ है वह विभाग के लोगों ने, तत्कालीन मन्त्री की जो राय जनहित में थी खर्च कम करने के लिये, उसके प्रतिकूल फैसला किया है या नहीं, और यदि प्रतिकूल है तो क्यों है?

श्री गिरधारीलाल—मुझको अपने हित का, गवर्नमेंट के हित का और अपोजिशन के हित का पूरा खयाल है। इन तमाम बातों को देखते हुये जो कुछ फैसला हुआ है वह इसके अन्दर मैंने बयान कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इसके अन्दर कोई सन्देह नहीं है। जैसा मैंने कहा, करोड़ों की बात नहीं थी। ५,२०० मील की केवल वह लाइन है। ज्यादा से ज्यादा ९६ लाख रुपया होता है। इसमें यहां पर करोड़ों की बात नहीं आती। यह कल्पना के बाहर चीज़ है। यही सब बातें हैं। इसमें यदि किसी को कोई भ्रम हो तो वह मेरे पास आ जायं और मैं चीफ इंजीनियर को बुलाकर बात करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—यह उनका आफर है कि आप आकर देख लें।

श्री शिवप्रसाद नागर—लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनका आफर यह है कि आप उनके कमरे में चले जायं और चूंकि यह टेक्निकल मामला है इसलिये वह वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे और सेटिस्फाई कर देंगे। यह काफी बड़ा आफर है।

श्री शिवप्रसाद नागर—वह तो स्वीकार है लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि ११ हज़ार वोल्ट की लाइन पर जितने तार लगे हैं उन सबका एक-एक फीट का टुकड़ा वह मंगवा लें और उनके एक्सपर्ट्स के सामने ही वहीं बैठ कर हम और वे दोनों उनको तराजू मंगा कर तौल लें। मैं बनिये का लड़का हूं, तौल कर बतला दूंगा कि अर्थ वायर का क्या वजन है और दूसरे का कितना है और सारी टेक्निकल बात उसी में साफ हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—खैर, इस समय यह विवाद समाप्त होता है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ अगस्त, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर ।)

No 4345-D/IX-B—58

FROM

SRI, P. R. MOOKHERJEE, M. SC.,
SAHAYAK SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

SWAYATA SHASAN (KH) VIBHAG.

Dated Lucknow, September 13, 1958.

Subject : **Rural Water-supply and Sanitation Schemes during the Second Five-Year Plan period**

SIR,

IN continuation of G. O. no. 4521-S/IX-B, dated December 3, 1957, I am directed to say that the question of financing the rural water-supply and sanitation schemes in the State has been under the consideration of Government for some time past and it has been decided that the cost of the schemes should be met as follows :

(1) 50 per cent of the total cost of the schemes would be given by the Government of India in the shape of grant-in-aid to the State Government,

(2) 25 per cent of the cost, which will be inclusive of departmental supervision charges, would be paid by the State Government from their own resources, and

(3) the remaining 25 per cent would be borne by the local people who would derive benefit from the scheme except in the scarcity areas where the resident population is so poor that they are unable to contribute anything towards the cost of the schemes. These special cases, for which full justification should be given, will be considered separately.

The above decision will apply to the schemes which will be taken up during the current financial year and also during the subsequent years of the Second Five-Year Plan. Some of the rural water-supply and sanitation schemes which were sanctioned during the year 1957-58 and which could not be executed during that year due to paucity of time are, however, being implemented during the current financial year. Although it was not originally contemplated to realise any cash contribution from the villagers in respect of these schemes, yet all possible efforts should be made to persuade the villagers who would derive benefit from the schemes to make voluntary contributtion in cash or in the shape of Shramdan to the extent of 10 per cent of the estimated cost of the schemes as was done in case of the schemes undertaken in the First Five-Year Plan period.

2. I am to add that the following criteria should invariably be borne in mind while selecting areas for water-supply arrangements :

(*a*) The Gaon Panchayat or local authority concerned should contribute 25 per cent of the estimated cost of the schemes and should give an undertaking in writing that they would maintain the water works after its construction, in an efficient manner at their own expense.

(*b*) Only those villages should be selected where the existing supply is bad or there is acute scarcity of drinking water or where the incidence of water and filth-borne diseases is very high.

(*c*) The rural areas selected for water-supply should, as far as possible, be densely populated so that the *per capita* cost does not exceed Rs.30. Exceptions may be made in special circumstances which should be clearly indicated.

The Notified Area Committees and the Town Area Committees which are small urban centres, can also be included under the Rural Water-supply and Sanitation Programme, provided they fulfil the criteria mentioned above.

3. I am further to say that it is proposed to carry out a programme at a total cost of Rs.40 lakhs during the current financial year for providing water-supply and sanitary arrangements in certain selected rural areas, Town Area Committees and Notified Area Committees. The execution of the programme in the rural areas of hill districts of Almora, Naini Tal, Tehri-Garhwal and Garhwal and in the areas where State tube-wells exist, which can be conveniently utilized for drinking water-supply purposes also, shall be carried out by the Irrigation Deparmtnent and in the rest of the areas including the Dehra Dun District and the scarcity areas of the Banda District, by the Local Self-Government Engineering Department. I am to request that the sclection of areas for new schemes of water-supply in accordance with the abovementioned instructions may kindly be finalized in consultation with the District Planning Committees and the schemes for the same be sent to the Chief Engineer of the Irrigation Deparmtment or Local Self-Government Engineering Department, as the case may be, duly arranged in order of priority. The schemes should reach the Chief Engineers concerned by *October* 1, 1958 *positively*, failing which it would be presumed that your district has no scheme for inclusion in the current year's programme. It is suggested that where necessary, attempt should be made to contact the Chief Engineers Organization at Lucknow through representatives personally so that action may be expedited and the funds provided for the purpose fully utilized before the close of the current financial year.

Yours faithfully,

(Sd.) P. R. MOOKHERJEE,

Sahayak Sachiv.

FINANCE DEPARTMENT

No. 4345-D(i)/IX-B—114-55

COPY forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for information.

By order,

(Sd.) G. C. PANDE,

Sahayak Sachiv.

SWAYATTA SHASHAN (KH.) VIBHAG

No. 4345-D(ii)/IX-B—-114-55

COPY also forwarded for information and necessary action to—

(1) the Chief Engineer, Irrigation Department;

(2) the Chief Engineer, Local Self Government Engineering Department, U. P., Lucknow;

with the request that the Executive Engineers concerned in his department may kindly be instructed to render all possible assistance to the District Magistrates in making selection of villages and in drawing up the scheme.

2. The detailed estimates of the schemes received from the District Magistrates may kindly be sent to Government by *October* 15, 1958 *positively.*

By order,
(Sd.) P. R. MOOKHERJEE,
Sahayak Sachiv.

No. 4345-D(iii)/IX-B—114-55

COPY also forwarded for information to :—

(1) Finance (E-II) Department.
(2) Irrigation Department.
(3) Planning (A) Department.
(4) Harijan Sahayak Department.

By order,
(Sd.) P. R. MOOKHERJEE,
Sahayak Sachiv

Attested.

(Sd.) (L. K. GUPTA),
Adhikshak,
L. S. G. (B) Department.

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

केन्द्रीय सरकार से गत तीन वर्षों में पर्यटन उद्योग के लिये उत्तर प्रदेश को मिली सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	विवरण	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि (रुपयें में)		
		१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
१	२	३	४	५
१	टुवरिस्ट ब्यूरोज़ (Tourist Bureaus) ..	३५,०००	०,०००	४०,०००
२	एल० आई० जी० होस्टल (Low Income Group Hostel) वाराणसी		३७,५००	१२,५००
३	एल० आई० जी० होस्टल (Low Income Group Hostel) आगरा		५३,०००	२०,०००
	पिलग्रिम शेड्स (Pilgrim Sheds) तथा लाग कैबिन्स (Log cabins) हिमालयन पिलग्रिम रूट पर ..	१,००,०००	३०,५००	४७,५९७
	योग ..	१,३५,०००	१,६१,०००	१,२०,०९७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

सूची

सप्लायर के बिल की तिथि	क्रय किये हुये बनारसी रेशमी माल का मूल्य	क्रय किए हुए बेंत के सामान का मूल्य
	रु०	रु०
६–१–१९६०	१४०.००	..
८–१–१९६०	१,३३०.००	..
९–१–१९६०	४७०.००	..
१५–१–१९६०	१४०.००	..
२५–१–१९६०	२,३२८.००	..
२५–१–१९६०	२,७०१.००	..
२७–१–१९६०	१४०.००	..
१–२–१९६०	..	७७४.८६
९–२–१९६०	२,२९६.००	..
९–२–१९६०	..	..
९–२–१९६०	४६२.५०	..
१०–२–१९६०	..	१,४४०.८८
१५–२–१९६०	९२०.००	..
१६–२–१९६०	..	३६२.९९
२३–२–१९६०	१,६१०.००	..
२५–२–१९६०	५४०.००	..
२६–२–१९६०	८४६.००	..
७–३–१९६०	७५०.००	..
९–३–१९६०	४,४७५.५८	..
१०–३–१९६०	४८८.००	..
१७–३–१९६०	४२७.००	..
१८–३–१९६०	..	४१९.७२
१८–३–१९६०	..	२६५.५०
६–४–१९६०	९०४.५०	..
२६–४–१९६०	१५९.७५	..
२७–४–१९६०	८७४.००	..
२–५–१९६०	..	६३८.००
योग ..	२२,००२.३३	३,९०२.३५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

TO WHOM IT MAY CONCERN

I am going to commit suicide of my own sweet will and accord on account of certain agony within me. No person of my family or friend circle is responsible for it. I am solely responsible and liable for this act, I have committed. This I can say, every member of III class ministerial staff specially 60---4--100 scale are suppressed by their colleagues and immediate officers. Directorate of Industries, U. P., Kanpur is manifestation of hellish behaviour, tyranny and dictatorship bureaucracy.

That's all.

R. S. S. BHADAURIA,
18th June, 1960.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ६४३ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	अनुदान अथवा ऋण की धनराशि	मद जिसके अन्तर्गत अनुदान अथवा ऋण दिया गया	धनराशि पूर्णतया उपयोग हुई अथवा नहीं	अनुदान अथवा ऋण के उपयोग न होने का कारण
		अनुदान		
	रु०			
	२६,७००	सड़कों के अनुरक्षण, नवीकरण हेतु।	नहीं	अनुदान उपयोग करने की अवधि ३१ मार्च, १९६१ तक है।
		ऋण		
	२०,०००	ट्रक एवं ट्रैक्टर खरीदने हेतु	नहीं	ऋण के उपयोग करने की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० तक है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५९ पर)

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

कुछ प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९ में एक नई धारा १३३-बी का बढ़ाया जाना

२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३—ए के पश्चात् नई धारा १३३-बी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

Power of search, etc.

"133-B (1). In addition to the powers conferred on the State Government under sub-section (3) of section 133-A it shall be lawful for the State Government to confer, by notification published in the official *Gazette*, upon any officer of the Motor Vehicles Department, not being an officer holding a non-gazetted post, the powers—

(*a*) to investigate into offences punishable under this Act, and for that purpose to enter and search, without warrant, any private land, and any premises between the hours of sun-rise and sun-set with a view to inspect or seize any vehicle that may be found therein, as may have been or is suspected to have been used for commission of an offence punishable under this Act, and may take such steps as may be considered proper by him for the safe custody of the vehicle and its contents :

Provided that before making a search under this clause, the officer shall call upon two or more responsible persons to attend and witness the search for the vehicle and may issue an order in writing to them or any of them so to do:

Provided further that before seizing the vehicle a list of all the contents of the vehicle seized in the course of such search shall be prepared by the officer and signed by such witnesses, but no such witness shall be required to attend the court, unless summoned by it ;

Explanation—"Premises" under this clause means any building or part of a building and includes gardens, grounds, garages and out-houses, appertaining to such building or part of a building.

(*b*) to take, in case of seizure of a vehicle, or of arrest of a person, under section 128 a bond with or without sureties, in accordance with the provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898, of such amount, as he may think fit, from the person in the charge of the vehicle or connected with the commission of the offence or the abetment thereof punishable under this Act, or the rules made thereunder with a view to bind such person to appear before a court in connection with the charge ; and

(*c*) to launch prosecutions for such offences.

(2) The amount of every bond executed under clause (*b*) of sub-section (1) shall be fixed with due regard to the circumstances of each case, and shall not be excessive.

उद्देश्य तथा कारण

परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा (Enforcement Branch) के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस शाखा में अब वे अधिकारी रह गये हैं जो पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इन्हें भूगृहादि की तलाशी लेने, अपराधियों को गिरफ्तार करने, जमानत लेने तथा मुकदमें चलाने के संबंध में वे अधिकार प्राप्त नहीं है जिनका प्रयोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन पुलिस कर्मचारी किया करते थे। प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (Enforcement Staff) के दक्षतापूर्वक कार्य करने की दृष्टि से तथा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट और तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों का प्रभावकारी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ को विधेयक में उल्लिखित रीति से स्थानीय रूप से संशोधित करके उपर्युक्त अधिकार परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिये जायं।

सीताराम,
परिवहन मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये, पीछे पृष्ठ ६६० पर)

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९ के शीर्षनाम, वृहत शीर्षनाम तथा उसकी प्रस्तावना का संशोधन

२—यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) के शीर्षनाम, वृहत शीर्षनाम तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit and diesel oil" रख दिये जायं

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९ की धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "Motor Spirit" तथा "Taxation Act" के बीच में शब्द "and Diesel Oil" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९ की धारा २ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २ में:—

(१) खंड (ए) में अंक '145' के स्थान पर अंक '130' रख दिये जायं, तथा शब्द "Combustion Engines" और उसके बाद आये हुये फुलस्टाप के बीच में शब्द "but does not include Kerosene" बढ़ा दिये जायं:

(२) खंड (ए) के पश्चात् नये खंड (एए) तथा (एएए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं:

"(*aa*) 'diesel oil' means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point above 130.° F. but not exceeding 175°.F. which is ordinarily used for providing reasonable efficient motive power for any form of motor vehicle or for internal combustion engines ;

(*aaa*) 'kerosene' means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point not below 95° F. and not above 110°.F. which is generally used for purposes other than for providing motive powers for any form of motor vehicle or for internal combustion engines."

(३) खंड (सी) तथा (डी) और उसके स्पष्टीकरण में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit or diesel oil or both" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९ की धारा ३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(1) There shall be levied from every retail dealer and collected in such manner as may be prescribed a tax on the retail sales of motor spirit and diesel oil at such rate, or rates, as may be notified not exceeding nine naye paise in the case of motor spirit, and seven naye paise in the case of diesel oil per litre on such sales."

६—(१) मूल अधिनियम की धारा १० तथा ११ और धारा १७ की उपधारा (२) में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit or diesel oil or both" रख दिये जायं।

(२) मूल अधिनियम की धारा १० के खंड (ए) में तथा धारा १७ की उपधारा (२) के खंड (जी) में जहां भी शब्द "is" आया हो उसके स्थान पर शब्द "are" रख दिया जाय।

७—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के खंड (डी) के स्पष्टीकरण में शब्द "in such spirit" तथा शब्द "for the purpose of trade" के बीच में शब्द "or diesel oil" बढ़ा दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

मोटर स्प्रिट की फुटकर बिक्री पर कर लगाने के उद्देश्य से यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ अधिनियमित किया गया था। १९५७ में इस ऐक्ट की व्याप्ति (purview) से डिजिल आयल निकाल दिया गया था। चूंकि डिजिल आयल पेट्रोलियम से बनने वाला पदार्थ है जो अपरिष्कृत तेल के प्रभागशः आसवा (fractional distillation) द्वारा प्राप्त होता है और भारी मोटर परिवहन को चलाने के लिये अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिये डिजिल आयल को यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ की व्याप्ति क अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कर न केवल मोटर स्प्रिट पर बल्कि डिजिल आयल पर भी लगाया जा सके। ऐक्ट की धारा ३ भी इस उद्देश्य से फिर से बनाई गयी है कि मोटर स्प्रिट तथा डिजिल आयल पर कर का लगाना घटाया बढ़ाया जा सके। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सीताराम,
परिवहन मंत्री।

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० में दिये गये प्रतिनिधानित विधायन (delegated legislation) के प्रस्तावों पर ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० के खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है तथा प्रस्तावित उपधारा (१) में सरकार को नियमों द्वारा उन रीतियों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिनके अनुसार प्रत्येक फुटकर व्यापारी (retail dealer) से मोटर स्प्रिट और डीजिल आयल की फुटकर बिक्री पर कर उगाहा तथा उसे निर्दिष्ट दरों पर वसूल किया जायगा। वर्तमान उपधारा (१) में भी, जिसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, उक्त प्रयोजन के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है परन्तु यह अधिकार उसी कर के संबंध में है जो मोटर स्प्रिट की बिक्री पर दिया जाता है और जिसके लिये पहले ही से नियम बनाये जा चुके हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से उन नियमों को परिष्कृत करना होगा जिससे कि उनके अन्तर्गत डीजिल आयल की बिक्री पर लिया जाने वाला कर भी आ सके।

२--प्रतिनिधानित विधान के प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं।

सीताराम,
परिवहन मंत्री।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

Statement showing the existing sections of the U. P. Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1939 (*Act I of* 1939) *which are proposed to be amended*

---

(1)	(i) *Title*	.. *The U. P. Sales of Motor Spirit Taxation Act,* 1939 (*U. P. Act no. I of* 1939).
	(ii) *Long Title*	.. *An Act to provide for the levy of a tax on retail sales of motor spirit.*
	(iii) *Preamble*	.. Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the retail sales of motor spirit.
(2) Section 1(1)		.. This Act may be cited as the U. P. Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1939.
(3) Section 2(*a*)		.. "motor spirit" means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point of or below 145 F. which is ordinarily used for providing reasonably efficient motive power for any form of motor vehicle or for internal combusion engines.
	(*c*)	.. "retail dealer" means any person who, on commission or otherwise, sells or keeps for sale motor spirit for the purpose of consumption by the person by whom or on whose behalf it is or may be purchased ;
	(*d*)	.. "retail sale" means a sale by a dealer of motor spirit to a person for the purpose of consumption by the person by whom or on whose behalf it is or may be purchased and includes the consumption by a retail dealer himself or on his behalf of motor spirit sold to him for retail sale.
(4) Section 3(1)		.. There shall be levied from every retail dealer and collected in such manner as may be prescribed a tax on the retail sales of motor spirit at such rate as may be notified not exceeding six annas per gallon on such sales.
(5) Sections 10(*a*)		.. to search any building, vessel, vehicle or place in or at which he has reason to believe that any motor spirit is sold or is kept for sale, and ;
	(*e*)	.. to seize and remove or detain any motor spirit and any container thereof in the possession of a retail dealer, who, there is reason to believe, is carrying on business in contravention of section 6, or has committed any offence under the provisions of the Act or of the rules framed thereunder.
(6) Section 11		.. Whenever an offence punishable under this Act is committed, the motor spirit seized and removed or detained under clause (*b*) of section 10, or in the possession of the retail dealer, in respect of which the offence has been committed and any container thereof, may be confiscated.

(7) Section 17(*d*) .. prescribing the particulars and form of returns to be submitted and records and books to be maintained by the retail dealers and wholesale dealers in motor spirit, the manner in which they are to be verified, the time when and the authority to whom the returns are to be submitted and all such other conditions thereof as may be necessary.

Explanation .. "Wholesale dealer" means any person, who sells motor spirit, or keeps motor spirit for sale, to dealers in such spirit for the purpose of trade.

(*e*) .. providing for the regulation of sale of motor spirit, the assessment of the tax and the issue of notices requiring payment and for the recovery of unpaid tax ;

(*f*) .. providing for the detention and disposal of any motor spirit or container thereof which has been seized or confiscated; and

(*g*) .. authorizing and regulating the inspection or search of any building, vessel, vehicle or place in which, there is reason to believe, motor spirit is sold or kept for sale.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३३ एल० ए०—१९६०—८४५ ।